PG HN DSC -S2-03

TWO YEAR MASTER'S DEGREE COURSE

(CBCS in Accordance with NEP 2020)

SEMESTER II

हिंदी भाषा और लिपि

हिंदी

Padmanath Gohainbaruah School of Humanities

KRISHNA KANTA HANDIQUI STATE OPEN UNIVERSITY

विषय विशेषज्ञ

प्रोफ़ेसर दिलीप कुमार मेधी, हिंदी विभाग, गौहाटी विश्वविद्यालय, असम

प्रोफ़ेसर अमूल्य बर्मन, हिंदी विभाग, कॉटन विश्वविद्यालय (सेवानिवृत्त विभागाधक्ष्य)

प्रोफ़ेसर भूषण पाठक, अध्यक्ष्य, बी. एस. कॉलेज, हाउली, बरपेटा, असम

पाठ्यक्रम समन्वयक : डॉ. प्रांजल कुमार नाथ, सहायक अध्यापक, कृष्णकांत हेंदिक राज्यिक मुक्त विश्वविद्यालय, असम

एसएलएम् तैयारी टीम

Units	**Contributors**
इकाइयाँ	**योगदानकर्ताओं के नाम**
1,5,9,10	डॉ. प्रांजल कुमार नाथ, सहायक अध्यापक, कृष्णकांत हेंदिक राज्यिक मुक्त विश्वविद्यालय, असम
2	डॉ. नंदिता दत्त, सहायक अध्यापक, नॉर्थ लखीमपुर विश्वविद्यालय
3–4	अनन्या दास, शोधार्थी, असम विश्वविद्यालय, दिफू कैंपस
6	रूबीमणि दास, शोधार्थी, गौहाटी विश्वविद्यालय, डॉ प्रांजल कुमार नाथ, सहायक अध्यापक, कृष्णकांत हेंदिक राज्यिक मुक्त विश्वविद्यालय, असम
7	रूबीमणि दास, शोधार्थी, गौहाटी विश्वविद्यालय
8	मनोज श्रीवास्तव, शोधार्थी, कॉटन विश्वविद्यालय
11,13	परीक्षित नाथ, सहायक अध्यापक, दुमदुमा महाविद्यालय
12	डॉ. नवकांत दास, सहायक अध्यापक, रंगापारा महाविद्यालय, डॉ. प्रांजल कुमार नाथ, सहायक अध्यापक, कृष्णकांत हेंदिक राज्यिक मुक्त विश्वविद्यालय, असम
14.	ईरान सैकिया, विषय शिक्षक (हिंदी), अजगर भेली अकादमी

àßditorial Team

Content : डॉ. प्रांजल कुमार नाथ, सहायक अध्यापक, कृष्णकांत हेंदिक राज्यिक मुक्त विश्वविद्यालय, असम

Language : डॉ. उज्जवल डेका बरुआ, सहायक अध्यापक, कृष्णकांत हेंदिक राज्यिक मुक्त विश्वविद्यालय

Structure & Format : डॉ. अब्दुल लतीफ, सहायक अध्यापक, कृष्णकांत हेंदिक राज्यिक मुक्त विश्वविद्यालय, असम

January, 2025 **ISBN :**

This Self Learning Material (SLM) of the Krishna Kanta Handiqui State University is made available under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike4.0 License (International) : http.//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Printed and published by Registrar on behalf of the Krishna Kanta Handiqui State Open University.

Headquarters: Patgaon, Rani Gate, Guwahati-781017
City Office: NH 37, Resham Nagar, Khanapara, Guwahati-781022 Web: www.kkhsou.in

CONTENTS

Page No.

इकाई 1 : हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम 9-17

अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप, हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम, हिन्दी की क्रमागत उन्नति।

इकाई 2 : हिंदी भाषा का भौगलिक विस्तार 18-27

हिंदी का अभिप्राय, स्वरूप, व्यवहार क्षेत्र, पूर्वी हिंदी की बोलियों का परिचय एवं विशेषताएँ,

पश्चिमी हिंदी की बोलियों का परिचय एवं विशेषताएँ।

इकाई 3 : खड़ीबोली की उत्पत्ति 28-35

खड़ीबोली का स्वरूप, खड़ीबोली की आधुनिकालीन लेखक, खड़ीबोली का गद्य विकास।

इकाई 4 : राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी 36-47

हिंदी और राष्ट्रभाषा का परिचय, हिंदी में राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता, राष्ट्रभाषा पद में हिंदी की मान्यता, राष्ट्रभाषा बनने में हिंदी की समस्याएँ और संभावनाएं।

इकाई 5 : लिपि की उत्पत्ति और विकास 48-52

लिपि की उत्पत्ति और विकास, लिपि के विकास क्रम में आनेवाली विभिन्न लिपियाँ।

इकाई 6 : देवनागरी लिपि 53-59

नागरी लिपि, देवनागरी लिपि की विशेषताएँ, देवनागरी लिपि के गुण, देवनागरी लिपि के दोष, देवनागरी लिपि में किए गए सुधार।

इकाई 7 : हिंदी ध्वनि 60-74

हिंदी ध्वनियों का विकासक्रम, फारसी भाषा से हिंदी में आए ध्वनियों के लिए सामान्य बातें, अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए ध्वनियों के विषय में सामान्य बातें, संस्कृत भाषा से हिंदी में आए ध्वनियों के विषय में सामान्य बातें, वर्गीकरण का मुख्य सिद्धांत, ध्वनि परिवर्तन के कारण।

इकाई 8 : हिन्दी भाषा का शब्द-समूह 75-79

तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, देशज शब्द।

इकाई 9 : हिंदी के कारक चिह्न (परसर्ग) 80-85

कारक से ताप्रर्य, करक विभक्ति के भेद तथा चिह्न।

इकाई 10 : हिंदी के सर्वनाम 86-91

सर्वनाम अर्थ एवं परिभाषा, सर्वनाम की उपयोगिता, वर्गीकरण।

इकाई 11 : हिंदी के विशेषण और क्रियाएँ 92-101

विशेषण और क्रिया का अर्थ, परिभाषा, भेद।

इकाई 12 : हिंदी वचन और समास 102-110

अर्थ एवं वचन-परिभाषा, वर्गीकरण, समास, समास के भेद।

इकाई 13 : हिंदी प्रत्यय और उपसर्ग 111-117

अर्थ एवं स्वरूप, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, प्रत्यय और उपसर्ग के कुछ उदाहरण, प्रत्यय और उपसर्ग के उपयोग, प्रत्यय के वाक्य प्रयोग, उपसर्ग के वाक्य प्रयोग।

इकाई 14 : हिंदी में लिंग परिवर्तन के कारण 118-127

लिंग : परिभाषा, भेद, लिंग निर्णय में आने वाली कठिनाइयाँ।

विषय परिचय

कृष्णकांता हेंदिक राज्यिक मुक्त विश्वविद्यालय (KKHSOU) सभी पाठ्यक्रम की तरह हिंदी भी एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है, जिसमें DSC 6 : **हिंदी भाषा और लिपि** से सम्बंधित पेपर प्रस्तुत किया गया है- भारतवर्ष में लिपि का इतिहास बहुत पुराना है। लिपि के क्षेत्र में भारत विश्व गुरु रहा है। भारत के परंपरागत मान्यता के अनुसार लिपि के आविष्कारक स्वयं ब्रह्मा है। जिन्होंने ब्राह्मी लिपि बनाई लेकिन भारत के प्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक भोलानाथ तिवारी के अनुसार- 'मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार लिपि को स्वयं जन्म दिया है। हिन्दी भाषा का इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना माना गया है। सामान्यत: प्राकृत की अन्तिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिन्दी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया जाता है। हिन्दी भाषा व साहित्य के जानकार अपभ्रंश की अंतिम अवस्था 'अवहट्ट' से हिन्दी का उद्भव स्वीकार करते हैं। इन सारी बातों की चर्चा आगे करते हुए हिंदी भाषा और लिपि से सम्बंधित 14 इकाईयाँ आपके स्नातकोत्तर के द्वितीय छमाही में दिया गया है। आगे हम प्रत्येक इकाई की रूपरेखा पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे।

इकाई 1- 'हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम' इकाई की शुरुआत हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम के उद्देश्य एवं प्रस्तावना से शुरू हुई हैं। आगे इकाई की रूपरेखा में अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप, हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम (प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल), हिन्दी की क्रमागत उन्नति आदिकाल (सन् 1000 से 1500 ई.), मध्यकाल (सन् 1500 से 1800 ई.) और आधुनिक काल (सन् 1800 से आज तक) इत्यादि पर चर्चा की गयी हैं। अंतिम में सारांश, प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा), अधिक जानने के लिए पढ़े एवं कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है जिसे पढ़कर शिक्षार्थी रीतिकाल के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे।

इकाई 2- 'हिंदी भाषा का भौगलिक विस्तार' इस इकाई में हिंदी भाषा तथा उसकी बोलियों के अंत:संबंध को समझ सकेंगे साथ ही हिंदी भाषा के भौगोलिक विस्तार को भी जान पाएंगे इस इकाई के प्रथम रूपरेखा के तहत उद्देश्य को दर्शाया गया है साथ ही प्रस्तावना को संक्षेप रूप देते हुए हिंदी का अभिप्राय (स्वरूप, व्यवहार क्षेत्र), पूर्वी हिंदी की बोलियों परिचय एवं विशेषता, पश्चिमी हिंदी की बोलियों का परिचय एवं विशेषता की चर्चा की जाएँगी। सारांश द्वारा अंतिम रूप देते हुए प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा), अधिक जानने के लिए पढ़े एवं कुछ अभ्यास प्रश्न इकाई के अंत में दिया गया है, जिसे पढ़कर शिक्षार्थी रीतिकाल के कवियों के बारे में गहराई से जान पाएंगे एवं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आसानी से दें पाएंगे।

इकाई-3- 'खड़ीबोली की उत्पत्ति' प्रत्येक इकाई की तरह इस इकाई की भी अपनी रूपरेखा है जिसके अंतर्गत उद्देश्य, प्रस्तावना, खड़ीबोली की स्वरूप, खड़ीबोली की आधुनिकालीन लेखक, खड़ीबोली का गद्य विकास इत्यादि को विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया हैं, इकाई में सारांश, प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा), अधिक जानने के लिए पढ़े एवं अंतिम में अभ्यास प्रश्न लिखा गया है जिसे पढ़कर शिक्षार्थि इस इकाई के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे एवं दिए गए प्रश्न को सुलझा सकेंगे।

इकाई -4 'राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी' ऊपर के तीन इकाईयों में भाषा और लिपि से सम्बंधित काफी कुछ लिखा जा चूका है इस इकाई में उद्देश्य एवं प्रस्तावना के साथ-साथ, हिंदी और राष्ट्रभाषा का परिचय, हिंदी में राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता, राष्ट्रभाषा पद में हिंदी की मान्यता, राष्ट्रभाषा बनने में हिंदी की समस्याएँ और संभावनाएं इत्यादि की चर्चा हुई हैं इकाई में सारांश, प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा), अधिक जानने के लिए पढ़े एवं अंतिम में अभ्यास प्रश्न लिखा गया है जिसे पढ़कर शिक्षार्थी इस इकाई के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे एवं दिए हुए प्रश्न का हल निकालने में सक्षम होंगे।

इकाई -5 'लिपि की उत्पत्ति और विकास' हिंदी और राष्ट्रभाषा भाषा की इकाई को पढ़ने के बाद आप इस इकाई में उद्देश्य एवं प्रस्तावना के साथ लिपि की उत्पत्ति और विकास, लिपि के विकास क्रम में आनेवाली विभिन्न लिपियाँ इत्यादि के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रत्येक इकाइयों की तरह इस इकाई में भी सारांश, प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा), अधिक जानने के लिए पढ़े एवं अंतिम में अभ्यास प्रश्न को दर्शाया गया है। जिससे शिक्षार्थि इन प्रश्न का हल आसानी से निकाल सके।

इकाई 6- 'देवनागरी लिपि' (Devanagari scripts)- इस लिपि में अनेक भारतीय भाषाएँ तथा कुछ विदेशी भाषाएँ लिखीं जाती हैं। संस्कृत, पालि, हिन्दी, मराठी, कोंकणी, सिन्धी, कश्मीरी, नेपाली, गढ़वाली, बोड़ो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली इत्यादि भाषाएँ देवनागरी में लिखी जाती हैं। इसे नागरी लिपि भी कहा जाता है। आगे इस इकाई के उद्देश्य एवं प्रस्तावना को दर्शाने के बाद नागरी लिपि, देवनागरी लिपि की विशेषताएँ, देवनागरी लिपि के गुण, देवनागरी लिपि के दोष, देवनागरी लिपि में किए गए सुधार के बारे में दिया गया हैं। साथ ही सारांश, प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा), अधिक जानने के लिए पढ़े एवं अंतिम में अभ्यास प्रश्न लिखा गया है। जिसे पढ़कर शिक्षार्थियों भाषा विज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे एवं प्रश्न का हल निकाल पाएंगे।

इकाई 7- 'हिंदी ध्वनि' इस इकाई में हिंदी ध्वनि के उद्देश्य एवं प्रस्तावना को जानने के साथ आप हिंदी ध्वनियों का विकासक्रम, फारसी भाषा से आए ध्वनियों के लिए सामान्य बातें, अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए ध्वनियों के विषय में सामान्य बातें, संस्कृत भाषा से हिंदी में आए ध्वनियों के विषय में सामान्य बातें, वर्गीकरण का मुख्य सिद्धांत, ध्वनि परिवर्तन के कारण इत्यादि के बारे में जान पाएंगे। इस इकाई के अंतिम में सारांश, प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा), अधिक जानने के लिए पढ़े एवं अंतिम में अभ्यास प्रश्न को दर्शाया गया है। जिससे शिक्षार्थी इन प्रश्न का हल निकाल सकेंगे।

इकाई 8- 'हिन्दी भाषा का शब्द-समूह' इस इकाई में अध्ययन का उद्देश्य, प्रस्तावना, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, देशज शब्द इत्यादि पर चर्चा हुई है। प्रत्येक इकाइयों की तरह इस इकाई में भी सारांश, प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा), अधिक जानने के लिए पढ़े एवं अंतिम में अभ्यास प्रश्न को दर्शाया गया है। जिससे शिक्षार्थि इन प्रश्न का हल निकाल सकेंगे।

इकाई 9- 'हिंदी के कारक चिह्न(परसर्ग)' इस इकाई में उद्देश्य एवं प्रस्तावना के अलावा हिंदी में 'आठ' कारक को दर्शाया गया हैं, जैसे - कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, सम्प्रदान कारक, अपादान कारक, सम्बन्ध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक इत्यादि। इकाई के अंत में सारांश प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा), अधिक जानने के लिए पढ़े एवं अंतिम में अभ्यास प्रश्न लिखा गया है। जिसे पढ़कर शिक्षार्थि इस इकाई के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे एवं दिए हुए प्रश्न का हल निकालने में सक्षम होंगे।

इकाई 10- 'हिंदी के सर्वनाम' इकाई की शुरुआत में उद्देश्य एवं प्रस्तावना को लिखा गया हैं। उसके बाद सर्वनाम अर्थ एवं परिभाषा, सर्वनाम की उपयोगिता, वर्गीकरण पर चर्चा हुई है। इकाई के अंत में सारांश प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा), अधिक जानने के लिए पढ़े एवं अंतिम में अभ्यास प्रश्न लिखा गया है। जिसे पढ़कर शिक्षार्थि इस इकाई के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे एवं दिए हुए प्रश्न का हल निकालने में सक्षम होंगे।

इकाई 11- 'हिंदी के विशेषण और क्रियाएँ' - इकाई में उद्देश्य एवं प्रस्तावना को सर्वप्रथम लिखा है। फिर आगे की रुपरेखा में विशेषण और क्रिया का अर्थ और परिभाषा, विशेषण, क्रिया, क्रिया के भेद की चर्चा हुई हैं। इकाई के अंत में सारांश प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा), अधिक जानने के लिए पढ़े एवं अंतिम में अभ्यास प्रश्न लिखा गया है। जिसे पढ़कर शिक्षार्थि इस इकाई के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे एवं दिए हुए प्रश्न का हल निकालने में सक्षम होंगे।

इकाई 12- 'हिंदी वचन और समास' इस इकाई में हिंदी के वचन एवं समास से सम्बंधित उदेश्य को लिखा गया हैं। इकाई की रूपरेखा में प्रस्तावना के साथ अर्थ एवं परिभाषा, वचन, समास, वर्गीकरण, वचन के प्रकार, वचन परिवर्तन के नियम, एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम, समास के भेद इत्यादि पर चर्चा हुई हैं। प्रत्येक इकाइयों की तरह इस इकाई में भी सारांश, प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा), अधिक जानने के लिए पढ़े एवं अंतिम में अभ्यास प्रश्न को दर्शाया गया है। जिससे शिक्षार्थि इन प्रश्न का हल निकाल सकेंगे।

इकाई 13- 'हिंदी प्रत्यय और उपसर्ग' इस इकाई में उद्देश्य एवं प्रस्तावना के साथ अर्थ एवं स्वरूप, प्रत्यय, उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, प्रत्यय और उपसर्ग के कुछ उदाहरण, प्रत्यय और उपसर्ग का उपयोग, प्रत्यय के वाक्य प्रयोग, उपसर्ग के वाक्य प्रयोग इत्यादि पर चर्चा हुई हैं। इकाई में सारांश, प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा), अधिक जानने के लिए पढ़े एवं अंतिम में अभ्यास प्रश्न लिखा गया है। जिसे पढ़कर शिक्षार्थि इस इकाई के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे एवं दिए हुए प्रश्न का हल निकालने में सक्षम होंगे।

इकाई 14- 'हिंदी में लिंग परिवर्तन के कारण' यह अंतिम इकाई है जिसमें उद्देश्य एवं प्रस्तावाना को दर्शाते हुए लिंग- सामान्य परिचय, परिभाषा, लिंग के भेद, लिंग के निर्णय में आने वाली कठिनाइयाँ पर चर्चा हुई हैं। प्रत्येक इकाइयों की तरह इस इकाई में भी सारांश, प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा), अधिक जानने के लिए पढ़े एवं अंतिम में अभ्यास प्रश्न को दर्शाया गया है। जिससे शिक्षार्थि इन प्रश्न का हल निकाल सकेंगे।

प्रत्येक इकाई को पढ़ते समय, आप दाएँ तरफ बने कुछ टेक्स्ट बॉक्स भी देख सकते हैं, जिसमें कुछ कठिन शब्दों और अवधारणाओं को समझने में आपकी मदद करने के लिए शामिल किया गया है। हमने प्रत्येक इकाई में 'अपनी प्रगति जांचे' कुछ प्रश्न रखे हैं। इन्हें आपकी पढ़े हुए अध्ययन की प्रगति को स्वयं जाँचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर की जानकारी इकाई के अंत में दिए गए हैं। हम सलाह देते हैं कि आप जिस इकाई में ये प्रश्न हैं, उसे पढ़ने के तुरंत बाद प्रश्नों के उत्तर दें। हमने 'अधिक जानिएं' की सूची में कुछ पुस्तकें भी शामिल की हैं, जो आपके आगे के परामर्श के लिए सहायक होंगी। इकाइयों की तैयारी में संदर्भित पुस्तकों को अंत में जोड़ा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, भाषा की दुनिया बहुत बड़ी है और इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि किसी इकाई को अपने आप में एक लक्ष्य न समझें। एक इकाई को आत्मनिर्भर बनाने के हमारे प्रयासों के बावजूद, हम सलाह देते हैं कि आपको किसी विशेष इकाई की सामग्री को पूरी तरह से समझने के लिए लेखकों के मूल ग्रंथों के साथ-साथ अन्य अतिरिक्त सामग्रियों को भी पढ़ना चाहिए।

इकाई 1 : हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम

इकाई की रूपरेखा

1.1 उद्देश्य

1.2 प्रस्तावना

1.3 अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप

1.4 हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम

- 1.4.1 प्राचीन काल
- 1.4.2 मध्य काल
- 1.4.3 आधुनिक काल

1.5 हिन्दी की क्रमागत उन्नति

- 1.5.1 आदिकाल (सन् 1000 से 1500 ई.)
- 1.5.2 मध्यकाल (सन् 1500 से 1800 ई.) और
- 1.5.3 आधुनिक काल सन् 1800 से आज तक)

1.6 सारांश

1.7 प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा)

1.8 अधिक जानने के लिए पढ़े

1.9 अभ्यास प्रश्न

1.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप –

- हिंदी भाषा के विकास क्रम के बारे में जान पाएंगे।
- प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में जान पाएंग।
- मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंग।
- आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के बारे में भी जान पाएंग।

1.2 प्रस्तावना

'हिंदी' जिस भाषा-धारा के विशिष्ट दैशिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। इसी से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होता हुआ हिंदी को वर्तमान रूप की प्राप्ति हुई है। हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम को अध्ययन करने से पहले आइए जान लेते है विभिन्न प्राकृतों से विकसित अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से, जो की बहुत ही महत्वपूर्ण है।

1.3 अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप

अपभ्रंश	आधुनिक भाषाएँ तथा उपभाषाएँ
शौरसेनी	पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती
पैशाची	लहंदा, पंजाबी
व्राचड़	सिन्धी
महाराष्ट्री	मराठी
मागधी	बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया
अर्धमागधी	पूर्वी हिंदी।

प्रस्तुत चार्ट को पढ़ने के बाद हमें थोड़ा आसान लगेगा हिंदी के विकास यात्रा को समझने के लिए।



महत्वपूर्ण बिंदु

हिंदी का वह रूप जो भारत के पूर्वी भू भाग में बोला जाता है, उसे पूर्वी हिंदी कहते हैं। जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी को दो भागों में विभाजित किया — पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी नाम देकर। पूर्वी हिंदी प्रमुख रूप से पूर्वी भारत में बोली जाती है, इसके अंतर्गत तीन बोलियां हैं — अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी।

1.4 हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम

भाषा के आधार पर यदि संसार की जातियों का वर्गीकरण किया जाए तो कहा जा सकता है कि एक तो आर्य जातियाँ है और दूसरी अनार्य जातियाँ। आर्यों के पूर्वज पूरे यूरोप, ईरान, अफ़ग़ानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप (जिसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका) में फैल हुए थे। यूरोप के 17वीं. से 18वीं. शताब्दी में, अर्थात् साम्राज्यवादी युग में, लोग कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में अपने उपनिवेश बनाकर रहने लगे। इन सब देशों के आदिवासियों पर यूरोपीय या आर्य परिवार की भाषाओं का इतना प्रभाव पड़ा है कि वहाँ की मूल भाषाएँ दब-सी गई हैं। अब इन देशों की सामान्य या मुख्य भाषाएँ आर्य परिवार की हैं। विद्वानों ने इस वृहत् परिवार का नाम भारत-यूरोपीय (भारोपीय) रखा है। संसार का सबसे बड़ा भाषा-परिवार यही है। विश्व की कुल 350 करोड़ जनसंख्या में इस भारोपीय (आर्य) परिवार की भाषाएँ बोलने वालों की संख्या 150 करोड़ हैं। साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये भाषाएँ अत्यंत प्रगतिशील, उत्कृष्ट और समृद्ध हैं। अत: आर्य भाषा के दो वर्ग हैं —1. यूरोपीय आर्य भाषाएँ और 2. भारत-ईरानी आर्य भाषाएँ। भारत-ईरानी वर्ग की तीन शाखाएँ हैं-

1. ईरानी (ईरान और अफ़ग़ानिस्तान की भाषाएँ),
2. दरद (कश्मीर और पामीर के पूर्व-दक्षिण की भाषाएँ), और
3. भारतीय आर्य भाषाएँ।

भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास लगभग साढ़े तीन हजार वर्षों का है। अर्थात् इनका इतिहास ईसा से लगभग पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व से प्रारम्भ होता है। धर्म, समाज, साहित्य, कला और सांस्कृतिक की दृष्टि से तथा प्राचीनता गंभीरता और वैज्ञानिकता के विचार से भारतीय आर्यभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ-ऋग्वेद इसी भाषा में है। विकास क्रम के अनुसार भारतीय आर्यभाषा को तीन कालों में बाँटा गया है —

1. प्राचीन काल (1500 ई.पू. से 500 ई.पू.)
2. मध्य काल (500 ई.पू. से 1000)
3. आधुनिक काल (1000 ई.पू. से वर्तमान)

1.4.1 प्राचीन काल

प्राचीन आर्यभाषा को दो भागों में बाँटा गया हैं—

1. वैदिक संस्कृत (1500 ई.पू. 1000)
2. लौकिक संस्कृत (1000 ई.पू.--500)

प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में वैदिक तथा संस्कृत प्रमुख मानी जाती है। ऋग्वेद से वैदिक संस्कृत का, वाल्मिकी रामायण से लौकिक संस्कृत का स्वरूप आभास हो जाता। पाणिनी ने 500 ई.पू. इस भाषा में व्याकरणिक रूप 'अष्टाध्यायी' की रचना की थी।

1.4.2 मध्य काल

मध्यकालीन आर्यभाषा को तीन भागों में बाँटा गया हैं-

1. पालि (500 ई.पू. - 1000),
2. प्राकृत (1000 ई. - 500 ई.) और
3. अपभ्रंश या अवहट्ट (500-1000 ई.)।

पालि

मध्यकालीन आर्यभाषाओं का युग पालि भाषा के उदय से आरंभ होता है। पालि शब्द की व्युत्पत्ति 'पल्ली' (ग्रामीण भाषा के शब्द), 'पाटलि' (पाटलिपुत्र अर्थात् मगध की भाषा), पंक्ति, पालि को पालनेवाली (अर्थात् बौद्ध साहित्य की रक्षा करनेवाली) आदि शब्द से माना गया है। लेकिन नाम से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह किस प्रदेश की मूल भाषा थी। मगध सम्राट अशोक के पुत्र महाराजकुमार महेंद्र पालि

साहित्य को तीन पिटारों (त्रिपिटक) में भरकर सिंहल (श्रीलंका) ले गए थे, अत: वहाँ के बौद्ध मानते हैं कि पालि मगध की भाषा है। परन्तु मागधी के जो लक्षण प्राकृत वैयाकरणों ने बताए हैं और अशोक के अभिलेखों में मिलते हैं, वे पालि से भिन्न हैं। यह पूर्व की भाषा नहीं जान पड़ती। विद्वानों ने मथुरा और उज्जैन के बीच के प्रदेश को इसका क्षेत्र माना है। यह भाषा इतनी व्यापक हो गई थीं कि अपना धर्म प्रचार करने के लिए भगवान बुद्ध ने इसें अपना माध्यम बनाया; भले ही इस पर मागधी बोली का प्रभाव अवश्य पड़ा है। कोई बोली जब साहित्य में स्थान पाती है तो उसमें अपने साथ कई बोलियों के तत्व समाहित हो जाते हैं। पालि भाषा के अध्ययन के प्रमुख आधार है- त्रिपिटक (बुद्ध वचन), टीका (अट्ठकथा), साहित्य,और वंश (ऐतिहासिक) साहित्य जो 11वीं शती तक बराबर लिखा जाता रहा है। अपने समय में पालि का प्रचार न केवल उत्तरी भारत में था अपितु बर्मा, लंका, तिब्बत, चीन की भाषाओं पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। प्राचीन आर्यभाषा से आधुनिक आर्य भाषाओं के क्रमिक विकास की बीच की स्थितियों को समझने के लिए पालि का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। संस्कृत ध्वनियों का जनसाधारण में कैसा उच्चारण होता था, उसकी व्याकरणिक जटिलताओं को सुलझाने के लिए लोक में क्या प्रयत्न हो रहा था, इन सब की जानकारी पहले-पहल पालि में प्राप्त होती है।

प्राकृत

'प्रकृते: आगतं प्राकृतम्' अर्थात् जो भाषा मूल से चली आ रही है उसका नाम 'प्राकृत' है। उस समय मूल भाषा क्या थी, इसके बारे में मतभेद है। हेमचंद्र, मार्कंडेय, सिंहदेव, आदि आचार्यों ने मूल भाषा संस्कृत और उससे उत्पन्न प्राकृत माने हैं। संस्कृत उस समय जन भाषा थी, वही विकसित-विकृत होते-होते प्राकृत प्रसिद्ध हुई। दूसरा विचार यह है कि प्रकृति का अर्थ स्वभाव होता है, तो जो भाषा स्वभाव से सिद्ध है, वह प्रकृत है। प्रकृति का एक अर्थ 'प्रजा' भी है। 'राजा' शब्द का निर्वचन करते हुए कालिदास ने लिखा है- राजा प्रकृतिरञ्जनात् अर्थात् 'राजा' इसलिए कहलाता है कि वह प्रकृति (प्रजा) का रंजन करता है, अपनी प्रजा को प्रसन्न रखता है। प्राच्य भाषाओं के एक विद्वान, पिशल भी मानते हैं कि प्राकृत की जड़ जनता की बोलियों के भीतर है। जनसाधारण की बोलियाँ तो युग-युग से चली आ रही हैं। वेस (वेष), दूलभ (दुर्लभ), दूडम (दुर्दम), सुवर्ग (स्वर्ग) आदि वेद के ये शब्द प्राकृत के ही तो हैं। कोई भी भाषा पहले जनभाषा होती है, साहित्य में पड़कर और समाज तथा शासन से मान्यता पाकर भाषा हो जाती है। ब्रजभाषा या खड़ी बोली कौरवी एक क्षेत्रीय बोली ही थी, साहित्य में आकर भाषा बन गई। जनभाषा ही मूल है, वही प्राकृत है।

प्राकृत में प्रचुर साहित्य मिलता है- धार्मिक भी, लौकिक भी। बौद्ध और जैन साहित्य प्रमुख रूप से मागधी और अर्धमागधी में, और लौकिक साहित्य शौरसेनी

(गध) और महाराष्ट्री (पध) में प्राप्त है। गौड़वहो और सेतुबंध जैसे महाकाव्य तथा गाथासप्तशती और वज्जालग्ग जैसे खंडकाव्य प्राकृत की बहुमूल्य संपत्ति हैं। एक समय कहा जाता था कि संस्कृत काव्य इसकी होड़ में पिछड़ गया है। इस साहित्य के आधार पर व्याकरण ग्रंथ लिखे गए जिनमें वररूचि कृत 'प्राकृत प्रकाश' और आचार्य हेमचंद्र का 'प्राकृत व्याकरण' प्रसिद्ध हैं। व्याकरणों ने प्राकृत भाषा में वैसी ही जकड़न ला दी जैसी पाणिनि, कात्यायन आदि वैयाकरणों ने संस्कृत में। तब यह भाषा लोकभाषा नहीं रह गई, शिक्षित वर्ग की भाषा बन गई, तो इसका स्थान अपभ्रंश और अवहट्ट ने ले लिया। वररूचि ने चार प्राकृतों का नाम लिया है- शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी और पैशाची। परन्तु, इनमें अर्ध-मागधी का नाम जोड़ देना आवश्यक है- इसमें भी भरपूर साहित्य मिलता है।

अपभ्रंश

अपभ्रंश मध्यकालीन आर्यभाषा की तीसरी अवस्था का नाम है। व्याडि और महाभाष्यकार पंतजलि ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी। वाग्भट्ट और आचार्य हेमचन्द्र ने अपभ्रंश को ग्रामभाषा कहा है। कुछ विद्वानों ने इसे देशी भाषा कहा है। दण्डी ने इसे आभीरादि की भाषा कहा है। गुर्जर, आभीर, जाट आदि अनेक जातियाँ जो बाहर से आकर पश्चिमी भारत में बस गई थीं, आरम्भ में भारतीय संस्कृति में दीक्षित नहीं हो पाई थीं, इसलिए उनकी भाषा को अपभ्रष्ट समझा जाता था। धीरे-धीरे उन पर शौरसेनी प्राकृत का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनकी भाषा को मान्यता दी जानी लगी। राजसत्ता पाने के दौरान ये लोग 'राजपुत्र' कहलाने लगे। राजसत्ता के साथ अपभ्रंश का विस्तार भी हुआ और यह भाषा राजभाषा ही नहीं, साहित्य-भाषा और देशभाषा बन गई।

सातवीं शती से लेकर ग्यारहवीं शती के अंत तक इसकी विशेष उन्नति हुई। मार्कण्डेय और अन्य आचार्यों ने अपभ्रंश के कुल तीन भेद बताये हैं- नागर (गुजरात की बोली), उपनागर (राजस्थान की बोली), व्राचड (सिंध की बोली)। इस प्रसंग में यह भी बताया गया है कि राजस्थानी अपभ्रंश की बेटी हैं। अपभ्रंश को आभीर-गुर्जर आदि की भाषा कहते आ रहे हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि यह उत्तर-पश्चिमी भूखंड की भाषा थी। यह सही है कि साहित्यिक भाषा बनने पर इसने विस्तार पाया और धीरे-धीरे आस-पास की प्राकृतों को प्रभावित किया, सबसे अधिक शौरसेनी को। इसी से माना जा सकता है कि हिन्दी के विकास में इसका विशेष योगदान है। कालिदास के नाटकों में कुछ पात्रों के कथन अपभ्रंश में हैं। आठवीं शती में सिद्धों के चर्यापदों में पूर्वी प्राकृत मिश्रित अपभ्रंश मिलती है। इसी समय के आस-पास चरित काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य, रासो काव्य, खण्डकाव्य और स्फुट कविताएँ मिलती हैं। इनमें महापुरण, जसहर चरिउ, णायकुमार चरिउ, पाहुड़ दोहा आदि रचनाएँ हैं।



महत्वपूर्ण बिंदु

कीर्तिलता को विद्यापति ने कहाणी कहा है। 'कीर्तिलता' और 'कीर्तिपताका' इनकी अवहट्ट रचनाएँ हैं, जिनमें इनके आश्रयदाता कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता और गुण ग्राहकता का वर्णन कीर्तन किया गया है। परवर्ती अपभ्रंश को ही संभवत: विद्यापति ने 'अवहट्ठ' कहा है।

अवहट्ट

भाषा परिवर्तनशील है। कोई भाषा जब साहित्य का माध्यम होकर एक प्रतिष्ठित रूप ग्रहण करती है और व्याकरण के नियमों में बंध जाती है, तब वह जनभाषा से दूर हो जाती है। अपभ्रंश की भी यही गति हुई। अपभ्रंश के ही परिवर्तित रूप को अवहट्ट कहा गया है। ग्यारहवीं से लेकर चौदहवीं शताब्दी के अपभ्रंश कवियों ने अपनी भाषा को अवहट्ट कहा है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने 'वर्ण रत्नाकर' में किया। 'प्राकृत पैंगलम' की भाषा को उसके टीकाकार वंशीधर ने अवहट्ट माना है। संदेशरासक के रचियता अब्दुर्रहमान ने भी अवहट्ट भाषा का उल्लेख किया है। मिथिला के विद्यापति ने अपनी कृति 'कीर्तिलता' की भाषा को अवहट्ट कहा है। इन सबने जिन भारतीय भाषाओं के नाम गिनाये हैं- संस्कृत, प्राकृत, मागधी, शौरसेनी, पिशाची उनमें या तो अपभ्रंश नाम लिया या अवहट्ट। दोनों को एक साथ नहीं रखा। इससे लगता है कि अपभ्रंश और अवहट्ट में कोई भेद नहीं समझा गया।

आधुनिक भाषाविज्ञानियों ने तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर अवहट्ट को उत्तरकालीन या परवर्ती अपभ्रंश माना है और बताया गया है कि निश्चय रूप से अवहट्ट में ध्वनिगत, रूपगत और शब्द संबंधी बहुत से तत्व ऐसे हैं जो इसे पूर्ववर्ती अपभ्रंश से अलग करते हैं। कीर्तिलता के अतिरिक्त वर्णरत्नाकर और प्राकृत पैंगलम के कुछ अंश, नाथ और सिद्ध साहित्य, नेमिनाथ चौपाई, बहुबलि रास, आदि अवहट्ट की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

1.4.3 आधुनिक काल

आधुनिक भारतीय भाषाओं के काल का प्रारम्भ दसवीं शताब्दी से माना जाता है। इन भाषाओं की उत्पत्ति प्राकृत से मानी जाती है तथा इनका सम्बन्ध किसी-न-किसी रूप में अपभ्रंश से जोड़ा जाता है, यथा:

संस्कृत→ प्राकृत → अपभ्रंश → आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ। आधुनिक काल की भाषाएँ अनेक हैं, हिन्दी, बंगाली, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी,

सिंधी, आदि। भाषाविदों के मत में उस समय के शोरसेनी, पेशाची, ब्राचड़, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंशों से ही आधुनिक आर्य भाषाएँ विकसित हुई हैं। हिन्दी उनमें से एक है जो सब भारतीय आर्य भाषाओं की बड़ी बहन है, और सबसे अधिक जनसमूह द्वारा बोली-समझी जाती है।

1.5 हिन्दी की क्रमागत उन्नति

हिन्दी की तीन कालक्रमिक स्थितियाँ हैं :-

1. आदिकाल (सन् 1000 से 1500 ई.),
2. मध्यकाल (सन् 1500 से 1800 ई.) और
3. आधुनिक काल सन् 1800 से आज तक)।

1.5.1 आदिकाल (सन् 1000 से 1500 ई.)

आधुनिक आर्यभाषा हिन्दी का आदिकाल अपभ्रंश तथा प्राकृत से अत्यधिक प्रभावित था। आदिकालीन नाथों और सिद्धों ने इसी भाषा में धर्म प्रचार किया था। इस काल में हिन्दी में मुख्य रूप से वही ध्वनियाँ मिलती हैं जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थीं। अपभ्रंश के अलावा आदिकालीन हिन्दी में 'ड़', 'ढ़' आदि ध्वनियाँ आई हैं। मुसलमान शासकों के प्रभाव से अरबी तथा फारसी के कुछ शब्दों के कारण भी कुछ नए व्यंजन- ख,ज, फ, आदि आ गए। ये व्यंजन अपभ्रंश में नहीं मिलते थे। अपभ्रंश के तीन लिंग थे। प्राचीन हिन्दी में नपुंसक लिंग समाप्त हो गया। प्राचीन काल में चारण भाटों ने इसी भाषा में डिंगल साहित्य अर्थात् 'रासों' ग्रंथों का निर्माण किया।

1.5.2 मध्यकाल (सन् 1500 से 1800 ई.)

इस काल में अपभ्रंश का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया और हिन्दी की तीन प्रमुख बोलियाँ विशेषकर अवधी, ब्रज तथा खड़ी बोली स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आने लगी। साहित्यिक दृष्टि से इस युग में मुख्यत: ब्रज और अवधी में साहित्य निर्माण हुआ। कृष्णभक्ति शाखा के संत कवियों ने ब्रज भाषा में अपने ग्रंथों का निर्माण किया तथा रामभक्ति शाखा के कवियों ने अवधी भाषा में अपनी रचनाओं का निर्माण किया। इसके साथ ही प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी कवियों ने भी अवधी में अपनी रचनाएँ लिखीं। ब्रज तथा अवधी के साथ-साथ खड़ी बोली का भी प्रयोग इस युग में काफी पनपा। मुसलमान शासकों के प्रभाव से खडी़ बोली में अरबी तथा फारसी शब्द प्रचलित हुए और उसके विकास का श्रीगणेश हुआ।

1.5.3 आधुनिक काल (सन् 1800 से आज तक)

अठारहवीं शती में ब्रज तथा अवधी भाषा की शक्ति तथा प्रभाव क्षीण होता गया और राजनीतिक परिवर्तनों के कारण उन्नीसवीं शती के प्रारम्भ से ही खड़ी बोली का मध्य प्रदेश की हिन्दी पर भारी प्रभाव पड़ा। बोलचाल, राजकाज तथा साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली हिन्दी का व्यापक पैमाने पर प्रयोग होने लगा था। भाषाविज्ञान की दृष्टि से हिन्दी भाषा के पाँच उपभाषा वर्ग माने गए हैं:

1. **पश्चिमी हिन्दी** — इसके अंतर्गत कौरवी अथवा खड़ी बोली, बांगरू अथवा हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी एवं बुंदेली आते है।
2. **पूर्वी हिन्दी** — इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तिसगढ़ी आते है।
3. **बिहारी हिन्दी** — इसके अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, मगही बोलियाँ आती हैं।
4. **राजस्थानी हिन्दी** — इसके अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाड़ी, और मालवी आदि बोलियाँ आती हैं।
5. **पहाड़ी हिन्दी** — इसके अंतर्गत मुख्य पश्चिमी पहाड़ी तथा मध्यवर्ती पहाड़ी रूप जैसे- गढ़वाली तथा कुमाउँनी बोलियाँ आती हैं।



अपनी प्रगति जाँचें

प्रश्न 1: भारतीय आर्य भाषा की व्याख्या करें।

प्रश्न 2: पहाड़ी हिंदी से आप क्या समझते है?



1.6 सारांश

हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। यह हिन्दुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप है। जिसका इतिहास लगभग एक सहस्र वर्ष पुराना माना गया है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया जाता है। वर्तमान इसका जो विशुद्ध रूप है, वर्तमान भारत की व्यक्ति, जाति-समाज की अभिव्यक्ति का साधन है।



1.7 प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा)

प्रश्न 1 का उत्तर : भारतीय आर्य भाषाएँ' भारत - ईरानी शाखा की एक उपशाखा है । यह भाषाएँ दक्षिण एशियाई राज्य भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में बोली जाती

है। भारत में कई अन्य भाषा परिवारों की भाषाएँ भी बोली जाती हैं जिनमें द्रविडियन, तिब्बतो बर्मन, मुंडा तथा ऑस्ट्रो- एशियाटिक परिवार आते हैं। अधिक जानने के लिए इकाई को ध्यान से पढ़े।।

प्रश्न 2 का उत्तर : पहाड़ी हिन्दी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाती है। वर्तमान में इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड जैसे राज्य आते हैं। अपभ्रंश से ही पहाड़ी हिन्दी भी विकसित हुई है। अन्य बोलियों की तरह इसका उद्‌भव खुस अपभ्रंश से हुआ है। ज्यादा जानने के लिए आप 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' देख सकते है।



1.8 अधिक जानने के लिए पढ़े

1) डॉ. भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, किताब महल।

2) डॉ. एच. परमेश्वरन, हिंदी भाषा और लिपि, वाणी प्रकाशन, दिल्ली।

3) रामकिशोर शर्मा, हिंदी भाषा और लिपि, राजकमल प्रकाशन।



1.9 अभ्यास प्रश्न

(क) संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. महाराष्ट्री का क्षेत्रीय रूप क्या है?
2. भारतीय आर्यभाषा के कितने वर्ग है?
3. 'प्राकृत में रचित साहित्य कौन कौन-सा हैं? (दो तीन नाम उल्लेख कीजिए)
4. 'हिन्दी की तीन कालक्रमिक स्थितियाँ कौन कौन-सी है?

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1. हिंदी भाषा की उद्भव और विकास पर एक आलेख प्रस्तुत कीजिए।
2 प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं से आप क्या समझते हैं- सतर्क उत्तर दीजिए।
3. हिंदी की क्रमागत उन्नति में तीन कालों के महत्व को दर्शाइए।

*** ***** ***

इकाई 2 : हिंदी भाषा का भौगलिक विस्तार

इकाई की रूपरेखा

2.1 उद्देश्य

2.2 प्रस्तावना

2.3 हिंदी का अभिप्राय

2.3.1 स्वरूप

2.3.2 व्यवहार-क्षेत्र

2.4. पूर्वी हिंदी की बोलियों का परिचय एवं विशेषताएँ

2.5. पश्चिमी हिंदी की बोलियों का परिचय एवं विशेषताएँ

2.6 सारांश

2.7 प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा)

2.8. प्रस्तुत अध्याय से हमने क्या सीखा

2.9 अधिक जानने के लिए पढ़े

2.10 स्वनिरीक्षण का पुनर्निरीक्षण

2.11 अभ्यास प्रश्न

2.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप –

- हिंदी भाषा के भौगोलिक विस्तार का ज्ञान हासिल करेंगे।
- हिंदी का अभिप्राय और इसके व्यवहार के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
- पूर्वी हिंदी की बोलियां एवं उनकी विशेषताओं के बारे में जान पाएंगे।
- पश्चिमी हिंदी की बोलियां एवं उनकी विशेषताओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।

2.2 प्रस्तावना

पिछली इकाई में हमने हिंदी भाषा के विकास क्रम को जाना। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस इकाई में हम हिंदी का स्वरूप, व्यवहार क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे और पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाले बोलियों का भी अध्ययन करेंगे।

सबसे पहले हिंदी शब्द का अभिप्राय क्या है उसे समझाना जरूरी है। यूं तो हिंदी भारत की राजभाषा है और भारत के कई हिस्सों में लोग यह दावा करते हैं की हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा भी है। यह कथन वस्तुत: सत्य नहीं है, परंतु इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता है कि भारत के लगभग सभी हिस्सों में हिंदी बोली और समझी पानी हैं। समस्त भारत में सबसे अधिक बोली

जाने वाली भाषा हिंदी के, कई रूप पाए जाते हैं। प्रस्तुत इकाई में उन रूपों में से पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी पर मूल रूप से प्रकाश डाला गया है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इस प्रकार पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों के कुछ नाम इस प्रकार हैं –बांगरू, खड़ीबोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली।



महत्वपूर्ण बिंदु

हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की यात्रा को विद्वानों ने संस्कृत, पालि, प्राकृत और अपभ्रंश के रूप में देखने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार, ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदी भाषा के विकास की कहानी आरंभ होती है। ग्यारहवीं सदी से अपनी यात्रा आरंभ कर आज हिंदी हमारे सामने जिस रूप में है उससे हम सभी परिचित हैं।

2.3 हिंदी का अभिप्राय

हिंदी शब्द का संबंध प्राय संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार हिंदी शब्द का प्रयोग आज मुख्य रूप में तीन अर्थों में हो रहा है। प्रथम – हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 17 बोलियों को हिंदी माना जाता है। द्वितीय – भाषा विज्ञान में पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी मानते हैं। तृतीय – हिंदी शब्द कि सबसे संकुचित खड़ी बोली साहित्य, जो आजकल भारत की राजभाषा हिंदी के नाम में भी नाम से भी जानी जाती है। जो हिंदी आज सरकारी कार्यालय समाचार पत्र, फिल्मों आदि में प्रयोग किया जाता है और जिनको हिंदी प्रदेश के शिक्षा का माध्यम बनाया गया है उस परिनिष्ठित हिंदी या मानक हिंदी को ही कई लोग हिंदी समझते हैं।

2.3.1 स्वरूप एवं व्यवहार क्षेत्र

ऊपर लिखित हिंदी का प्रथम अर्थ हिंदी की सीमा को बताते हुए व्यवहार क्षेत्र की ओर भी इशारा करती है। जहां हिंदी की पांच उपभाषाएं और 17 बोलियों पाई जाती हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी भाषा के तीन भौगोलिक क्षेत्र माने जा सकते हैं। हिंदी क्षेत्र, अन्य भाषा क्षेत्र और भारतेतर क्षेत्र। हिंदी भाषा के पांच वर्ग किए जाते हैं और उन्हें हिंदी की उपभाषाएँ कही जाती है। उसके बाद जो उपभाषाओं के उपभाग होते हैं वे उन उपभाषाओं की बोलियों कहलाती है। नीचे हिंदी भाषा के पाँच उपभाग और उनकी बोलियो उल्लेख की जा रही हैं –

1. बिहारी
2. पूर्वी हिंदी

3. पश्चिमी हिंदी
4 पहाड़ी और
5. राजस्थानी
6. (1)बिहारी: मैथिली, मगही, भोजपुरी
7. (2) पूर्वी हिंदी: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी
(3) पश्चिमी हिंदी: बांगरू, खड़ीबोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली
(4) पहाड़ी: गढ़वाली, कुमाऊनी
(5) राजस्थानी: मारवाड़ी,मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी

इन पांच उपभाषाओं में से प्रस्तुत इकाई में पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की बोलियां के बारे में हम संक्षिप्त रूप से जानने की कोशिश करेंगे।

2.4 पूर्वी हिंदी की बोलियों का परिचय एवं विशेषता

यह भाषा क्षेत्र बिहारी और पश्चिमी हिंदी क्षेत्र के मध्य में पड़ता है। इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। इनका क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बघेलखंड, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर तथा मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। उत्तर प्रदेश में बनारस और हमीरपुर क्षेत्र, साथ ही बुंदेलखंड के मिर्जापुर जिला का कुछ भाग तथा बघेलखंड और छोटा नागपुर का पूरा क्षेत्र पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में आता हैं। पूर्वी हिंदी की सभी बोलियों की उत्पत्ति अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है।

चलिए पूर्वी हिंदी की बोलियों का परिचय और विशेषताएं जान लेते हैं -

अवधी : पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जनश्रुतियों के अनुसार राम की जन्मभूमि अयोध्या के निकटवर्ती क्षेत्र की बोली अवधी रही है। अवधी भाषा की सीमाएं- पश्चिम में पश्चिमी हिंदी की कन्नौजी और बुंदेली से टकराती है, पूरब में भोजपुरी से, अवधी की उत्तरी सीमा पर नेपाल की बोलियां है और दक्षिण में मराठी। इसका प्रचलन क्षेत्र लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा आदि में है। इसके अतिरिक्त मिर्जापुर, जौनपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, आदि के कुछ हिस्सों में भी अवधी बोली जाती है, परंतु यहां अवधी बोली के मिश्रित रूप का व्यवहार होता हैं।

अवधी शब्द का शाब्दिक अर्थ है अवध या अवध संबंधी, किंतु साहित्य में इसका अर्थ अवध प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा के संदर्भ में किया जाता है। अवधी भाषा का हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहां मध्ययुगीन साहित्य की प्रमुख भाषा रही है। अनेक भक्त कवियों ने इस भाषा को अपने काव्य रचना का माध्यम बनाया था और उत्तम काव्यों की रचना की थी। मध्यकाल के महाकवि तुलसीदास ने अपनी सर्वोच्च रचना रामचरितमानस के लिए अवधी को ही चुना था। इसमें जो रागतत्त्व और मधुरता निहित है, वह अन्यत्र दुर्लभ है।

इसी कारण अवधी में लिखी जाने वाली कविता को गाया जा सकता है। इसके अलावा जायसी, कुतुबुद्दीन, मुल्ला दाऊद आदि ने भी अवधी में उत्कृष्ट साहित्य की रचना की है। अवधी की अपनी एक समृद्ध लोक साहित्य की परंपरा भी रही है।

अवधी की विशेषताएं

1. अवधी में पाई जाने वाली विशेषता कुछ इस प्रकार हैं - ऐ औ का अइ, अउ या अए, अओ उच्चारण,
2. संज्ञा के तीन रूप (घोर, घोरवा घोरौना), ह का प्रयोग (सईस का सहीस, इच्छा का हिच्छा),
3. र का प्रयोग (पसंद का परसंद, वियोग का विरोग),
4. कुछ में महाप्राणीकरण (पुन: का फुन, पेड़ का फेड़)
5. व का ब (विद्यार्थी का बिद्यार्थी), मौसी का मौसियां आदि।
6. इसकी मुख्य बोलियां बैसवाड़ी, मिर्जापुरी और बनौधी हैं।
7. अवधी के व्यक्तिवाचक सर्वनाम कारक चिन्ह कुछ इस प्रकार हैं - मैं, ते, वह, वह, सो, ऊ।

बघेली - बघेली मूलत: राजपूतों की भाषा रही है। अपनी स्थानीय विशेषता के कारण बघेलखंड में बोले जाने वाली बोली को बघेली कहा जाता है। इस प्रदेश का मुख्य स्थान रीवां राज्य तथा उसके आसपास के इलाका है। अत: बघेली बोली को स्थानीय लोग रिवांई भी कहते हैं। इसका क्षेत्र कुछ इस प्रकार हैं- मंडवा जिले में मिर्जापुर तथा जबलपुर की कुछ भागों में, फतेहपुर,बांदा, हमीरपुर के संधि स्थल पर यह बोला जाता है। इस बोली को बोलने वाले लोगों की संख्या पराया 47 लाख के ऊपर है, इस भाषा में साहित्य सृजन भी हुआ है और युवा साहित्यकार इस पर काम कर रहे हैं।

बघेली की विशेषताएं- बघेली में हिंदी से कुछ पृथक प्रयोगों का भी प्रचलन देखा जाता है।

1. जैसे **क्या** के लिए **काह** रूप प्रचलित है और **कोई** के लिए **कउनी** और **कोऊ** रूप प्रचलित है।
2. साथ ही सहायक क्रियाओं का रूप कुछ इस प्रकार हैं -एक वचन: हूं, आं, बहुवचन : है।
3. एकवचन: है, बहुवचन : हौ, अहेन आदि।

छत्तीसगढ़ी- मुख्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा। इस बोली को **लरिया** या **खल्टाई** इन दोनों नाम से भी जाना जाता हैं। जिला बालाघाट में इसे खलौटी भी कहते है। इसका क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले रायपुर और बिलासपुर एवं संबलपुर जिले के पश्चिमी भाग कांकेर, राजनंदगांव, खैरागढ़, चांदा नगरों तक है, जहां शुद्ध छत्तीसगढ़ी का प्रचलन होता है। छत्तीसगढ़ के निकट बसने वाले उड़ीसा के कुछ भागों में भी छत्तीसगढ़ी बोलने वाले लोग रहते हैं अन्य सीमांत प्रदेशों में भी छत्तीसगढ़ी का मिश्रित रूप प्रचलित है इस भाषा का अपना साहित्य समृद्ध है और अब भी छत्तीसगढ़ी में युवा साहित्यकार

काम कर रहे हैं। इसको बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 40 लाख से ऊपर है।

छत्तीसगढ़ी की विशेषताएँ :

छत्तीसगढ़ी की दो चार प्रवृत्ति ऐसी है जो अन्य बोलियां या हिंदी से अलग है, जिससे उसकी एक अपनी पृथक पहचान बनती है।

1. इसमें हिंदी के तद्भव रूपों का प्रचलन अधिक है।
2. यहां संज्ञा के बहुवचन रूप बनाते समय मन प्रत्यय का संयोग विकल्प के साथ किया जाता है, जैसे: मनुष्य का मनुख-मन।
3. यहां बहुवचन में अन प्रत्यय के रूप भी देखे जाते हैं, जैसे: बाईला (बैल) का बाईलन।
4. संज्ञा रूप के साथ परसर्ग भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे: कर्म+संप्रदान कारक = का, ला, बर।
5. यहां सर्वनाम के रूपों में भी वैविध्य पाया जाता है।
6. यहां अव्यय रूप भी बड़े विचित्र है।
7. यहां सकर्मक और अकर्मक क्रिया रूप एक जैसे ही चलते हैं।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ी बोली अपना एक अलग ही महत्व और विशेषता रखती है।

2.5 पश्चिमी हिंदी की बोलियों का परिचय एवं विशेषताएँ

पश्चिमी हिंदी का विकास शैरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां है, बांगरू, खड़ीबोली, ब्रजभाषा, कनौजी और बुंदेली। इन पांच बोलियों का एक समृद्ध इतिहास तथा साहित्य भंडार उपलब्ध हैं।

बांगरू : हरियाणा प्रदेश में बोले जाने के कारण इसे हरियाणवी या हरियाणवी भी कहते हैं। कुछ लोग इसे जाटू बोली भी कहते हैं। इस बोली का भौगोलिक क्षेत्र कुछ इस प्रकार हैं - दिल्ली, करनाल, रोहतक और हिसार। पटियाला, नाभा और जींद रियासतों के कुछ गांवों में इसका मिश्रित रूप प्रचलित है। इसे बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 22 लाख से भी ऊपर हैं। इस बोली की मौलिक रचनाएं प्राप्त है जिनमें से लोग साहित्य अधिक है।

बांगरू बोली की विशेषताएँ :

1. ल का ठ जैसा प्रयोग होना (काठ्ठा, माठ्ठा)
2. एक व्यंजन के स्थान पर द्वित व्यंजन का व्यवहार होता हैं, जैसे: बाब्बू, भीत्तर, गाड्डी।
3. न का ण हो जाना, जैसे: होणा
4. ड़ का ड हो जाना, जैसे: बड़ा का बडा
5. को कारक चिन्ह के स्थान पर ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे: राम को जाना है के स्थान पर राम ने जाना है बोला जाता है।
6. सर्वनाम के रूप यहां कठिन होते हैं।
7. क्रिया रूपों में भी कई सारें विक्ल्प पाए जाते हैं।

खड़ीबोली : यह दरअसल हिंदी का मानक रूप है। भारत की राजभाषा में जिस हिंदी का उल्लेख किया जाता है वह इसी खड़ी बोली का विकसित रूप है। परंतु हम यहां इसकी चर्चा पश्चिमी हिंदी की बोली के रूप में करेंगे। इसका भौगोलिक क्षेत्र हैं, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तथा देहरादून जिले का मैदानी हिस्सा है। यह सभी दृष्टियों से यह एक संपन्न साहित्यिक भाषा है। आधुनिक युग के साहित्यकारों ने खड़ी बोली हिंदी को ही अपने साहित्य सृजन की भाषा बनायी है। आधुनिक युग से लगातार अब तक खड़ी बोली में साहित्य रचा जा रहा हैं। दूसरी तरफ राजभाषा की दृष्टि से भी खड़ी बोली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हिंदी में देखा जा सकता है। खड़ी बोली अब अत्यंत जनप्रिय भाषा के रूप में जानी जाती है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई अलग-अलग देश में यह बोली जाती है। इसके बोलने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब अनुमानिक लगभग 40 करोड़ से अधिक लोग इसे बोलते हैं।

खड़ीबोली की विशेषताएं:

1. बोलचाल की खड़ी बोली और साहित्यिक हिंदी में अंतर है। साहित्यिक हिंदी में ऐ और औ का भी प्रचलन है, जबकि बोलचाल में दोनों एक जैसे ही उच्चारण किए जाते हैं।
2. बोलचाल में यहां मूर्धन्य व्यंजन वर्णों का अधिक प्रयोग होता है। जैसे न का ण यहां होता है।
3. ड, ढ कही कही ड़, ढ़ के रूप में भी बोले जाते हैं।
4. स्वराघात वाले दीर्घ स्वर के बाद व्यंजन का द्वित्व हो जाना और दीर्घ स्वर का ह्रस्व हो जाना, जैसे- गाड़ी का गाड्डी, जाता का जात्ता, भूखा का भूक्खा आदि।
5. संकेत वाचक सर्वनाम के कर्ताकारक के स्त्रीलिंग रूप यहां पाये जाते हैं। जैसे: यूं, यह का या हो जाना।
6. क्रिया रूपों में यहां भी काफी विकल्प पाए जाते हैं, जैसे: खाएगा का खागा, जाऊंगा का जांगा आदि।

कन्नौजी : कन्नौज नामक भू-भाग के नाम पर ही इस बोली नाम पड़ा है कन्नौजी। यह शहर फर्रुखाबाद जिले के निकट पड़ता है और इसका एक पुराना इतिहास भी है। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र अवधी और ब्रजभाषा के मध्य का है। इसकी सीमा इटावा, फर्रुखाबाद तथा शाहजहांपुर जिले के उत्तर तक फैला हुआ है। कानपुर तथा हरदोई में भी इसे बोला जाता है। कानपुर की कन्नौजी में बुंदेली बोली का प्रभाव देखा जाता है। यहां ब्रजभाषा के इतने समीप है कि कुछ विद्वानों ने इसे ब्रजभाषा की उपबोली माना है। इस भाषा में लिखित लोक साहित्य ही अब तक प्राप्त हुआ है। कन्नौजी बोलने वालों की संख्या लगभग 45 लाख के ऊपर हैं।

कन्नौजी की विशेषताएँ :

1. उकारांतता कनौजी की एक विशेषता है, जैसे: खातु, घरु, सबु
2. ओकारांतता का प्रयोग यहां देखा जाता है, जैसे: हमारो, हमाओ

3. अतीत की सहायक क्रिया का रूप यहां हतो या थो है।
4. इसके कुछ क्रिया रूप बुंदेली की तरह ही चलते हैं जैसे: लओ, गओ आदि।

बुंदेली : यह बुंदेलखंड में बोले जाने वाली बोली है। बुंदेली को बुंदेलखंडी भी बोला जाता है। यहां राजपूतों की प्रधानता रही है। इस बोली की भौगोलिक सीमा कुछ इस प्रकार है – ठेठ उत्तर में यमुना के किनारे तक, उत्तर पश्चिम में चंबल नदी तक, दक्षिण में जबलपुर और सागर की सीमा तक और दक्षिण पूर्व में रीवा और मिर्जापुर के पर्वतों तक यह बुंदेली बोली जाती हैं। इस प्रदेश के अधिकतर साहित्य रचनाकारों ने अपने काव्य के लिए ब्रजभाषा को ही अपनाया था। परंतु उसे ब्रज भाषा में बुंदेली का प्रभाव था। यू तो बुंदेली प्रदेश में भाषागत विशेषता अधिक नहीं देखी जाती है। कहां जाता है की आल्हा खंड का मूल रूप बुंदेली भाषा में ही लिखा गया था। हिंदी के कवि केशवदास की रामचंद्रिका पर बुंदेली भाषा का गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। इस बोली को बोलने वालों की संख्या लगभग 70 लाख से भी ऊपर मानी जाती है।

बुंदेली की विशेषताएँ :

1. ह्रस्व ए और ओ का उच्चारण यहां इ और य, उ के रूप में होता हैं, जैसे: घोरो का घुरवा।
2. ऐ, औ बदलकर यहां एक, ओ बन जाते हैं, जैसे : और का ओर हो जाना।
3. व्यंजनों में ड़ का उच्चारण र में होता है, जैसे : घुड़वा का घुरवा हो जाना।
4. कहीं–कहीं आपका स्थान पर आई का भी प्रयोग होता है।
5. दो स्वरों के बीच कहा यहां लुप्त हो जाता है। जैसे : परिहा का पैरा हो जाना।
6. क्रिया रूपों के प्रयोग में भी यहां विचित्रता देखने को मिलती है।

ब्रजभाषा : हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल में सबसे अधिक अपनाई जाने वाली भाषा थी ब्रजभाषा। महाकवि सूरदास ने ब्रजभाषा में अपनी समस्त रचनाएँ रची थी। केवल सूरदास जी नहीं, उस समय के तथा उसके परवर्ती रीतिकालीन कवियों ने भी ब्रजभाषा के शुद्ध रूप को अपनाया था। इस दृष्टि से ब्रजभाषा का साहित्य अत्यंत समृद्ध और विस्तृत है। आज भी यहां पर अनेकों साहित्य लिखे जा रहे हैं, और शोध कार्य भी किया जा रहा हैं। इसका दूसरा नाम ब्रजभाखा भी है। यह मूलत: ब्रजमंडल की भाषा है इसका मुख्य क्षेत्र मथुरा माना जाता है। यह आगरा, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद तथा इटवा जिलों में बोली जाती है। दक्षिण में भरतपुर का अधिकांश भाग, धौलपुर, करौली, ग्वालियर का कुछ भाग, जयपुर के पूर्वी भाग तक यह बोला जाता है। उत्तर में गुड़गांव का पूर्वी भाग इस में शामिल है। उत्तर पूर्व में बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी के अतिरिक्त बरेली और नैनीताल की सीमाओं में भी ब्रजभाषा बोली जाती है। लगभग 80 से 90 लाख लोग इसके द्वारा भाव विनिमय कर सकते हैं। समझने वालों की संख्या इससे कई अधिक है।

ब्रजभाषा की विशेषताएँ :

1. ब्रजभाषा में कही कही नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाता है, ग्रामीण ब्रजभाषा में इसका अधिक प्रयोग देखने को मिलता है।

2. ब्रज भाषा में 12 स्वर ध्वनियों का प्रयोग किया जाता हैं।
3. ब्रजभाषा में आ के स्थान पर औ प्रत्यय के प्रधानता है।
4. यहां खड़ी बोली के आकारांतता के स्थान पर ओकारांतता का प्रयोग होता है, जैसे: आयो, भलो, दूजो, करेगो आदि।
5. यहाँ व्यंजनांत के स्थान पर उकारान्त हो जाता है, जैसे: सबु, मालु आदि।
6. ब्रजभाषा की सबसे बड़ी और अनोखी विशेषता यह है कि एक बोली होते हुए भी इसे भाषा कहा जाता है।



अपनी प्रगति जाँचें

प्रश्न 1: पश्चिमी हिंदी की प्रमुख विशेषता क्या है?

प्रश्न 2: पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म क्या है?



2.6 सारांश

हिंदी भाषा का भौगोलिक क्षेत्र विशाल है और समृद्ध भी है। मोटे तौर पर इसे तीन हिस्सों में बांटा जा सकता हैं। हिंदी भाषा क्षेत्र, अन्य भाषा क्षेत्र और भारतेतर क्षेत्र। हिंदी की प्रमुख पांच उपभाषाएं हैं और उनकी 17 बोलियों हैं। प्रस्तुत इकाई में हमने पूर्वी हिंदी के तीन बोलियां और पश्चिमी हिंदी के पांच बोलियां का विस्तृत अध्ययन किया। पूर्वी और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली सभी बोलियां का अपना एक इतिहास और अपनी विशेषता है, जिसके कारण वह प्रसिद्ध है। उन बोलियां में ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली का साहित्य भंडार अधिक समृद्ध है। ब्रजभाषा और अवधी भक्तिकालीन साहित्य की भाषा रही हैं। खड़ी बोली का विकसित रूप मानक हिंदी होने के साथ-साथ भारत की, राजभाषा के पद में आसीन होनेवाली भाषा बन चुकी है।



2.7 प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा)

प्रश्न 1 का उत्तर : जानने के लिए पश्चिमी हिंदी की बोलियों का परिचय एवं विशेषचाएँ पढ़ें।

प्रश्न 2 का उत्तर : ब्रजभाषा और बुन्देली है। अधिक जानकारी के लिए ऊपर देखिए।

2.8 प्रस्तुत अध्याय से हमने क्या सीखा

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन से हमने सीखा कि,

1. हिंदी शब्द के कई अर्थ प्रचलित हैं।
2. पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियाँ और उनकी विशेषताएँ पश्चिमी हिंदी की बोलियां की तरह नहीं है।
3. अवधी, ब्रज और खड़ी बोली में पर्याप्त साहित्य मिलते हैं और आज भी लिखे जा रहे हैं।



2.9 अधिक जानने के लिए पढ़े

1. डॉ. भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, किताब महल।
2. डॉ. एच. परमेश्वरन, हिंदी भाषा और लिपि, वाणी प्रकाशन, दिल्ली।
3. रामकिशोर शर्मा, हिंदी भाषा और लिपि, राजकमल प्रकाशन।

2.10 स्वनिरीक्षण का पुनर्निरीक्षण

1. पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में क्या अंतर है?
2. हिंदी शब्द से क्या अभिप्राय है?
3. आपके अनुसार हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र कितना बड़ा है?
4. खड़ी बोली को हिंदी का मानक रूप क्यों कहा जाता है?



2.11 अभ्यास प्रश्न

(क) संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. हिंदी शब्द का संबंध प्राय किससे माना जाता है?
2. हिंदी भाषा के पांच उपभाग कौन कौन से है?
3. 'अवधी' की एक विशेषता बताइए?
4. 'ब्रजभाषा की डाक' विशेषता उल्लेख कीजिए?

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1. हिंदी भाषा की कितनी उपभाषा और बोलियाँ मानी जाती है?
2. राजस्थानी भाषा की बोलियां का नाम लिखिए।
3. पूर्वी हिंदी की बोलियों की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।

4. भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी भाषा के कितने भौगोलिक क्षेत्र है और क्या-क्या ?

5. भारत की राजभाषा क्या है ? एक आलेख प्रस्तुत कीजिए।

*** ***** ***

इकाई 3 : खड़ीबोली की उत्पत्ति

इकाई की रूपरेखा

3.1 उद्देश्य

3.2 प्रस्तावना

3.3 खड़ीबोली की स्वरूप

3.4 खड़ीबोली की आधुनिकालीन लेखक

3.5 खड़ीबोली का गद्य विकास

3.6 सारांश

3.7 प्रगति विवरण की रूपरेखा

3.8 अधिक जानने के लिए पढ़े

3.9 अभ्यास पत्र

3.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप –

- खड़ीबोली भाषा के स्वरूप के बारें में पता कर पाएंगे।
- खड़ीबोली भाषा के आधुनिकालीन लेखकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।
- खड़ीबोली भाषा का गद्य के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।

3.2 प्रस्तावना

पाठ्यक्रम के इस इकाई में हम खड़ीबोली के बारे में विस्तृत रूप में जान पाएंगे। भाषा का अपना ही एक प्राचीन इतिहास रहा है। समय के साथ साथ भाषा का रूप परिवर्तित होने से कालांतर में अनेक भाषाओं, उपभाषाओं और बोलियों का विकास होता गया। हिंदी भाषा ने भी अपना वर्तमान स्वरूप स्पष्ट करने में काफी लंबी समय की यात्रा की है।

3.3 खड़ीबोली का स्वरूप

संसार की प्रत्येक भाषा की एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। हिंदी एक भारतीय आर्यभाषा है। 'हिंदी' शब्द का मौलिक अर्थ है – हिंदी का अर्थात भारतीय। भाषा के अर्थ में 'हिंदी' का प्रयोग फारसियों और अरबों ने किया। पंडित रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार, 'ईरानी' महाभारत काल से ही भारत को 'हिन्द' कहने लगे थे। अत: स्पष्ट है कि कालांतर में 'हिन्द' देश के निवासियों को हिन्दुस्तानी और यूएनआई भाषा को 'हिंदी' कहा जाने लगा।

विश्व की लगभग 3000 भाषाओं का मुख्यत: 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया

गया है- भारोपीय (भारत- यूरोपीय), द्रविड़, चीनी, सैमेटिक, टैमेटिक, आग्नेय, यूराल, बाँटू, रैड इंडियन, काकेशस, सूडानी तथा बुशमैन। इन 12 भाषा परिवारों में भारोपीय समूह विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। 'हिंदी' इसी भाषा परिवार की भाषा है। इस भाषा परिवार की भारतीय शाखा को ही 'भारतीय आर्य भाषा' कहा जाता है।

भारतीय आर्य भाषाओं को तीन कालों में विभाजित किया गया है-

क) प्राचीन भारतीय आर्य भाषा (1500 ई. पू. से 500 ई. पू. तक)
- वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत

ख) मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा (500 ई. पू. से 1000 ई. पू. तक)
- पालि, प्राकृत, अपभ्रंश

ग) आधुनिक भारतीय आर्य भाषा (1000 ई. पू. से अब तक)

आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से हुआ है। विभिन्न आधुनिक आर्य भाषाएँ है- पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, लहदा, सिंधी, मराठी, बिहारी, बांगला, पहाड़ी, असमीया, पूर्वी हिंदी आदि।

हिंदी का भौगोलिक विस्तार बहुत दूर दूर तक है। हिंदी भारत देश के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अपने भाविक स्वरूप के अंतर्गत प्रयोग की जाती है। सीमावर्ती देशों के अतिरिक्त यूरोप, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, मध्य एशिया आदि स्थानों पर भी हिंदी का प्रभुत्व है। प्रमुख रूप से हिंदी प्रदेशों में बोली जाने वाली हिंदी का स्वरूप इस प्रकार है- पूर्व में अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, पश्चिम में खड़ीबोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, राजस्थानी, कन्नौजी, उत्तर में कुमाऊनी, गढ़वाली, तथा दक्षिण में दक्षिणी आदि।



महत्वपूर्ण बिंदु

वैदिक संस्कृत 600 ईसापूर्व से लेकर 2000 ईसापूर्व तक बोली जाने वाली एक हिन्द-आर्य भाषा थी। यह संस्कृत की पूर्वज भाषा थी और आदिम हिन्द-ईरानी भाषा की बहुत ही निकट की सन्तान थी। वैदिक संस्कृत और अवस्ताई भाषा (प्राचीनतम ज्ञात ईरानी भाषा) एक-दूसरे के बहुत निकट हैं।

हिंदी के अंतर्गत आनेवाली पाँच उपभाषाएँ एवं उनकी बोलियाँ इस प्रकार है -

उपभाषा	**बोलियाँ**
पश्चिमी हिंदी	खड़ीबोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी
पूर्वी हिंदी	अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी
राजस्थानी हिंदी	मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी
बिहारी हिंदी	भोजपुरी, मैथिली, मगही
पहाड़ी हिंदी	गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली

पश्चिमी हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों में से खड़ीबोली का वर्णन नीचे किया गया है-

खड़ीबोली को 'हिंदुस्तानी', 'सरहिंदी', 'बोल चाल की हिंदुस्तानी खड़ीबोली' आदि नाम दिये गए हैं। इसका दूसरा व सहीं नाम 'कौरवी' है। यह वहीं प्रदेश है, जिसे पहले कुरु जनपद कहते थे। कौरवी या खड़ीबोली रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अंबाला (पूर्वी भाग) तथा पटियाला के पूर्वी भागों में बोली जाती है।

खड़ीबोली तथा उसके परिष्कृत रूप मानक हिंदी में पर्याप्त समानताएं मिलती है। 14वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने इस बोली का प्रयोग किया। 16-17 वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य पर ब्रजभाषा व अवधी का आधिपत्य रहा, परंतु कालांतर में खड़ीबोली में हिंदी साहित्य लिखा जाने लगा, न केवल पद्य में अपितु गद्य में भी खड़ीबोली का प्रयोग हुआ।

जनसाधारण के बोलचाल की भाषा के रूप में काफी पहले से चल रही है। प्राचीन काल में इसके तीन नामों से जाना जाता था, वह है- हिंदवी, हिंदी और दक्षिणी। मुसलमानों के फैलाव और प्रोत्साहन के द्वारा ही इसका व्यवहार बढ़ रहा था, अन्यथा यह केवल मेरठ दिल्ली के आस पास के भूमि भाग में बोली जाती थी।

खड़ीबोली का साहित्यिक स्वरूप हमको अमीर खुसरो की कविता में सर्वप्रथम मिलता है। इनकी कविता में हमको दक्षिण भारत में 'दक्षिणी' के रूप में इसके साहित्यिक रूप का दर्शन मिलता है। इसके उपरांत कबीर की कविता में हमको खड़ीबोली का दर्शन होता है।

खड़ीबोली के विकास के साथ साथ हिंदी साहित्य में गद्य का भी जन्म हुआ। सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदासुख लाल आदि ने अपने गद्य में खड़ीबोली का प्रयोग किया। अतः गद्य साहित्य के विविध रूपों में हिंदी खड़ीबोली ने उल्लेखनीय विकास किया।

जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', महादेवी वर्मा आदि कवियों ने अपने काव्य में खड़ीबोली का प्रयोग किया। जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी खड़ीबोली का प्रसिद्ध महाकाव्य है। खड़ीबोली में अतुकांत पद्य में 'निराला' जी का प्रमुख स्थान है। खड़ीबोली का प्रथम महाकाव्य 'हरिऔध' रचित 'प्रिय प्रवास' है ।



महत्वपूर्ण बिंदु

साहित्यिक हिंदी, जो कविता, कहानी, नाटक, निबंध आदि की भाषा है विषय क्षेत्र से संबंधित होने के कारण इस प्रकार के भाषा रूप को 'विशिष्ट प्रयोजन की भाषा' भी कहा जाता है। विशिष्ट प्रयोजन को साधन वाली यह भाषा उस क्षेत्र विशेष के अनुरूप विभिन्न प्रयुक्तियों को जन्म देती है ।

3.3.1 खड़ीबोली नाम

खड़ीबोली नाम कैसे पड़ा, यह विवाद का विषय है । नीचे कुछ मत दिया गया है-

- 'खड़ी' मूलतः 'खरी' है, और इसका अर्थ है 'शुद्ध'। लोगों ने इस बोली का साहित्य में प्रयोग करते समय जब आरबी- फारसी शब्दों को निकालकर इसे शुद्ध रूप में प्रयुक्त करने का यत्न किया तो इसे 'खरी बोली' कहा गया, जो बाद में 'खड़ीबोली' हो गया।
- 'खड़ी' का अर्थ है जो 'खड़ी हो' अर्थात 'पड़ी' का उल्टा, पुरानी ब्रज, अवधी आदि 'पड़ी बोलियाँ' थी, अर्थात आधुनिक काल की मानक भाषा नहीं बन सकीं। इसके विपरीत यह बोली आवश्यकता के अनुरूप खड़ी हो गई, अतः 'खड़ीबोली' कहलाई।
- कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 'खड़ी' का अर्थ कर्कश है। यह बोली ब्रज की तुलना में कर्कश है, इसलिए यह नाम पड़ा।
- ब्रज ओकारांत प्रधान है तो खड़ीबोली आकारांत प्रधान। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार 'आकारांत' की खड़ी पाई ने ही इसे यह नाम दिया है।
- वेली ने 'खड़ी' का अर्थ प्रचलित या चलती माना है। अर्थात जो ब्रज आदि को पीछे छोड़ प्रचलित हो गई ।
- गिलक्राइस्ट के अनुसार 'खड़ी' का अर्थ 'मानक' या परिनिष्ठित कहा है।
- अब्दुल हक ने 'खड़ी' का अर्थ 'गँवारू' मानते है।

3.3.2 खड़ीबोली की विशेषताएँ

- खड़ीबोली आकार बहुला बोली है। इसमें अधिकांश आकारांत शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे- माता, पिता, हथोड़ा आदि।
- खड़ीबोली में बहुधा द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे- करत्ता, बेट्टा, गाड्डी आदि।
- खड़ीबोली में मर्धुन्य 'ल' का प्रयोग मिलता है, जिसका मानक हिंदी में अभाव है, जैसे- बाल, जंगल आदि।
- खड़ीबोली में मानक हिंदी के न, भ, के स्थान पर क्रमशः ण, ब का प्रयोग होता है, जैसे- खाणा, जाणा, आणा, अबी (अभी), कबी (कभी) आदि।



महत्वपूर्ण बिंदु

'फोर्ट विलियम कॉलेज' प्राच्य अध्ययन की एक अकादमी और सीखने का केंद्र था, जिसकी स्थापना 18 अगस्त 1800 को ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल 'लॉर्ड वेलेस्ली' ने की थी, जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम परिसर में स्थित है।

3.4 खड़ीबोली की आधुनिकालीन लेखक

खड़ीबोली के आधुनिकालीन लेखकों में मुंशी सदासुखलाल 'नियाज', इंशा अल्ला खाँ, लल्लु लाल और सदल मिश्र का नाम आता है। सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी, उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्रिस्ट ने हिंदी, उर्दू में गद्य पुस्तकों तैयार करने की व्यवस्था की। ललतुलाल और सदल मिश्र दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। इन दोनों में अंग्रेजों के आदेश से हिंदी गद्य रचनाएँ प्रस्तुत की। सदासुखलाल 'नियाज' और इंशा अल्ला खाँ ने स्वतंत्र रूप से खड़ीबोली के कतिपय गद्य- ग्रन्थों का निर्माण किया था।

अब हम इन लेखकों के बारें में चर्चा करेंगे-

(क). सदासुखलाल 'नियाज (1746- 1824)

नियाज दिल्ली के निवासी थे। ये कंपनी की नौकरी करते थे। सदासुखलाल नियाज कंपनी में काम करते थे। चुनार, मिर्जापुर में ये एक अच्छे पद पर नियुक्त थे। ये उर्दू और फारसी में शायरी भी किया करते थे। इन्होंने इन भाषाओं में अनेक पुस्तके भी लिखी है। 65 आयु में इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और प्रयाग में जाकर भगवद् भजन करने लगे थे। विष्णुपुराण से उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक का निर्माण किया और हिंदी में श्री मदभागवत का 'सुखसागर' के नाम से स्वतंत्र अनुवाद किया। इसमें निरंजनी के योग वशिष्ठ के समान भाषा का परिमार्जित रूप है। सदासुखलाल ने न तो किसी अंग्रेजी अधिकारी की प्रेरणा से और न ही किसी दिये हुए नमूने पर अपने ग्रंथ लिखे। उन्होंने हिंदुओं के बोलचाल की शिष्ट भाषा का प्रयोग किया था।

(ख). इंशा अल्ला खाँ (1792-1875)

इंशा अल्ला खाँ उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर रहकर स्वतंत्र रूप से हिंदी गद्य की सेवा की। इन्होंने उदयमान चरित या 'रानी केतकी की कहानी' की रचना की।

खाँ का जन्म मुर्शिदावाद में हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौल्ला के मरने के उपरणत अंधेरगर्दी मच जाने पर दिल्ली में शाह आलम द्वितीय के दरबार पर रहने लगे थे। यहाँ

की स्थिति के बिगड़ जाने पर इनको लखनऊ के सआदत अली खान के दरबार में रहना पड़ा था और यहाँ इनकी काफी प्रतिष्ठा हुई।

'रानी केतकी की कहानी' हिंदी गद्य की पहली मौलिक कहानी है।

(ग). लल्लु लाल (1763- 1875)

ललतुलाल आगरा निवासी गुजराती ब्राह्मण थे। लल्लु लाल भाषा कवि थे और उर्दू के जानकार थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्ति के पश्चात इन्होंने भागवत दशम स्कन्ध की कथा को लेकर 'प्रेमसागर' नाम की पुस्तक रचना की जो भागवत दशम का अनुवाद था। इस पर ब्रज भाषा का पर्याप्त प्रभाव है। इनके अतिरिक्त इन्होंने वैताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, माधव विलास, रामविलास और हितोपदेश का राजनीति के नाम से हिंदी में अनुवाद किया। इन ग्रन्थों में इन्होंने हिन्दुस्तानी भाषा का प्रयोग किया है।

(घ). सदल मिश्र

सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। मिश्र बिहार के निवासी थे। इन्होंने चंद्रावती या नासिकेतोपाख्यान ग्रंथ खड़ीबोली में लिखा था। इनकी भाषा साफ सुथरी एवं व्यवहार उपयोगी है। इन चारों लेखकों में आधुनिक गद्य का आभास सदासुखलाल और सदल मिश्र में मिलता है।

सन 1803 से लेकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक गद्य साहित्य प्राय: उपेक्षित रहा। इन कालों में कुछ छपेखानों की स्थापना हुई, कुछ पत्र भी प्रकाशित हुए, धर्म और शिक्षा संबंधी आंदोलन चलें, किन्तु गद्य साहित्य की अखंड परंपरा भारतेन्दु युग से ही शुरू हुआ था।



अपनी प्रगति जाँचे

प्रश्न 1 : खड़ीबोली की विशेषताएँ बताएं?

प्रश्न 2 : कन्नौजी की विशेषताओं का उल्लेख करें?

3.5 खड़ीबोली गद्य का विकास

खड़ीबोली दिल्ली और मेरठ के आस पास के जनसाधारण की भाषा है। दिल्ली पर मुसलमानों के शासन के स्थापित हो जाने पर फारसी भाषा राजकार्य में व्यवहृत होती रहीं। मुसलमानी शासन काल में हिंदुओं की एक बड़ी संख्या मुसलमानी राजकार्य में नौकरी करती थी। इस संपर्क का शुभ परिणाम यह था कि फारसी के राज्यभाषा होने पर दोनों जतियों के पारस्परिक विचार विनिमय की भाषा खड़ीबोली बनी रही। 14वीं शती में गुजरात और दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन का प्रतिष्ठा हुआ। उसके बाद बंगाल और बिहार में मुस्लिम सल्तनत कायम हुई। इस प्रकार उत्तरी भारत के मुस्लिम शासकों के साथ यहाँ कर्मचारी वर्ग और व्यापारी वर्ग भी उन नये प्रदेशों में पहुँच गए। इसी प्रकार खड़ीबोली के बोलने वालों के भारत भू के विस्तृत भाग पर फैल जाने पर खड़ीबोली का प्रचार हुआ और वह धीरे धीरे अंतप्रांतीय व्यवहार

की भाषा बन गई।

गद्य क्षेत्र में ब्रजभाषा को अपदस्थ कर खड़ीबोली के उस क्षेत्र प्रतिष्ठित होने का एक अन्य भी ऐतिहासिक कारण थे। अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ शासक वर्ग को इस देश की किसी ऐसी भाषा को सीखने की आवश्यकता महसूस हुई जिस देश के बहुत से निवासी बोलते हो। सौभाग्यवश हिंदी खड़ीबोली देश की एक ऐसी भाषा थी जो कि शासक वर्ग एवं ईसाई धर्म प्रचारकों की आवश्यकता पूर्ति के समर्थ थी।

खड़ीबोली गद्य की सर्वप्रथम उल्लेखनीय रचना अकबर के दरबारी कवि गंग की 'चंद छंद बरनन की महिमा' (1570) है। इसमें ब्रज मिश्रित खड़ीबोली का प्रयोग किया गया है। रामप्रसाद निरंजनी ने 'भाषा योग वशिष्ठ' नाम की रचना लिखी जिसकी भाषा काफी परिमार्जित है। सन 1761 में पंडित दौलतराम ने रविशेषाचार्य कृत जैन पदमपुरान का भाषानुवाद किया था। 1830 – 40 के बीच किसी अज्ञात राजस्थानी लेखक की पुस्तक 'मंदोवर का वर्णन' उपलब्ध है। जिसमें उर्दू, फारसी, राजस्थानी शब्दों का बहुलता है।

खड़ीबोली हिंदी गद्य के विकास में कई कारक एक साथ काम कर रहे थे, जिसमें अंग्रेजों द्वारा प्रशासनिक सुविधा व्यवस्था के लिए भाषा एवं शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं ईसाई मिशनरियों आदि द्वारा धर्म प्रचार के लिए खड़ीबोली आदि देसी भाषाओं में लेखन एवं अनुवाद कार्य महत्वपूर्ण थे।

इनके उपरांत सदासुखलाल, इंशा अल्ला खाँ के 'रानी केटकी की कहानी', लल्लु लाल के 'शकुंतला नाटक' तथा सदल मिश्र के 'नासिकेतोपाख्यान' आदि खड़ीबोली की उल्लेखनीय रचनाएं हैं।



3.6 सारांश

प्रस्तुत इकाई में हमें अंत में यह मिलता है कि खड़ीबोली भाषा विकास का कारण साधारण नहीं था। लोगों के प्रयोजन के हिसाब से इसका उद्भव तथा विकास हुआ है। खड़ीबोली हिंदी का आज का यह रूप कई सारें पड़ावों को पार करने के बाद मिला हैं। इसके विकास में कई भारतीय लेखकों का संग्राम है तथा ईसाई मिशनारियों का अवदान भी है। आगे भी खड़ीबोली के साथ साथ अन्य भाषाओं का विकास लगातार होते रहेंगे।



3.7 प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा)

प्रश्न 1 का उत्तर : बोलचाल की खड़ी बोली और साहित्यिक हिंदी में अंतर है। साहित्यिक हिंदी

में ऐ और औ का भी प्रचलन है, जबकि बोलचाल में दोनों एक जैसे ही उच्चारण किए जाते हैं। अधिक जानने के लिए इकाई को ध्यान से पढ़े।

प्रश्न 2 का उत्तर : कन्नौज भारत की सबसे प्राचीन जगहों में से एक है जिसमें समृद्ध पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासत है, इस स्थान का प्राचीन नाम कन्याकुज्जा या महोधी है (वाल्मीकि रामायण, महाभारत और पुराण के अनुसार) बाद में कन्याकुज्जा को कन्नौज के रूप में परिवर्तित किया गया था, जो कि वर्तमान का नाम है ।



3.8 अधिक जानने के लिए पढ़े

1. डॉ. भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, किताब महल।
2. डॉ. एच. परमेश्वरन, हिंदी भाषा और लिपि, वाणी प्रकाशन, दिल्ली।
3. रामकिशोर शर्मा, हिंदी भाषा और लिपि, राजकमल प्रकाशन।



3.9 अभ्यास प्रश्न

(क) संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. हिंदी गद्य की पहली मौलिक कहानी कौन सी है?
2. 1800 में कौन से कॉलेज की स्थापना हुई?
3. 'चंद छंद बरनन की महिमा' (1570) किसकी रचना है?
4. 'अब्दुल हक ने 'खड़ी' का अर्थ क्या कहा है?

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. खड़ीबोली का विकास के बारे में चर्चा कीजिए।
2. खड़ीबोली के स्वरूप के बारे विस्तृत रूप में बताइए।
3. खड़ीबोली लेखकों के अवदान के बारे में चर्चा कीजिए।
4. पश्चिमी हिंदी में कौन कौन-सी बोलियाँ उपलब्ध है उनके बारें में चर्चा कीजिए।

*** ***** ***

इकाई 4 : राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी

इकाई की रूपरेखा

4.1 उद्देश्य

4.2 प्रस्तावना

4.3 हिंदी और राष्ट्रभाषा का परिचय

4.4 हिंदी में राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता

4.5 राष्ट्रभाषा पद में हिंदी की मान्यता

4.6 राष्ट्रभाषा बनने में हिंदी की समस्याएँ और संभावनाएं

4.7 सारांश

4.8 प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा)

4.9 अधिक जानने के लिए पढ़े

4.10 अभ्यास पत्र

4.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप –

- हिंदी भाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा।
- राष्ट्रभाषा बनने के लिए हिंदी की क्षमताओं के बारे में ज्ञात होगा।
- हिंदी भाषा के मान्यताओं के बारे में जान पाएंगे।
- हिंदी भाषा अगर राष्ट्रभाषा बन जाए तो उसका क्या समस्या तथा संभावनाएं रहेगी उसके बारे में समझ पाएंगे।

4.2 प्रस्तावना

पाठ्यक्रम के इस इकाई में हम हिंदी भाषा से जुड़े कुछ समस्या तथा संभावनाओं के बारें में अध्ययन करेंगे। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां भाषा के दृष्टि से अनेक विविधताएं देखने को मिलता हैं। लेकिन अनेक भाषा के बीच में भी बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी भाषा का जनप्रियता कभी कम नहीं हुई, न ही होनेवाली है। राष्ट्रभाषा स्वरूप हमारी हिंदी भाषा का प्रयोग सम्पूर्ण भारत तथा भारत के बाहर भी कम से कम 68 करोड़ लोग बोलते तथा समझते है। प्रस्तुत इकाई में राष्ट्रभाषा के बारें में अध्ययन करेंगे–

4.3 हिंदी और राष्ट्रभाषा का परिचय

हिंदी भाषा की शुरुआत कब से कैसे हुआ यह जान पाना अत्यंत कठिन है। अमीर खुसरो, कबीरदास, सूरदास आदि के पहले से हिंदी भाषा का प्रचलन हो चुका था। कथित हिंदी न जाने कब से किस युग से समस्त भारत में और भारत से बाहर के उन देशों में समझी और बोली जाती रही, जिनके साथ भारत का व्यापारी या राजनीतिक संबंध था। भारत में तो समस्त हिंदू तीर्थों और व्यवसायी नगरों में यह तीर्थ- स्थानों के तीर्थों पुरोहितों और व्यावसायिकों की भाषा रहीं।

हिंदी वास्तव में उस भाषा का समूह नाम है जिसके अंतर्गत पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, उर्दू तथा सब प्रादेशिक भाषाएँ और बोलियाँ आती है। जिस शैली का नाम आज उर्दू है। उसे पहले 'हिंदी' या 'हिंदवी' कहलाती थी। दिन प्रतिदिन बढ़ती रही सांप्रदायिक विद्वेष तथा सामाजिक अन्य कारणों ने हिंदी की इस शैली में अरबी, तुर्की, फारसी आदि भाषाओं के शब्द धीरे-धीरे हटाकर उसे हिंदी की प्रतिद्वंद्वी भाषा के रूप दे दिया है।

आधुनिक काल में नवजागरण, समाज सुधार के विभिन्न आंदोलनों और देश के स्वाधीनता संग्राम में अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी को अपनाया था। देश के जन नायकों ने इसे राष्ट्रभाषा स्वीकार किया।

साहित्य एवं संगीत की समृद्धि के साथ देशव्यापी व्यापार-व्यवसाय भी हिंदी के व्यापक प्रसार का कारण रहा। दिल्ली आरंभ से ही व्यापार का केंद्र रही है। देश के अन्य व्यापारिक केन्द्रों, पटना, लखनऊ, बनारस, आगरा आदि को हिंदी ही आपस में जोड़ती है। देश के विभिन्न भागों से रोटी रोजी की तलाश में दिल्ली आनेवाले मजदूरों-कारीगरों के माध्यम से भी हिंदी को प्रसार मिला है।

डॉ. विनोद गोदरे ने कहाँ है कि - 'हिंदी के विकास में राजनीतिक गतिविधियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण समुद्र तट तक हिंदी का विस्तार हुआ। खिलजी वंश के समय ही हिंदी को दक्षिण राज्यों का संरक्षण मिला। अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ तथा औरंगजेब आदि मुसलमान शासकों ने हिंदी को राज्याश्रय दिया। अनेक हिन्दू राजाओं ने भी हिंदी कवियों को अपने दरबारों में आश्रय दिया। इन शासकों के कर्ता- धर्ता तथा विशाल सेनाओं के कारण जहाँ-जहाँ मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार हुआ, वहाँ वहाँ आगत एवं स्थानीय लोगों के बीच संवाद- माध्यम के रूप में हिंदी स्वीकारी गई। शतब्दियों से हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध करने में अहिंदी प्रदेशों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है .....'।

ऊपर दिये कारणों से आधुनिक भारतीय भाषाओं में मध्यदेश के अलवा पंजाब, कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी किसी न किसी रूप में हिंदी की मौजूदगी देखी जाती है। देश के विभिन्न प्रदेशों में हिंदी- प्रयोग एवं व्यवहार का आकलन इस

प्रकार किया जा सकता है –

कश्मीर आरंभ से ही देशी विदेशी पर्यटकों का केंद्र रहा है। इस पर्यटन के माध्यम से वहाँ के लोग हिंदी भाषा के संपर्क में आए। कश्मीर के प्रथम मुसलमान शासक शमसुद्दीन शाह ने हिंदी को आश्रय दिया। विभिन्न भाषाओं के विद्वान जैनुल अबीद्दीन के शासनकाल में अनेक अरबी- फारसी पुस्तकों का अनुवाद हिंदी में हुआ था।

बंगाल में आरंभ से ही हिंदी की व्यापक परंपरा रही है। चैतन्य महाप्रभु तथा अन्य बंगला वैष्णव भक्तों ने हिंदी में भजन लिखे हैं और वे वहाँ खूब गाये जाते हैं। भक्त कवि कृष्णदास और परमानंद दास तो अष्टछाप के प्रमुख कवि माने गए हैं। 16वीं सदी से 18वीं सदी तक बंगाल ने हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तरुणीचरण मित्र, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजनारायण वसु, केशवचंद्र सेन, बंकिमचन्द्र चटर्जी, आचार्य क्षितिमोहन सेन और सुनीति कुमार चटर्जी बंगाल में हिंदी के विशेष उन्नायकों में गिने जाते है।

12वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य द्वारा वैष्णव मठ की स्थापना और बाद में चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से उड़ीसा में भी हिंदी का प्रसार हुआ। वहाँ के अनेक साहित्यकारों ने हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य सृजन किया है।

गुजरात हिंदी भाषी प्रदेशों के निकट है। जैन और संत मत के प्रभाव तथा मुसलमान और राजपूत राजाओं के कारण गुजरात में सदियों पहले हिंदी प्रसार पा चुकी थी, बैजू बावरा, अष्टछाप के कवि कृष्णदास आदि ने वहाँ हिंदी में अच्छी काव्य रचना की है। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के राजाओं में अमरसिंह, रणमल, महाराव लखपत जी, ठाकुरानी हरी जी रानी की अनेक उत्कृष्ट रचनाएँ हिंदी में ही है। मीरा के प्रभाव से भी गुजरात में हिंदी लोकप्रिय हुई।

मराठी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम हिंदी के जाने- पहचाने विद्वान हैं। शिवाजी के दरबार में हिंदी में वीररस के गायक महाकवि भूषण की उपस्थिति उनके हिंदी प्रेम की परिचायक है। शिवाजी के पुत्र संभाजी स्वयं हिंदी में काव्य रचना करते थे।

दक्षिण भारत में मैसूर, मद्रास, केरल और आंध्रप्रदेश में यद्यपि द्रविड़ परिवार की भाषाओं का प्रचलन है, लेकिन वहाँ भी हिंदी की उपस्थिति किसी न किसी रूप में सदियों पहले से ही दिखाई देती है। दक्खिनी हिंदी का विकास दक्षिणी राज्यों में ही हुआ है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि हिंदी सदियों से भारत कि व्यापक और लोकप्रिय भाषा है। उसमें जन सामान्य के हृदय का स्पंदन है, उच्चस्तरीय साहित्य है, सामाजिक और राष्ट्रीय नव जागरण और ओजस्विता है। हिंदी भाषा संपूर्ण राष्ट्र की भाषा है।

4.4 हिंदी में राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता

भाषा के विभिन्न रूप और शैलियाँ होती हैं जिन्हें सामान्य भाषा, साहित्यिक भाषा और परिनिष्ठित भाषा आदि नाम दिये जाते है। इनके अतिरिक्त भाषा का एक अन्य रूप भी है जिसे प्रयोजनमूलक भाषा कहा जाता है। भाषा के इस रूप का विकास वर्तमान युग की आर्थिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक और प्रशासनिक अवशकताओं की पूर्ति के प्रयोजन से हुआ है।



महत्वपूर्ण बिंदु

'साहित्यिक हिंदी, जो कविता, कहानी, नाटक, निबंध आदि की भाषा है। विषयक्षेत्र से संबंधित होने के कारण इस प्रकार के भाषा रूप को विशिष्ट प्रयोजन की भाषा' भी कहा जाता है। विशिष्ट प्रयोजन को साधने वाली यह भाषा उस क्षेत्र विशेष के अनुरूप विभिन्न प्रयुक्तियों को जन्म देती है।

भाषा के जिस रूप का प्रयोग सामान्य जन जीवन में दैनिक कार्य- कलापों और गतिविधियों के लिए होता है, उसे सामान्य भाषा कहा जाता है, ठीक उसी तरह एक राष्ट्र को एक ही दौड़ से जुड़े रखने के लिए अर्थात राष्ट्र के अनेक भाषा के लोगों के बीच जो भाषा उन्हें जुड़े रखते है, उसे राष्ट्र भाषा कहते है।

राष्ट्रभाषा कोई विशेष प्रकार की भाषा नहीं है, लेकिन किसी प्रदेश की भाषा अथवा बोली विशेष का विकसित रूप है, जो विभिन्न भाषा- क्षेत्रों को पार कर ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है जब उसका प्रयोग सार्वजनिक कार्यों में होने लगता है, वह राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त कर लेता है। यह भाषा देश में सबसे अधिक प्रचलित, सुगम तथा उस देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रभाषा देश के विभिन्न प्रदेश को सुगठित रूप माला का रूप देने वाला सूत्र होता है, वह अलग अलग जाति धर्म, प्रदेश और परम्पराओं को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखती है। इस भाषा का व्यवहार लगभग पूरे देश के लोग करते है, देश के अधिकांश लोग उसे समझते भी है। जिस भाषा के साथ एक देश के लोग अपनी प्रतिष्ठा, अस्मिता, भावना और निष्ठा को जोड़े रखते है, वहीं उस देश की राष्ट्रभाषा होती है।

राष्ट्रभाषा के निर्माण में सम्पूर्ण राष्ट्र का योगदान होता है और सब लोग अपनी इच्छा से उसे अपनी भाषा स्वीकार करते है। राष्ट्रभाषा जन-मानस के स्पंदनों की भाषा होती है, वह शासन या राज्य की मुखापेक्षी नहीं होती, वह जनसाधारण के सुख-दु:ख, उल्लास और अवसाद को अभिव्यक्ति देती है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र और संचरण अबाधित होता है। उसका सरोकार जन- जीवन से होता है। वह आवश्यकता और प्रसंगानुसार जन आक्रोश एवं जनादेश को सहज भाव से प्रस्तुत करती है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बिन्दुओं से समस्याओं के समाधान की सीधी रेखा खींचती है।

हिंदी भाषा के कुछ विद्वानों ने इस भाषा को लेकर कुछ मत प्रदान किए है, जो कुछ इस प्रकार हैं-

आचार्य नंददुलारे बाजपेयी के अनुसार 'उसी भाषा का गौरव सबसे अधिक हो सकता है और वहीं राष्ट्रभाषा कहला सकती है जिसको सब जनता समझती हो और जिसका अस्तित्व सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपरक हो।'

राष्ट्रवादी विचारक काका कालेलकर के अनुसार 'राष्ट्रभाषा को हम और भी कई नाम देंगे। उसको सबकी बोली कहेंगे, कौमी ज़बान कहेंगे, हृदय की भाषा कहेंगे, स्नेह भाषा या ऐक्य- भाषा कहेंगे और सबसे बढ़कर 'स्वराज्य भाषा' कहेंगे।'

महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा के पाँच लक्षण बताए और उनको व्याख्या भी की है, जो निम्नलिखित है-

1. जो भाषा राजकर्मियों के लिए सरल हो।
2. उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष के परस्पर धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार निभा सके।
3. उस भाषा को देश के अधिकांश निवासी बोलते हो।
4. जो भाषा राष्ट्र के लिए सरल हो।
5. जो भाषा क्षणिक या अल्प स्थायी आवश्यकता पर निर्भर न हो।

उपर्युक्त लक्षणों में पहले लक्षण में गांधी ने राष्ट्रभाषा को राजभाषा के साथ जोड़ दिया है, क्योंकि प्राय: स्वतंत्र राष्ट्रों में राष्ट्रभाषा ही राजभाषा होती है।

भाषा विद्वान मारियो पेई (Mario Pei) के अनुसार 'National Language the official standard tongue of a political division. Used in government documents and in the nation's schools, it usually concludes with literary language'. अर्थात राष्ट्रभाषा राजकार्य के क्षेत्र में दफ्तरी भाषा का स्तरीय स्वरूप होता है, इसका प्रयोग सरकारी दस्तावेजों में होता है, देश के स्कूलों में अधिकतर यहीं भाषा पढ़ाई जाती है। सामान्यत- यह साहित्यिक भाषा से मेल खाती है।

बाकी चारों लक्षणों से गांधी जी हमे यह कहना चाहते थे कि राष्ट्रभाषा देश के जन जन कि भाषा होती है, उसमें राष्ट्रीय उद्बोधन कि क्षमता होती है, वह जनमानस कि अभिव्यक्ति और उसकी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, सरल लिपि में लिखी जाने वाली अनौपचारिक होती है, शिक्षित- अशिक्षित सभी के लिए अपनी अभिव्यक्ति और व्यवहार के रास्ते खुले रखती है।

4.5 राष्ट्रभाषा पद में हिंदी की मान्यता

भारत की प्राकृत भाषाओं ने देश- विदेश से अथवा भारत के विभिन्न प्रदेशों में अपनी प्रकृति के अनुसार देशी भाषाओं का रूप धारण कर लिया और इस क्रिया में जहाँ एक ओर

संस्कृत ने अपनी शब्दावली तत्सम और तद्भव रूप में दी, वहीं विभिन्न प्रदेशों की बोलचाल और व्यवहार में प्रयुक्त होनेवाले देशी शब्द भी साहित्य में स्थान पाने लगे। इसके फलस्वरूप हमे यह मिला कि देशी भाषाओं का साहित्य भी अपना उदार शब्द- वैभव लेकर साहित्य की सृष्टि करने लगा। इस सम्पूर्ण प्रयास में लोक कवियों ने अपनी सामुहिक लोक भावना, लोक संस्कृति और लोक चरित्र का वर्णन करना प्रारम्भ कर दिया जिसके परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न प्रदेशों में व्याप्त अनेक देशी भाषाओं में प्रचुर मात्रा में साहित्य का सृजन होने लगा।

हिंदी साहित्य का रूप प्रारम्भ में ही पूर्णतः राष्ट्रीय हो गया था और उस राष्ट्रीयता का अर्थ उस युग की दृष्टि से था। साहित्य के प्रारम्भिक रूप में इसीलिए दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ व्यापक रूप से हमारे सामने आती है- प्रथम दार्शनिक और धार्मिक कर्मकांड की प्रवृत्ति, जो दार्शनिक दृष्टि से जनता के मन में भारतीय देवता, धर्म या उपासना की वृत्ति जागृत करके उपासना की पद्धति प्रवर्तित कर रही थी अथवा उदार भाव से सब धर्म का समन्वय करके सहनशीलता का पाठ सीखा रही थी, और द्वितीय वीरतापूर्ण प्रवृत्ति थी, जो भारतीय प्राचीन पूर्व पुरुषों के वीरतापूर्ण चरितों की काव्यात्मकता उद्धरणी कराते हुए लोगों में आत्मसम्मान, उनकी आत्मचेतना और धर्म की रक्षा के लिए प्राण उत्सर्ग की भावना चल रही थी। यह प्रयास सामुहिक रूप से भारत के छोटे से छोटे राज्य, क्षेत्र निरंतर होता रहा और यही हिंदी साहित्य का आदिकाल है, जिसमें ऐतिहासिक दृष्टि से भी उत्तर भारत के क्षेत्रीय शासकों ने सम्मिलित रूप से या एकाकी होकर पश्चिमोत्तर से आक्रमण करनेवाले आक्रामकों का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया था।

उपर्युक्त विवेचन से हमे पता चलता है कि किसी समय भारत में अनेक बोलियाँ और भाषाएँ प्रचलित थी। इन्हीं भाषाओं में से एक को परिमार्जित करके मध्य देश के विद्वानों ने 'संस्कृत' भाषा का रूप प्रदान किया और वही भाषा लोकप्रिय होकर बहुत समय तक राष्ट्रभाषा के पद पर आसन्न रहा। बौद्ध धर्म के उत्थान के साथ प्राकृत भाषाओं का प्रभाव बढ़ा और इस क्षेत्र में मागधी प्राकृत का उत्थान हुआ जो कालक्रम में पालि नाम से राष्ट्रभाषा नाम पड़ा। इसके पश्चात शैरसनी प्राकृत और शैरसनी अपभ्रंश का बोलबाला हुआ था और वे राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुआ था और इसके बाद प्रांतीय भाषाओं का युग शुरू हुआ। मेरठ और दिल्ली के आस पास बोली जानेवाली एक भाषा खड़ीबोली जो धीरे-धीरे साहित्यिक रूप को प्राप्त हुई और वहीं खड़ीबोली हिंदी नाम से भारत की राजभाषा बन गई। प्रो. जेनिग्श ने बर्लिन में हुए 'भाषा विज्ञानियों के सम्मेलन' में कहाँ था कि 'जो भाषा राष्ट्रभाषा (और फलतः राजभाषा) का स्थान ग्रहण करना चाहती हो, उसमें सभी प्रकार के विचार प्रकट करने के लिए अवकाश होना चाहिए, अर्थात उसका शब्द भंडार बहुत बड़ा तथा विपुल होना चाहिए। वह अधिकतम लोगों के लिए सुगम और सुबोध होनी चाहिए। उसका व्याकरण बहुत ही सरल होना चाहिए और उसके नियमों की तुलना में अपवादों की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, जिससे लोग सहज में वह भाषा सीख सकें। उसकी पाचन शक्ति बहुत प्रबल होनी चाहिए, जिससे आकर भाषा से वह जीवन शक्ति, प्रेरणा तथा शब्द ग्रहण करती हो, वह भाषा भी इतनी उन्नत तथा सम्पन्न होनी चाहिए कि विचार

संचार के लिए उपर्युक्त अभिव्यंजना शक्ति विकसित कर सकें। उसकी बहुत पुरानी परंपरा होनी चाहिए। साथ ही उसकी लिपि भी इतनी सुगम होनी चाहिए कि लोग उसे सहज में समझ ले'।

ऊपर दिये गए विचार के उपदेयता अनुसार किसी को कोई संदेह न तो है और न ही हो सकता है। इस बात के संबंध में कोई मतभेद नहीं है कि हिंदी में सभी ज्ञान विज्ञानों के तत्व, भाव तथा विचार प्रकट करने वाले सरल और सुबोध शब्द हैं।

4.6 राष्ट्रभाषा बनने में हिंदी की समस्याएँ और संभावनाएं

हिंदी भारतवर्ष के भूमि में उत्पन्न भाषा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ से रामेश्वरम तक और द्वारिकापुरी से जगन्नाथपुरी तक प्रत्येक भारतवासी हिंदी की वाणी को समझता है। इस विशाल भू भाग की अधिकांश पत्र पत्रिकाएँ भी हिंदी में प्रकाशित होती है। परंतु राजनीतिक के फलस्वरूप हिंदी को राजाश्रय प्राप्त नहीं हो सका है। वह जनभाषा होने के कारण तो राष्ट्रभाषा है, परंतु राजकीय स्वीकृति की दृष्टि से उसका राष्ट्रभाषा पद अभी तक विवादास्पद बना हुआ है। भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है, लेकिन उसके साथ अंग्रेजी को जोड़ दिया गया था- 'सन 1965 तक अंग्रेजी ही समस्त राजकाज की भाषा रहेगी और तत्पश्चात उसका स्थान धीरे धीरे हिंदी ग्रहण कर लेगी'। यह समय कब का समाप्त हो चूका था। कभी वह सखी भाषा तो कभी संपर्क भाषा कह दी जाती है।

राष्ट्रभाषा होने के लिए जो जो विशेषताएँ होनी चाहिए वह सभी विशेषताएँ हिंदी भाषा में मिलते है, जो निम्नलिखित है-

।। बहुजन द्वारा प्रयुक्तः

वैसे तो इस विशाल देश का प्रत्येक नागरिक हिंदी जानता है, समझता है, बोलता है। परंतु उनके बीच भी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हिंदी भाषा भाषी प्रदेश ही कहा जाता है। इन प्रदेशों की समस्त लोग अपने हर दिन के लिए हिंदी भाषा व्यवहार करते है। हिंदी इन प्रदेशों का राजभाषा भी है। हिंदी बोलने वालों की संख्या अब 40 करोड़ से भी अधिक है। भारत की अन्य 15 प्रमुख भाषाओं में कोई भी अन्य भाषा इतनी नहीं बोली जाती है।

।। सरल अध्ययन :

हिंदी की वर्णमाला ध्वनि सिद्ध के अनुसार निर्मित है। अतएव इसको बहुत ही सरलता पूर्व सीख लिया जाता है। यही कारण है कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों में भी लाखों छात्र हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं।

।।। संस्कृति की संरक्षिका :

संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति तथा भाषा की मातृ समान है। संस्कृत भाषा में भारतीय मनीषा ने अपने आपको अभिव्यक्त किया है। हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है। पहले संस्कृत भाषा हमारे धर्म, दर्शन, जीवन- संदेश, आचार- विचार आदि की वाहिका एवं संरक्षिका

थी। आज वहीं स्थान एवं गौरव हिंदी को प्राप्त है। अत: एव भारतीय संस्कृति का संरक्षण हिंदी के ही माध्यम द्वारा संभव है।

IV. वैज्ञानिक लिपि :

हिंदी की वर्णमाला हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित ध्वनि प्रतीक है। इसमें जो बोला जाता है, वहीं लिखा जाता है। इसकी वर्णमाला इस प्रकार निर्मित है कि प्रत्येक व्यंजन एवं स्वर के लिए निश्चित उच्चारण विधि निर्धारित है।

इतने विशेषताएँ होने के बावजूद भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला क्योंकि इस भाषा के विरोधी काफी सारें है। कुछ लोगों का यह तर्क था कि हिंदी भाषा में पारिभाषिक शब्दावली का अभाव है। इसलिए इस भाषा में विज्ञान संबंधी विषयों की शिक्षा देना कठिन है। फिर कुछ लोगों का मत था कि यदि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का मान्यता दिया जाता है तो अन्य राज्यभाषाओं की मान्यता कम हो जाएगी।



महत्वपूर्ण बिंदु

पारिभाषिक शब्द : पारिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी निश्चित परिभाषा की जा सके अर्थात् जिसकी सीमाएँ बाँध दी गई हों। यानी वे शब्द जिनका किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अर्थ सीमित कर दिया गया हो और उस क्षेत्र विशेष में उन्हें उसी अर्थ में प्रयोग किया जाता है। किसी अन्य अर्थ में नहीं।

यद्यपि आज से लगभग 31 वर्ष पूर्व संविधान में हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया था, तथापि वह आज तक व्यावहारिक रूप में उक्त पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो पाई है। उसके इस मार्ग में व्यावहारिक कठिनाइयों की अपेक्षा राजनीतिक कठिनाइयाँ अधिक थी।

जो लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में विरोधी थे, वे कई दृष्टियों से हिंदी को इस पद के लिए अयोग्य बताते रहे। हिंदी के मार्ग में उन लोगों द्वारा प्रस्तुत कुछ मत वस्तुत: राष्ट्रभाषा हिंदी की समस्याएँ है, जो नीचे दिया गया है-

क. पारिभाषिक शब्दावली की समस्या

ख. वर्तनी की समस्या

ग. लिपि की समस्या

घ. टंकण की समस्या

ङ: व्याकरण की समस्या

च. अनुवाद की समस्या

अब हम इन पर चर्चा करेंगे -

(क) पारिभाषिक शब्दावली की समस्या :

हिंदी को राष्ट्रभाषा के अनुपयुक्त माननेवाले व्यक्तियों का पहला तर्क यह है, कि हिंदी

का शब्द भंडार बहुत ही सीमित है। इसमें विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा आदि से संबंधित शब्दों का अभाव है। फलस्वरूप हिंदी में इन विषयों की पुस्तकें नहीं सीखी जा सकती है और साथ ही उक्त विषयों को हिंदी माध्यम से पढ़ाया भी नहीं जा सकता है। इस समस्या का समाधान दो तरीके से कर सकते है-

प्रथम यह है कि शब्दावली की समस्या वास्तविक रूप में कम ही है, क्योंकि हिंदी की शब्द भंडार विशाल है। इसके अतिरिक्त संस्कृत की सहायता से तत्काल शब्दों का निर्माण संभव है। कुछ विद्यालय तथा महाविद्यालयों में अब हिंदी माध्यम में विज्ञान जैसे विषय पढ़ाया जाता है। हिंदी की तरह ही अंग्रेजी में भी व्याकरण और पद विन्यास अनेक दुविधाएं होती है।

दूसरा तरीका यह है कि प्रारम्भिक अवस्था में प्रत्येक भाषा में शब्द भंडार की कमी का होना स्वाभाविक है। पर समय के साथ और आवश्यकता के अनुसार उसके अभावों की पूर्ति होती रहती है। अंग्रेजी भाषा में विभिन्न समय में विभिन्न भाषाओं से विभिन्न शब्द जुड़ते रहते है, उसी तरह समय के साथ हिंदी भाषा में भी अनेक शब्द जुड़ते रहे है।

(ख) वर्तनी की समस्या :

हिंदी वर्तनी में एकरूपता नहीं है। इस कारण अहिंदी भाषी लोगों को हिंदी लेखन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। तत्सम शब्दों को लिखना सर्वप्रथम समस्या आती हैं। कुछ लोग उन्हें ज्यों के त्यों लिखना चाहते है, तो कुछ लोग अंतिम अक्षर को हटाकर लिखते हैं, जैसे - स्वागतम। अक्षर को हटाकर लिखने से भी इस शब्द का अर्थ एक जैसा ही होता है।

दूसरी समस्या है सामासिक पदों के लेखन। सामासिक पदों जैसे 'नागरी प्रचारिणी सभा' को किस प्रकार लिखा जाएं ? इनको परस्पर जोड़ा जाएं अथवा स्वतंत्र रूप में लिखा जाएं। इस समस्या का समाधान कुछ कठिन है। इसके लिए समास ज्ञान अनिवार्य है। प्रत्येक वर्ग के सामासिक पद को लिखने की अपनी विशेष पद्धति होती है, जैसे तत्पुरुष समास के छोटे शब्दों को एक करके लिखा जाना चाहिए, यथा श्रीपति, लक्ष्मीपति, श्रीनिवास, तथा बड़े शब्दों को पृथक पृथक लिखा जाए - नीरज- निवास, शिव- सदन आदि। द्वंद समास में दोनों शब्दों को अलग अलग लिखना चाहिए, जैसे राजा- रानी, भाई- बहन, रात- दिन आदि।

तीसरी समस्या है- श्रुति का समस्या। हिंदी में 'य' श्रुति के लिए 'ये' और 'ए' दोनों का प्रयोग होता है जैसे- गया का बहुवचन गये और गए दोनों ही प्रकार में लिखा जाता है। इसी प्रकार कथा का बहुवचन गये और गए दोनों ही प्रकार में लिखा जाता है। इसका सीधा सरल समाधान यह है कि संज्ञा शब्दों में 'ए' के द्वारा काम चलाया जाना चाहिए। जैसे - बालिकाएँ, प्रेरणाएँ आदि। जिन क्रिया शब्दों के अंत में 'या' का प्रयोग होता है, उनके बहुवचन में 'ए' का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे गया- गए इत्यादि।

चतुर्थ समस्या है- अनुस्वार, चन्द्र बिन्दु एवं परसवर्ण की। अनुस्वार एवं अनुनासिकता के संबंध में भी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। कहीं अनुस्वार का और कहीं पंचम अक्षर का प्रयोग होता है, जैसे- गंगा तथा गङ्गा। ऐसी स्थिति में यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कौन सा रूप

शुद्ध है। हमारे विचार से दोनों ही प्रयोग ग्रहण होने चाहिए, जैसे –'संबंध' तथा 'सम्बन्ध' आदि।

पंचम समस्या है विदेशी शब्द लिखना। विदेशी भाषाओं के शब्दों में प्राय: ऐसी ध्वनियाँ होती है, जो हिंदी वर्णमाला में नहीं है। अंग्रेजी के Doctor में न शुद्ध 'ओ' है और न ही 'आ' है। ऐसे शब्दों को 'डॉक्टर' करके लिखा जाना चाहिए। Hotel, Restaurant आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। इनके अनुरूप ध्वनियों का हमारे हिंदी भाषा में अभाव है और इन्हें होटेल तथा रेस्टारंट करके लिखा जाना चाहिए।

(ग) लिपि की समस्या :

हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके वर्ण ध्वनि- नियम के अनुसार निर्धारित एवं निर्मित हैं। जो बोला जाता है, वहीं लिखा जाता है तथा जो लिखा जाता है वहीं बोला जाता है। इसमें अन्य भाषाओं की तरह उच्चारण की समस्या नहीं हैं। तब भी विदेशी शब्दों को ग्रहण करते समय लिपि संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इनमें नुक्ता नहीं है। अंत एव अरबी-फारसी के नुक्तावाले शब्दों को लिखते समय वह समस्या उत्पन्न होती है कि उन शब्दों के नीचे नुक्ता लगाया जाए या नहीं। इसी तरह अंग्रेजी के कई शब्दों Father, फूल आदि को फादर, फूल करके उच्चरित किया जाता है। हिंदी के आवश्यकता के अनुसार कुछ शब्दों में नुक्ता लगाए जाते है, जैसे- ज़रूरत, ज़मीन, अर्ज़ी, आतिशबाज़ी आदि ।

(घ) टंकण की समस्या :

हिंदी में संयुक्तानुसार लिखते समय वर्ण नीचे और ऊपर दोनों ही प्रकार से मिलाए जाते है, जैसे - सौहार्द्र, भ्रातृत्व, धर्म इत्यादि। इन शब्दों को भी टाइप करते समय बहुत कठिनाई होती है। इस समस्या के समाधान के लिए डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी प्रभृति विद्वानों ने रोमन लिपि के प्रयोग का सुझाव दिया था। परंतु इसके प्रयोग में भी अनेक कठिनाइयां सामने आई। दूसरी ओर हिंदी के टाइप में आवश्यकता अनुसार कई सुधार कर दिए हैं और अब टंकण की समस्या प्राय: हल हो चुकी है। हिंदी टंकण में रोमन लिपि के प्रयोग का अर्थ यही होता है कि हिंदी का साहित्य नागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि में लिखा जाए। नागरी लिपि टंकण संबंधी समस्याओं का प्राय: समाधान हो चुका है।

(ङ) व्याकरण की समस्या:

हिंदी का व्याकरण एक विशेष रचना पद्धति पर निर्मित है। वह संस्कृत के व्याकरण की भाँति सुनिश्चित नहीं है। इसका एक विशेष कारण है- हिंदी में अनेक भाषाओं का समाहार होना। यद्यपि कामता प्रसाद गुरु और किशोरिदास बाजपेयी प्रभृति विद्वानों ने हिंदी व्याकरण को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त कार्य किया है, फिर भी कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित रहती है। विशेषकर अहिंदी भाषी लोगों की दृष्टि से। जैसे - वह उठ बैठा, वह चल दिया, आदि वाक्यों का अर्थ अहिंदी भाषी इस प्रकार कहता है- वह उठा और बैठ गया तथा वह चला और उसने किसी को कुछ दिया। इस प्रकार के प्रयोग यद्यपि व्याकरण के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते है, फिर भी इनके व्यवस्था की आवश्यकता तो बनी हुई है।

(च) अनुवाद की समस्या :

हिंदी में विभिन्न विषयों की पुस्तकें उपलब्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि अन्य भाषाओं में लिखित श्रेष्ठ एवं उपयोगी पुस्तकों के अनुवाद प्रस्तुत किए जाएँ। इससे हिंदी भाषियों को संसार के श्रेष्ठ ग्रन्थों में निहित ज्ञान प्राप्त होगा तथा शैक्षिक कार्य में सहायता भी प्राप्त होगी। अनुवाद कार्य का एक पहलू यह भी है कि हिंदी ग्रन्थों को नए भाषाओं में अनूदित किया जाए और इस दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है (व्यक्तिगत एवं सरकारी दोनों ही स्तरों पर)। सरकारी स्तर पर किए गए अनुवाद करना कठिन है, जिससे पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण होता है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की कई समस्याएँ है परंतु वे सबकी सब ऐसी है जिनका समाधान सहज ही किया जा सकता है।



अपनी प्रगति जांचें

प्रश्न संख्या 1. परिभाषा शब्दावली की समस्या का उल्लेख करें ?

प्रश्न संख्या 2. हिंदी भाषा लिखते समय व्याकरण की दृष्टि से क्या-क्या समस्या हो सकती है ?



4.7 सारांश

प्रस्तुत इकाई से हमें निष्कर्षत: यह कह सकते है कि हिंदी का जन्म वीरों और तलवारों के मध्य हुआ। उसको राज्याश्रय कभी भी प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी भारतवासियों की कंठहार रही और राष्ट्रभाषा के सम्पूर्ण उत्तरदायित्व का वहन करती रही।

औपचारिक रूप से उसको राष्ट्रभाषा का पद अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है यह हमारी मानसिक दासता का द्योतक है। सरकार तथा जनता दोनों का समान रूप से यह कर्तव्य हो जाता है कि उसके भंडार को अधिकाधिक समृद्ध करें तथा जल्द ही उसको राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करें। जब तक अंग्रेजी का स्थान हिंदी नहीं लेती है तब तक हमारी स्वतंत्रता अधूरी ही समझी जाएगी।



4.8 प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा)

प्रश्न 1 का उत्तर : पारिभाषिक शब्द असामान्य होते हैं, क्योंकि वे सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते । जैसे - चित्र - तुरग - न्याय, प्रतिभूति आदि । किसी एक क्षेत्र के विशिष्ट

पारिभाषिक शब्द का स्थान अन्य कोई दूसरा शब्द नहीं ले सकता । इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ऊपर इसकी विस्तार रूप से चर्चा हुई है ।

प्रश्न 2 का उत्तर :वर्तनी एवं लिंग की अशुद्धियां, प्राय: देखने को मिलती हैं। हिंदी शब्दकोश से भली-भांति परिचित नहीं होने के कारण, लोग धड़ल्ले से उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। शुद्ध हिंदी लिखने-बोलने के संबंध में भ्रम फैलाया जाता है, उपहास उड़ाया जाता है। अत: सर्वप्रथम तो हिंदी को, सच्चे मन से,अपनाने की आवश्यकता है। अधिक जानने के लिए कृपया इकाई को देखें।



4.9 अधिक जानने के लिए पढ़े

1. डॉ. भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, किताब महल।
2. डॉ. एच. परमेश्वरन, हिंदी भाषा और लिपि, वाणी प्रकाशन, दिल्ली।
3. रामकिशोर शर्मा, हिंदी भाषा और लिपि, राजकमल प्रकाशन।



4.10 अभ्यास प्रश्न

(क) संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. भाषा विद्वान मारियो पाई की परिभाषा दीजिए ?
2. अनुवाद की समस्या का उल्लेख करें ?

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. हिंदी और राष्ट्रभाषा के बारें में चर्चा कीजिए।
2. राष्ट्रभाषा बनने के लिए क्या-क्या गुण अथवा विशेषताएँ होनी चाहिए उसके बारें में चर्चा कीजिए।
3. क्या हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनना उचित है ? अगर उचित है तो उसके बारें में विस्तार रूप से बताइए।
4. राष्ट्रभाषा हिंदी होने के बाद उसके लिए क्या क्या समस्याएँ होंगी और उसका समाधान क्या होगा उसके बारें में विस्तार से बताइए।

*** ***** ***

इकाई 5 : लिपि की उत्पत्ति और विकास

इकाई की रूपरेखा

5.1 उद्देश्य

5.2 प्रस्तावना

5.3 लिपि की उत्पत्ति और विकास

5.4 लिपि के विकास क्रम में आनेवाली विभिन्न लिपियाँ

- 5.4.1 चित्र लिपि
- 5.4.2 सुत्रलिपि
- 5.4.3 खरोष्ठी लिपि
- 5.4.4 ब्राह्मी लिपि
- 5.4.5 कुटिल लिपि
- 5.4.6 नागरी लिपि
- 5.4.7 शारदा लिपि
- 5.4.8 गुरुमुखी लिपि

5.5 सारांश

5.6 अधिक जानने के लिए पढ़े

5.7 अभ्यास प्रश्न

5.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप –

- लिपि से क्या ताप्रर्य हैं, उसके बारे में ज्ञात हो पाएंगे।
- लिपि के विकास के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे
- तथा विभिन्न लिपि और इसके विशेषताओं के बारे में जान सकेंगे।

5.2 प्रस्तावना

भाषा अपने मूल रूप में ध्वनियों पर आधारित है, लिपि में उन ध्वनियों को रेखाओं द्वारा व्यक्त किये जाते है। आधुनिक काल में लिपियों के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है। भाषाओं काल और स्थान की दृष्टि से कुछ सीमाओं में बंधे हुए होते है। डॉ. भोलानाथ तिवारी द्वारा लिखा गया एक मत इस सन्दर्भ में कहा जा सकता है– 'काल और स्थान की सीमा के बंधन से भाषा को निकलने के लिए लिपि का जन्म हुआ है।' आइए लिपि की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं।

5.3 लिपि की उत्पत्ति और विकास

लिपि मनुष्य समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास हमें बताता है कि लिपि से संबंधित और उसके आविष्कार के प्रति हम भारतीय प्रारंभ से ही प्रयत्नशील रहे हैं। सिंधु सभ्यता काल से लेकर आज तक लिपि का वह स्वरूप हमारे सम्मुख है जिसका चिंतन मनुष्य ने भाषा के प्रति ठोस रूप देने हेतु किया था। लिपि के आरंभ की कहानी प्राचीन ही नहीं, अपितु रोचक भी है। रोचक इसीलिए की अनेक विद्वान लिपि का जन्म भारतवर्ष को स्वीकार करते हैं जबकि पश्चिमी चिंतक यह तर्क देते हैं कि संसार की सभी भाषाओं और उसे रूप प्रदान करने वाली लिपि का जन्मदाता पश्चिम है। यूरोपीय विद्वानों के समर्थन में अनेक भारतीय विद्वान भी उनके स्वर में अपना स्वर मिलाते हुए यह तर्क देते हैं कि पश्चिम के देश अथवा भारत में लिपि का आगमन पश्चिम से हुआ है। लिपि की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में परस्पर मतभेद रहा है। कुछ भारतीय विद्वान लिपि के आविष्कर्ता के रूप में ब्रह्मा को मानते है। ठीक इसी प्रकार मिस्री के लोग अपनी लिपि का कर्तृता थाथ या आइसिस को, बेबिलोनिया के लोग नेबो को, यूनानी लोग हर्मेस या पैलमिड्स, आफर्युस तथा लिनोज आदि अन्य पौराणिक व्यक्तियों को मानते हैं। मगर, भाषा ई तरह ही यह मत केवल अंधविश्वास मात्र है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार लिपि को स्वयं जन्म दिया है। प्रारंभ में मनुष्य ने इस दिशा में जो कुछ भी किया, वह इस दृष्टि से नहीं किया गया था की उससे लिपि विकसित हो, बल्कि जादू-टोन के लिए कुछ रेखाएँ खिंची गई या धार्मिक दृष्टि से किसी देवता का प्रतिक या चित्र बनाया गया या पहचान के लिए अपने-अपने घड़े या अन्य चीजों पर कुछ चिह्न बनाये गए, ताकि बहुतों की ये चीजें जब एक स्थान पर रखी जाए तो लोग सरलता से अपनी चीजें पहचान सकें, इन्हीं साधनों का प्रयोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाने लगा और कालांतर में लिपि का विकास होने लगा। कहा जाता है 10,000 ई. पु. और 4,000 ई. पु. के बीच लिपि का प्रारंभिक विकास होने लगा।

5.4 लिपि के विकास क्रम में आनेवाली विभिन्न लिपियाँ

यद्यपि संसार भर में प्रयोग हो रही भाषाओं की संख्या अब भी हजारों में है, तथापि इस समय इन भाषाओं को लिखने के लिये केवल लगभग दो दर्जन लिपियों का प्रयोग हो रहा है। हम इनमें से कुछ लिपि के विकास क्रम में निम्न प्रकार अध्ययन करेंगे-

1. चित्रलिपि
2. सुत्रलिपि
3. प्रतीकात्मक लिपि
4. खरोष्ठी लिपि
5. ब्राह्मी लिपि
6. कुटिल लिपि

7. नागरी लिपि
8. शारदा लिपि
9. गुरुमुखी लिपि
10. ग्रन्थ लिपि
11. भावमुलक लिपि
12. भाव-ध्वनिमुलक लिपि
13. ध्वनिमुलक लिपि आदि।

5.4.1 चित्र लिपि

लेखन के इतिहास की सबसे प्राचीन लिपि है, चित्रलिपि। इन्हीं चित्रों से चित्रकला के इतिहास विस्तारित होने लगा। चित्रलिपि में मूलत: किसी विशिष्ट वस्तु का चित्र बना दिया जाता था। जैसे- सूर्य के लिए गोला तथा उसके चरों और निकलती रेखाएँ, पशु-पक्षी तथा मनुष्य के लिए उनका चित्र आदि। इस लिपि की बहुत सारे कठिनाइयों के कारण धीरे धीरे ये प्रतीकात्मक हो गयी।

5.4.2 सुत्रलिपि

सुत्रलिपि का इतिहास भी बहुत पुराना है। प्राचीन काल से आज भी यह परंपरा किसी न किसी रूप में चली आ रही है। किसी बात को सूत्र में रखने या सूत्र याद करके पूरी बात को याद रखने की परम्परा का संबंध इसी से ज्ञात होता है। पीरु के सेनिक अफ़सर इस लिपि का विशेष प्रयोग करते थे। प्राचीन समय में चीन तिब्बत में भी इसी लिपि का प्रयोग किया करते थे।

5.4.3 खरोष्ठी लिपि

भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में प्रचलित यह लिपि दायें से बायें लिखी जाती थी। इसे विदेशी उद्गम लिपि यानी अरामाइक और सीरियाई लिपि से विकसित माना जाता है। कुल 37 वर्णों वाली इस लिपि में स्वरों का अभाव था, यहाँ तक की मात्राएँ और संयुक्ताक्षर भी नहीं मिलते हैं। सम्राट अशोक के शहबाज़गढ़ी और मानसेहरा (पाकिस्तान) स्थित अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रमाण मिलता है।

5.4.4 ब्राह्मी लिपि

ब्राह्मी भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है तथा इसका प्रयोग सम्राट अशोक के लेखों में हुआ है। ब्राह्मी लिपि प्राचीन काल की सर्वश्रेष्ठ लिपि रही है। 5वीं

सदी ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक इसका एक ही रूप मिलता है, लेकिन बाद में इसके दो विभाजन मिलते हैं- उत्तरी धारा व दक्षिणी धारा। ब्राह्मी की उत्तरी धारा में गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा और देवनागरी को रखा गया है। दक्षिणी धारा में तेलुगु, कन्नड़, तमिल, कलिंग, ग्रंथ, मध्य देशी और पश्चिमी लिपि शामिल हैं। ब्राह्मी लिपि बायें से दायें लिखी जाती थी।

5.4.5 कुटिल लिपि

गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप मानी जाने वाली इस लिपि को 'न्यूनकोणीय लिपि' तथा 'सिद्ध मातृका' लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि में अक्षरों के सिर ठोस त्रिकोण जैसे हैं, लेकिन कहीं-कहीं ये आड़े-तिरछे, टेढ़े-मेढ़े या कुटिल ढंग से भी हैं। यह लिपि छठी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक प्रचलन में रही।

5.4.6 नागरी लिपि

बायें से दायें की ओर लिखी जाने वाली नागरी लिपि अत्यंत व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक लिपि है। इसमें ध्वनि एवं अक्षरों का उत्कृष्ट समन्वय होता है। इसे देवनागरी लिपि भी कहा जाता है। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान की गई है। उत्तर भारत में 8वीं शताब्दी से आज तक अनेक भाषाओं में देवनागरी का प्रयोग होता आया है, यथा- संस्कृत, मराठी, हिन्दी, भोजपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, गढ़वाली आदि।

5.4.7 शारदा लिपि

आठवीं शताब्दी में कश्मीर में 'सिद्ध मातृका लिपि' से विकसित इस लिपि के अनेक अभिलेख कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि में मिले हैं।

5.4.8 गुरुमुखी लिपि

सिखों के दूसरे गुरु अंगद द्वारा विकसित इस लिपि में पंजाबी भाषा में 'गुरु ग्रंथ साहिब' का संकलन हुआ है।



5.5 सारांश

मूलत: लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, वही लिपि कहलाती

है। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। भाषा वो चीज़ होती है जो बोली जाती है, लिखने को तो उसे किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। किसी एक भाषा को उसकी सामान्य लिपि से दूसरी लिपि में लिखना, इस तरह कि वास्तविक अनुवाद न हुआ हो, इसे लिप्यन्तरण कहते हैं। लिपि प्रतीक-चिह्नों की एक व्यवस्था है जिसके तहत भाषाओं को लिखा जाता है। भारत में भीमबेटका के गुफा-चित्रों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि लेखन कला की शुरुआत चित्र-लिपि से हुई। भारत में लिपि की उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता से मानी जाती है, किंतु आज तक मनुष्य उस लिपि को पढ़ने में कामयाब नहीं हो सका है।



5.6 अधिक जानने के लिए पढ़े

1. डॉ. भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, किताब महल।
2. डॉ. एच. परमेश्वरन, हिंदी भाषा और लिपि, वाणी प्रकाशन, दिल्ली।
3. रामकिशोर शर्मा, हिंदी भाषा और लिपि, राजकमल प्रकाशन।



5.7 अभ्यास प्रश्न

(क) संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. लिपि का प्रारंभिक विकास कब से माना गया है?
2. लिपि के विकास क्रम में आनेवाली किसी एक लिपि का नाम लिखिए?
3. ब्राह्मी लिपि किसे कहते है?
4. 'गुरुमुखी लिपि की परिभाषा दीजिए?

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. लिपि से आप क्या समझते हैं तथा भारत की सबसे प्राचीन लिपि क्या है? सतर्क उत्तर दीजिए?
2. लिपि की उत्पत्ति और विकास पर एक लेख प्रस्तुत कीजिए।
3. विभिन्न लिपियों का परिचय देते हुए बताइयें की भाषा में लिपि का क्या महत्व हैं?

*** ***** ***

इकाई 6 : देवनागरी लिपि

इकाई की रूपरेखा

6.1 उद्देश्य
6.2 प्रस्तावना
6.3 नागरी लिपि
6.4 देवनागरी लिपि की विशेषताएँ
6.5 देवनागरी लिपि के गुण
6.6 देवनागरी लिपि के दोष
6.7 देवनागरी लिपि में किये गए सुधार
6.8 सारांश
6.9 प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा)
6.10 अधिक जानने के लिए पढ़े
6.11 अभ्यास प्रश्न

6.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप –

- देवनागरी लिपि के बारे में जान सकेंगे।
- देवनागरी लिपि की विशेषताओं से परिचय प्राप्त होगा।
- देवनागरी लिपि की गुण-दोषों से भी ज्ञात हो पाएंगे।

6.2 प्रस्तावना

देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएँ तथा कुछ विदेशी भाषाएँ लिखीं जाती हैं। संस्कृत, पालि, हिन्दी, मराठी, कोंकणी, सिन्धी, कश्मीरी, नेपाली, गढ़वाली, बोड़ो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएँ देवनागरी में लिखी जाती हैं। इसे नागरी लिपि भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी, विष्णुपुरिया मणिपुरी, रोमन और उर्दू भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। भाषा विज्ञान की शब्दावली में इस लिपि को 'अक्षरात्मक' लिपि कहा जाता है। यह विश्व में प्रचलित सभी लिपियों की अपेक्षा अधिक पूर्णतर है।



महत्वपूर्ण बिंदु

ब्राह्मी लिपि को वर्तमान समय में हमारे समक्ष प्रकट करने का श्रेय अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने (1837 ई.) को जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम 'साँची के स्तूप' पर अंकित ब्राह्मी अक्षरों में 'दानं' शब्द को पढ़ा तथा इसी शब्द के आधार पर जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला तैयार की।

6.3 नागरी लिपि

भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी का प्रयोग 5 वीं सदी ई. पु. से लेकर लगभग 350 ई. तक होता रहा। इसके बाद इसकी दो शैलियों का विकास हुआ- उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली से चौथी सदी में गुप्त लिपि का विकास हुआ जो 5 वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही- गुप्त लिपि से छठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इस कुटिल लिपि से ही नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। दक्षिण भारत में इसका नाम 'नगरी' न होकर नंदिनागरी है। प्राचीन नागरी से ही आधुनिक नागरी, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, कैथी, मैथिली, असमिया, बंग्ला आदि लिपियाँ विकसित हुई। कुछ लोग कुटिल लिपि से ही प्राचीन नागरी तथा शारदा के अतिरिक्त एक और प्राचीन लिपि विकसित मानते हैं, जिससे आगे चलकर असमिया, बंग्ला, मणिपुरी आदि पूर्वी अंचल की लिपियाँ विकसित मानी जाती है। प्राचीन नागरी से 15-16 वीं सदी में आधुनिक नागरी विकसित हुई।

यह नाम कैसे पड़ा इस पर भी विवाद है। कुछ उदहारण निम्नलिखित हैं-

- गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा विशेष रूप से प्रयुक्त होने के कारण यह नागरी कहलाई।
- कुछ लोगों के अनुसार ललितविस्तर में उल्लेखित 'नाग लिपि' ही 'नागरी लिपि है, अर्थात 'नाग' से 'नागर' शब्द का संबंध है।
- नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम 'नागरी' पड़ा।
- तांत्रिक चिह्न 'देवनागर' से साम्य के कारण इसे 'देवनागरी' और फिर 'नागरी कहा गया।
- 'देवनगर' अर्थात काशी में प्रचार होने के कारण यह 'देवनागरी' कहलाई।

उल्लेखित मतों में से अधिक मत प्रमाणिक नहीं हैं जिससे नागरी नाम की व्युत्पत्ति का प्रश्न अभी तक विद्यमान है।

6.4 देवनागरी लिपि की विशेषताएँ

भारत में लिपि का उद्भव और प्रचार कब हुआ था, इस विषय को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। लिपि का उद्भव भाषा के बहुत बाद हुआ। भाषा तथा लिपि दोनों ही भावाभिव्यक्ति के साधन है। भाषा का प्रारम्भिक रूप संकेत भाषा है, तथा लिपि का प्रारम्भिक रूप चित्रात्मक

रहा। भारत में प्राचीन लिपियाँ दो हैं- ब्राह्मी और खरोष्ठी। खरोष्ठी एक विदेशी लिपि है, जिसका प्रचार पश्चिमोत्तर प्रदेश में हुआ था, यह दायें से बायें की ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी भारत की प्राचीनतम लिपि है तथा सभी भारतीय लिपियों की जननी है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग 5वीं सदी ई. पू. से लेकर लगभग 350 ई. पू तक होता रहा। इसके बाद ब्राह्मी लिपि की दो शैलियों का विकास हुआ- उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली में चौथी सदी में गुप्त लिपि का विकास हुआ, जो 5वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। गुप्त लिपि से छठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई जो आठवीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। इसी कुटिल लिपि से नौवीं सदी में नागरी लिपि के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहा जाने लगा। प्राचीन नागरी से ही आधुनिक नागरी, राजस्थानी, कैथी, मैथिली, असमिया, बांग्ला, गुजराती आदि लिपियाँ विकसित हुई है। प्राचीन नागरी से 15-16 वीं सदी में आधुनिक नागरी का विकास हुआ। अतः कहा जा सकता है कि भारत की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी से क्रमशः विकसित होती विभिन्न लिपियों के क्रम में नौंवी शताब्दी में प्राचीन नागरी का रूप सामने आया। इसके पश्चात नागरी का विकास हुआ। नागरी लिपि के चिह्नों को लगातार सरल, सुबोध, वैज्ञानिक बनाने के प्रयत्न में नागरी लिपि का वर्तमान का रूप सामने आया है। वर्तमान देवनागरी लिपि और नागरी लिपि एक ही है। देवनागरी लिपि के विकास के विषय में महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने 'भारतीय प्राचीन लिपि' नामक ग्रंथ में इस प्रकार कहा है कि - 'दसवीं शताब्दी के उत्तरी भारत की नागरी लिपि में कुटिल लिपि के अ, आ, घ, प, य, ष और स के सिर के दो अंशों में विभक्त मिलते हैं, परंतु ग्यारहवीं शताब्दी की वर्तमान नागरी से मिलती-जुलती है और बारहवीं शताब्दी से वर्तमान नागरी बन गयी। बारहवीं शताब्दी से लगातार अब तक नागरी लिपि बहुधा एक ही रूप में चली आ रही है।'

भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। विश्व की कोई भी वर्णमाला देवनागरी के समान वैज्ञानिक नहीं है। इस लिपि की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार है-

- **चिह्नों की संख्या**- नागरी में चिह्नों की संख्या बहुत अधिक है। रोमन लिपि में मात्र 26 चिह्न है। इस दृष्टि से नागरी तथा ब्राह्मी से विकसित अन्य कई भारतीय लिपियाँ पर्याप्त सम्पन्न है।
- **आदर्श वर्गीकरण**- नागरी लिपि के वर्णमाला का वर्गीकरण पूर्ण वैज्ञानिक है। नागरी वर्णमाला को मुख्यतः दो वर्गों में विभक्त किया गया है- स्वर तथा व्यंजन। देवनागरी लिपि में स्वर को पहले तथा व्यंजन को बाद में स्थान दिया गया है। स्वर तथा व्यंजन वर्णों की व्यवस्था और वर्गीकरण पूर्ण वैज्ञानिक है।
- **लिपि चिह्नों के नाम ध्वनि के अनुरूप होना**- देवनागरी लिपि की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि जो लिपि-चिह्न जिस ध्वनि का द्योतक है, उसका नाम भी वही है। इस प्रकार देवनागरी वर्ण ज्ञान होने पर किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण सम्भव है, रोमन लिपि में यह गुण नहीं है, तथा भाषा सीखने वाले व्यक्ति को बहुत कठिनाई होती है।

- **एक ध्वनि के लिए एक लिपि-चिह्न**- देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक लिपि चिह्न का प्रयोग किया जाता है। रोमन लिपि में यह गुण नहीं के बराबर है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक से अधिक चिह्नों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ङ्क 'क' के लिए k, Ch, C, Ck, Que, X आदि।
- **एक लिपि संकेत के लिए एक ध्वनि**- एक लिपि संकेत के लिए एक ध्वनि का होना वैज्ञानिक लिपि की विशेषता है। देवनागरी लिपि के किसी वर्ण को शब्द के आदि, मध्य अथवा अंत कहीं पर भी प्रयोग किया जाए, ध्वनि एक ही होती है।
- **मात्रा का प्रयोग**- नागरी लिपि में स्वर यदि स्वतंत्र रूप से आते हैं तो पूरे वर्ण-चिह्न का प्रयोग होता है, किंतु व्यंजन के साथ अ के अतिरिक्त अन्य सभी का मात्रा रूप प्रयुक्त होता है। इसके कारण चिह्नों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- **सुपाठ्यता**- सुपाठ्यता किसी भी लिपि के लिए आवश्यक गुण है। इस दृष्टि से देवनागरी बहुत वैज्ञानिक लिपि है।
- **ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर के लिए स्वतंत्र चिह्न**- रोमन लिपि में 'ए' (A) अक्षर से 'अ' और 'आ' दोनों का काम लिया जाता है। लेकिन नागरी लिपि में अ-आ, इ-ई, उ-ऊ में स्पष्ट अंतर है, जिससे भ्रम उत्पन्न नहीं होता।

6.5 देवनागरी लिपि के गुण

देवनागरी लिपि में अनेक गुण है। इसके कारण उत्तर भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपि देवनागरी हैं। देवनगरी लिपि के प्रमुख गुण इस प्रकार है-

- देवनागरी लिपि के स्वर और व्यंजन वैज्ञानिक रीति से क्रमबद्ध रूप में हैं। इसमें 14 स्वर वर्ण है और 33 व्यंजन वर्ण है। इसके अतिरिक्त क्ष, त्र, ज्ञ, आदि संयुक्ताक्षर भी हैं।
- देवनागरी लिपि बड़ी लचीली प्रकृति की है।
- यह लिपि वर्णोच्चारणात्मक है, अर्थात जिस वर्ण या अक्षर का जैसा उच्चारण होता है, वैसे ही लिखा भी जाता है।
- इसके प्रत्येक वर्ण, उच्चारण, प्रयोग और लेखन में एक जैसे ही रहते हैं।
- देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की मात्राएँ भी है।
- देवनागरी लिपि में संयुक्ताक्षरों को जोड़कर लिखा जाता है, यह भी इस लिपि की एक खासियत है।
- देवनागरी लिपि की एक गुण यह भी है की इसके लेखन में स्थान कम से कम घिरता है। जैसे रोमन लिपि में 'light' शब्द में 'gh' अनावश्यक है।
- नागरी की सभी ध्वनियों का उच्चारण सदा और सर्वत्र एक सा रहता है। 'राम' और 'काम' में उच्चारण नहीं बदलता। पर रोमन में 'Put' और 'But' एक जैसे होने पर भी

इनका उच्चारण भिन्न है।

- देवनागरी लिपि आक्षरिक है। इसमें स्वर तथा व्यंजन का संयोग रहता है।

6.6 देवनागरी लिपि के दोष

देवनागरी लिपि के दोष इस प्रकार है-

- वैज्ञानिक लिपि को वर्णनात्मक होना चाहिए, आक्षरिक नहीं। वैज्ञानिक लिपि के लिपि-चिह्न भाषा में प्रयुक्त हर व्यंजन तथा हर स्वर के लिए अलग-अलग होने चाहिए। नागरी लिपि में क, ख, ग आदि व्यंजन चिह्नों में व्यंजन तथा स्वर मिले हुए हैं, अर्थात यह वर्णनात्मक नहीं है, आक्षरिक है।
- एक वैज्ञानिक लिपि में हर ध्वनि के लिए लिपि-चिह्न होने चाहिए। नागरी लिपि में दंतोष्ठ्य व, न्ह, म्ह, ल्ह आदि के लिए अलग चिह्न नहीं है।
- एक चिह्न से केवल एक ही ध्वनि व्यक्त होनी चाहिए, एक से अधिक नहीं। नागरी लिपि में 'व' से दो ध्वनियाँ व्यक्त होती है।
- लेखन में लिपि-चिह्नों को उसी क्रम में आना चाहिए जिस क्रम में उनका उच्चारण किया जाता है। नागरी लिपि में कुछ लिपि-चिह्न यथाक्रम से नहीं आती।
- एक ध्वनि के लिए केवल एक ही लिपि-चिह्न होना चाहिए, एकाधिक नहीं। नागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एकाधिक चिह्न का प्रयोग किया जाता है।
- वैज्ञानिक लिपि में अक्षरों में समानता के कारण भ्रम उत्पन्न नहीं होना चाहिए। नागरी लिपि में कुछ अक्षरों के लेखन में भ्रम उत्पन्न होता है।
- नागरी में संयुक्त व्यंजन स्वतंत्र अक्षर जैसे- श्र, ज्ञ, त्र, द्य आदि को छोड़ शेष आदि रूपों में संयुक्त व्यंजन लिखे जा सकते हैं।
- वैज्ञानिक लिपि में लेखन की एकरूपता आवश्यक है। हिंदी भाषा की दृष्टि से नागरी लिपि में शिरोरेखा, बिंदी, चंद्रकार तथा अनुस्वार के प्रयोग में एकरूपता नहीं है।



अपनी प्रगति जांचें

प्रश्न संख्या 1. देवनागरी लिपि के गुण के बारे में चर्चा करें?

प्रश्न संख्या 2. देवनागरी लिपि के दोष के बारे में चर्चा करें?

6.7 देवनागरी लिपि में किए गए सुधार

देवनागरी लिपि की सुधार पर कई कार्य किये गए, जिनमें से प्रमुख हैं-

1. बाल गंगाधर का 'तिलक फ़ांट' (1904-26)।

2. सावरकर बंधुओं का 'अ की बारहखड़ी'।
3. श्यामसुन्दर दास का पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव।
4. गोरख प्रसाद का मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ़ अलग रखने का सुझाव।
5. श्रीनिवास का महाप्राण वर्ण के लिए अल्प्रमाण के नीचे ऽ चिह्न लगाने का सुझाव।
6. हिन्दी साहित्य सम्मेलन इन्दौर अधिवेशन और काका कालेलकर के संयोजकत्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन (1935) और उसकी सिफ़ारिशें।
7. काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा अ की बारहखड़ी और श्रीनिवास के सुझाव को अस्वीकार करने का निर्णय (1945)।
8. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित आचार्य नरेन्द्र देव समिति का गठन (1947) और उसकी सिफ़ारिशें।
9. शिक्षा मंत्रालय के देवनागरी लिपि संबंधी प्रकाशन—'मानक देवनागरी वर्णमाला' (1966 ई.), 'हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण' (1967 ई.), 'देवनागरी लिपि तथा हिन्दी की वर्तनी का मानकीकरण' (1983 ई.) आदि।



6.8 सारांश

देवनागरी लेखन की दृष्टि से सरल, सौन्दर्य की दृष्टि से सुन्दर और वाचन की दृष्टि से सुपाठ्य है। यह लिपि भारत में सर्वाधिक प्रचलित लिपि है, जिसमें संस्कृत, हिन्दी और मराठी भाषाएँ लिखी जाती हैं। इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख 453 ई. में जैन ग्रंथों में मिलता है। यह अपने आरंभिक रूप में ब्राह्मी लिपि के नाम से जानी जाती थी। इसका वर्तमान रूप नौवीं-दसवीं शताब्दी से मिलने लगता है। इसके लिखित और उच्चारित रूप में कोई अंतर नहीं पड़ता है। प्रत्येक ध्वनि संकेत यथावत लिखा जाता है। अक्षरों की क्रम व्यवस्था, विन्यास भी बहुत ही वैज्ञानिक है। स्वर-व्यंजन, कोमल-कठोर, अल्पप्राण-महाप्राण, अनुनासिक्य-अन्तस्थ-उष्म इत्यादि वर्गीकरण भी वैज्ञानिक हैं।



6.9 प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा)

प्रश्न 1 का उत्तर : देवनागरी लिपि में क, ख, ग, घ आदि का नाम और उच्चारण समान है इसके विपरीत रोमन में अक्षरों के नाम और उच्चारण में अंतर होता है। एक अक्षर एक ही ध्वनि का वाहक होना चाहिए। अधिक जानने के लिए इकाई को पढ़े।

प्रश्न 2 का उत्तर : देवनागरी लिपि के संयुक्त वर्णों में वर्णक्रम के निर्धारण में कई बार भ्रम की

स्थिति बनती है कि किस वर्ण को पहले लिखा जाए। ऊपर इसकी विस्तारपुर्वक चर्चा की गयी है, कृपया ध्यान से पढ़े।



6.10 अधिक जानने के लिए पढ़े

1. भाषा विज्ञान, डॉ.भोलानाथ तिवारी, किताब महल।
2. डॉ. एच. परमेश्वरन, हिंदी भाषा और लिपि, वाणी प्रकाशन, दिल्ली।
3. रामकिशोर शर्मा, हिंदी भाषा और लिपि, राजकमल प्रकाशन।



6.11 अभ्यास प्रश्न

(क) संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. देवनागरी लिपि के स्वर और व्यंजन कितने है?
2. देवनागरी लिपि की सुधार पर किसी एक कार्य का नाम बताएं?
3. रोमन लिपि में चिह्न कितने है?

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. देवनागरी लिपि से आप क्या समझते है? इसके विभिन्न नामों के सन्दर्भ में दिए गए विद्वानों के मतों को व्यक्त कीजिए।
2. देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और इसके सुधार पर अपना मत स्पष्ट कीजिए।

*** ***** ***

इकाई 7 : हिंदी ध्वनि

इकाई की रूपरेखा

7.1 उद्देश्य

7.2 प्रस्तावना

7.3 हिंदी ध्वनियों का विकासक्रम

7.4 फारसी भाषा से आए ध्वनियों के लिए सामान्य बातें।

7.5 अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए ध्वनियों के विषय में सामान्य बातें

7.6 संस्कृत भाषा से हिंदी में आए ध्वनियों के विषय में सामान्य बातें

7.7 वर्गीकरण का मुख्य सिद्धांत

7.8 ध्वनि परिवर्तन के कारण

7.8.1 ध्वनि परिवर्तन के आंतरिक कारण

7.8.2 ध्वनि परिवर्तन के बाह्य कारण

7.9 सारांश

7.10 प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा)

7.11 अधिक जानने के लिए पढ़े

7.12 अभ्यास प्रश्न

7.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप –

- ध्वनि से क्या ताप्रर्य है, उसके बारे में ज्ञान हासिल कर पाएंगे।
- ध्वनियों के विकास-क्रम के बारे में जान पाएंगे।
- ध्वनि परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में जान सकेंगे।
- ध्वनियों के वर्गीकरण के बारे में जानकारी मिलेंगी।

7.2 प्रस्तावना

किसी भी वस्तु से किसी भी तरह का कुछ ऐसा हो जो सुना जा सके, उसे ही ध्वनि कहा जाता है। डॉ. भोलानाथ तिवारी ने अपनी पुस्तक 'भाषा विज्ञान' में ध्वनि की परिभाषा देते हुए कहा है कि 'भाषा ध्वनि भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुतम इकाई है जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता की दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तित्व हो'। किसी भी भाषा में ध्वनि के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। भाषा मूलत:उच्चरित होती है। उच्चरित भाषा में शब्दों का निर्माण ध्वनि से होता है। भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। ध्वनियों के उत्पादन में वायु सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, वायु का

मुखविवर में उसके किसी स्थान पर अवरोध, स्पर्श, घर्षण, कम्पन आदि आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। भाषावैज्ञानिक दृष्टि से ध्वनि को 'स्वन' कहा जाता है। भाषाविज्ञान में ध्वनियों का अध्ययन ध्वनिविज्ञान या स्वनविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की हैं- 'स्वर' ध्वनि और 'व्यंजन' ध्वनि। हिंदी में दस स्वरों का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है- अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। ऋ, अं और अः वस्तुतः स्वर नहीं हैं, ये स्वर और व्यंजन के योग है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या बयालीस है, जो इस प्रकार है- क, ख, ग, घ, ङ; च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह आदि। न्ह, म्ह, ल्ह भी अलग व्यंजन हैं। ष का लेखन में प्रयोग होता है, किंतु वह उच्चारण में श है। क्ष, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है।



महत्वपूर्ण बिंदु

वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसे ध्वनि के नाम से भी जानते है। वर्ण और ध्वनि में एक अंतर भी होता है, जो इस प्रकार है : मौखिक भाषा को ध्वनि कहा जाता है वही लिखित भाषा को वर्ण कहते है। हिंदी में कुल 52 वर्ण है।

7.3 हिंदी ध्वनियों का विकासक्रम

किसी भाषा की ध्वनियों का विकास मुख्यतः उस भाषा से होता है, जो उसके मूल में होती है। हिंदी ध्वनियों का विकास मूलतः संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश से हुआ है। मध्यकाल में फारसी भाषा के भी कुछ ध्वनियाँ हिंदी में आ मिलीं, जैसे- अ (अनार), आ (आदमी), इ (इज्जत), ई (ईमान), उ (उस्ताद), ऊ (कानून), ए (एहसान), ज (जलसा), त (तबला), द (दौलत), र (रंगीन), म (मजदूर), य (याद), व (वकील), च (चन्दा) आदि।

आचार्य नरेन्द्र शर्मा के अनुसार वैदिक संस्कृत में 52 मूल ध्वनियाँ थी। देवेंद्रनाथ शर्मा ने 52 ध्वनियों के अलावा वेद की दो अन्य ध्वनियों का भी उल्लेख किया है, जो है- ह्रस्व ग्वु और ग्वुं. इस प्रकार वैदिक संस्कृत में कुल 54 ध्वनियाँ थी।

हिंदी की विकसित ध्वनियाँ निम्निलखित हैं-

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ

क, ख, ग, घ, ङ

च, छ, ज, झ, ञ

ट, ठ, ड, ढ, ण

त, थ, द, ध, न, न्ह

प, फ, ब, भ, म, म्ह

य, र, ल, ल्ह, व, व (नुक्ता वाला)

श, स, ह

फारसी से हिंदी में पाँच ऐसे नए व्यंजनों का भी विकास हुआ जो हिंदी या उसकी पुरानी परम्परा में नहीं थे, जो है नुक्तावाले क, ख, ग, ज, फ आदि।

आधुनिक काल में अंग्रेजी भाषा से हिंदी में वे ध्वनियाँ आयी हैं, जो इन भाषाओं के सम्पर्क में आने से पहले ही संस्कृत परम्परा से हिंदी में थी। संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी तीनों ही से आए शब्दों में दो प्रवृत्तियाँ सामान्य रूप से मिलती है, जो इस प्रकार है-

1. जो ध्वनियाँ इन भाषाओं में तथा हिंदी में समान हैं, स्वभावत: प्राय ज्यों की त्यों हिन्दी में आ गयी है।
2. जिन ध्वनियों में थोड़ा बहुत अंतर है, प्राय वह निकटतम हिंदी ध्वनि में परिवर्तित हो गयी है।

7.4 फारसी भाषा से आए ध्वनियों के लिए सामान्य बातें

1. हिंदी के सुशिक्षित वर्ग में प्रभावस्वरूप पाँच नए व्यंजन आ गए, जिनमें नुक्तावाले फ, ज का तो प्रयोग होता था लेकिन नुक्तावाले क़, ख़, ग़ का प्रयोग काफी कम होने लगा।
2. बोलचाल की सामान्य हिंदी में नुक्तावाले क़, ख़, ग़, ज़, फ़ क्रमश: क, ख, ग, ज, फ हो गए हैं।
3. ध्वनि-परिवर्तन के नियम के रूप में मुख्यत: केवल एक ही बात कही जा सकती है, वह है शब्द के अंत में आनेवाला अल्पोच्चारित 'ह' हिंदी में निरपवाद रूप से 'आ' हो गया है।

7.5 अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए ध्वनियों के विषय में सामान्य बातें

1. हिंदी के सुशिक्षित वर्ग ने अपने उच्चारण में 'ऑ' को ग्रहण कर लिया है।
2. सामान्य बोलचाल में अंग्रेजी 'ऑ' से 'आ', नुक्ता वाले फ़, ज़ से फ, ज हो गया।



महत्वपूर्ण बिंदु

हिंदी भाषा में विदेशज शब्दों के रूप में अंग्रेजी से लिए गए अनेक शब्द हैं, जिनका दैनिक जीवन एवं सामान्य बोल-चाल में धड़ल्ले से प्रयोग होता है, यथा—पापा, मम्मी, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंड फादर/मदर, फादर/मदर-इन-लौ, टीचर, ट्युटर, ट्यूशन, स्कूल, कालेज, युनिवर्सिटी, सिलेबस, बुक, कापी, पेंसिल, रबर, इरेजर इत्यादि।

7.6 संस्कृत भाषा से हिंदी में आए ध्वनियों के विषय में सामान्य बातें

1. संस्कृत शब्दों में संयुक्त या दीर्घ व्यंजन के पूर्व यदि ह्रस्व स्वर हो तो हिंदी में दो व्यंजनों के स्थान पर प्राय: एक रह जाता है, तथा शब्द में मात्रा की उस कमी को पूरा करने के लिए ह्रस्व स्वर प्राय: दीर्घ हो जाता है। इसे अतिपूरक दीर्घीकरण कहते हैं। इसमें अ का आ, इ का ई, ए का उ, ऊ का ओ हो जाता है।
2. 'अ' स्वर मध्य है तथा अन्य स्वर अग्र या पश्च हैं। इसलिए 'अ' का उच्चारण सरल है। यही कारण है कि मुख-सुख के लिए प्राय: सभी स्वर केंद्रीय स्वर 'अ' में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे केंद्रीकरण कहते हैं। जैसे-आभीर-अहीर, तित्तिर-तीतर, परीक्षा-परख आदि।
3. 'अक' विकसित होकर हिंदी में 'आ' हो गया है, जैसे- घोटक-घोड़ा, चणक-चना आदि।
4. 'इका' विकसित होकर हिंदी में 'ई' हो गया है, जैसे-शाटिका-साड़ी, घोतिका-घोड़ी, होलिका-होली आदि।
5. संस्कृत शब्दों का महाप्राण व्यंजन मुख्यत: यदि वह आदि में नहीं है तो प्राय: 'ह' में परिवर्तित हो जाता है, जैसे-मुख-मुँह, आखेट-अहेर, दधि-दही, आभीर-अहीर, गम्भीर-गहरा आदि।
6. संस्कृत के शब्दों के स्वर मध्यम अघोष अल्पप्राण स्पर्श हिंदी में परम्परागत तद्भव शब्दों में घोष अल्पप्राण स्पर्श या स्पर्शसंघर्षी हो गए, जैसे- शाक-शाग, कंकण-कंगन, कंकाल-कंगाल आदि।
7. अनेक ऐसे शब्द है जिनमें स्वर मध्यम 'म' शिथिल होकर 'वँ' हुआ और फिर 'व' की अनुनासिकता पूर्ववर्ती स्वर हो गयी। जैसे- आमलक-आँवला, ग्राम-गाँव, कुमार-कुँवर आदि। कुछ ऐसे शब्द है जिनमें 'व' और भी शिथिल होकर 'उ' हो गया और पूर्ववर्ती 'अ', 'आ' से मिलकर 'औ' बन गया, जैसे-दमनक-दौना, गमन-गौना, वामन-बौना आदि।
8. परिनिष्ठित हिंदी में प्रयुक्त तद्भव शब्दों में सर्वत्र 'ण' के स्थान पर 'न' का प्रयोग होने लगा, जैसे- कंकण-कंगन, कर्ण-कान आदि।
9. कुछ शब्दों में 'व' का 'ब' हो गया है, जैसे- वधु-बहू, वानर-बंदर, दूर्वा-दूब आदि।
10. कुछ शब्दों में 'य' का 'ज' के रूप में प्रयोग होने लगा, जैसे यमुना-जमुना, यव-जौ, कार्य-काज आदि।
11. कुछ ऐसे शब्द है जिनमें 'ष' का 'स' के रूप में प्रयोग होने लगा, जैसे- वर्ष-बरस, वर्षा-बरखा, कृष्ण-कान्ह, मेष-मेख आदि।
12. कुछ ऐसे शब्द है जिनमें 'श' का भी 'स' के रूप में प्रयोग होने लगा, जैसे- श्वास- साँस, श्रावण-सावन, केशरी-केहरी आदि।

13. 'र' का कभी-कभी कुछ शब्दों में 'ल' के रूप में प्रयोग होता है, जैसे- वारिद-बादल, हरिद्रा-हल्दी, करीर-करील आदि। उसी प्रकार 'ल' का भी 'र' के रूप में प्रयोग होता है, जैसे- लाला-राल, लांगूली-लंगूर, कवल-कौर आदि।
14. संयुक्त व्यंजनों का संस्कृत से हिंदी में विकास होने में कभी तो इनमें किसी एक या दो का लोप हो जाता है, और कभी एक या दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। संयुक्त व्यंजनों में एक व्यंजन के लोप तथा उसके प्रभाव से शेष के महाप्राणीकरण, मूर्धन्यीकरण, तालव्यीकरण की भी प्रवृत्ति मिलती है।

7.7 वर्गीकरण का मुख्य सिद्धांत

अन्य भाषाओं की तरह हिंदी में भी दो प्रकार की ध्वनियाँ मिलती है, ध्वनियों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है।

- **स्वर ध्वनि** - स्वर वह ध्वनि है जिसका उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख-विवर से निकल जाती है। स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है-

जीभ का भाग-

किसी स्वर के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग महत्वपूर्ण कार्य करता है, तो किसी में मध्य और किसी में पश्च। जीभ के भावो के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं- अग्र स्वर(ई, इ, ए, ऐ), मध्य स्वर (अ, आ), पश्च स्वर(ऊ, उ, ओ, औ, ऑ)।

जीभ के व्यवहृत भाग की स्थिति-

जीभ का व्यवहृत भाग कभी तो तालू के काफी पास चला जाता है, कभी बिल्कुल नीचे रहता है और कभी संवृत्त के पास रहता है और कभी विवृत के पास। इस आधार पर स्वरों के चार भेद किए जाते हैं- संवृत स्वर (ई, इ, उ, ऊ), अर्ध संवृत स्वर (ए, ओ), अर्ध विवृत स्वर (ऐ, अ, औ, ऑ), विवृत स्वर(आ)।

ओष्ठों की स्थिति-

ओष्ठों को वृत्ताकार करके जिन स्वरों का उच्चारण होता है, उन्हें वृत्तमुखी स्वर (ऊ, उ, औ, ओ, ऑ) तथा जिनका बिना ऐसा किये उच्चारण होता है, उन्हें आवृत्तमुखी स्वर (अ, आ, इ, ई, ए, ऐ) कहा जाता है।

मात्रा-

मात्रा का अर्थ स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा है। इस आधार पर मुख्यतः दो भेद किए जाते हैं- हस्व स्वर (अ, इ, उ), दीर्घ स्वर (आ, ई, ऊ, ए.ऐ, ओ,ओ,औ)।

कौवे की स्थिति-

इस आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं-

- **मौखिक स्वर**- जिसके उच्चारण के समय कौवा ऊपर उठ कर नासिका ङ्क विवर को बंद कर लेता है और सारी की सारी हवा मुँह से ही निकलती है, जैसे- अ, आ, इ, ई।

- **अनुनासिक स्वर**- जिसके उच्चारण में कौवा बीच में लटकता रहता है, अत: हवा का कुछ अंश नाक से भी निकलता है, जैसे- आँ, अँ, इँ, उँ, ऊँ। अनुनासिक स्वर दो प्रकार के हो सकते हैं- पूर्ण अनुनासिक स्वर (हाँ का आँ), अल्प अनुनासिक स्वर (राम का आ)।

जीभ के अचल या चल होने के आधार पर-

इस आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं-

- **मूल स्वर** - जिसके उच्चारण में जीभ अचल रहती है अर्थात किसी एक स्थिति में रहती है। हिंदी के मानक रूप में सामान्यत: सभी स्वर ऐसे ही है।
- **संयुक्त स्वर**- ऐसे स्वरों के उच्चारण में जीभ एक स्वर स्थिति से चलकर दूसरी स्वर स्थिति में जाती है।

मुँह की मांसपेशियों की शिथिलता और दृढ़ता के आधार पर-

इस आधार पर स्वरों के दो भेद किए जाते हैं- शिथिल (अ, इ, उ) और दृढ़ (इ, ऊ)।

स्वर तंत्रियों की स्थिति- इस आधार पर स्वरों के दो भेद किए जाते हैं-

- **घोष स्वर**- घोष स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ एक-दूसरे के बहुत निकट होती है।
- **अघोष स्वर**- इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ एक-दूसरी से इतनी निकट नहीं होती कि उनके 'बी' च ने निकलने वाली हवा स्वर-तंत्रियों से किनारों से टकराकर घर्षण करती हुई निकले।
- **व्यंजन ध्वनि** - व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकल पाती। हवा को पूर्ण अवरूद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है या संकीर्ण मार्ग से घर्षण खाते हुए निकलना पड़ता है या मध्य रेखा से हटकर एक या दोनों पार्श्वों से निकलना पड़ता है या किसी भाग को कम्पित करते हुए निकलना पड़ता है। इस प्रकार वायुमार्ग में पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है। व्यंजनों के वर्गीकरण का आधार निम्नांकित है-

प्रयत्न के आधार पर-

प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कई भेद किए जाते हैं, जो इस प्रकार है :

- **स्पर्श**- इसके उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे का स्पर्श करता है। स्पर्श के उच्चारण में तीन चरण होते हैं। पहले चरण में हवा भीतर से स्पर्श स्थान तक आती है, दूसरे चरण में दो अवयव एक दूसरे का स्पर्श करके भीतर से आती हवा को रोक देती है और तीसरे चरण में दोनों अवयव एक-दूसरे से दूर हट जाती है और हवा बाहर निकल जाती है। ये तीनों चरण हवा का आगमन, अवरोध और स्फोटन है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद इस प्रकार है -**स्पर्श**- इनके उच्चारण में एक अंग दूसरे का स्पर्श करते हैं, जैसे- क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ आदि।
- **संघर्षी**- इनके उच्चारण में दो अंग इतने निकट आ जाते हैं कि बीच से निकलने वाली हवा संघर्ष करते हुए निकलती है, जैसे- फ़, स, श, ग़, ह आदि।

- **स्पर्श संघर्षी**- इनके उच्चारण में दो अंग एक-दूसरे को स्पर्श करती है, साथ ही जब वे एक-दूसरे से दूर हटने लगें तो हवा कुछ देर के लिए अंगों के समीप रहने के कारण संघर्ष करती हुई निकले, जैसे- च, छ, ज, झ आदि।
- **नासिक्य**- इनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, जैसे- ङ, ञ, ण, न, न्ह, म, म्ह आदि।
- **पार्श्विक**- इनके उच्चारण में जीभ बीच में स्पर्श करे और हवा एक या दोनों पार्श्वों से निकलती है, जैसे- ल, ल्ह आदि।
- **उत्क्षिप्त**- इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे की ओर आती है, जैसे- ड़, ढ़ आदि।
- **प्रकंपित**- इनके उच्चारण में कंपन होता है, जैसे- र।
- **संघर्षहीन सप्रवाह**- इनके उच्चारण में हवा बिना संघर्ष के निकलती है, जैसे- य, व आदि।

स्थान के आधार पर-

स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद इस प्रकार है-

- **स्वरयंत्रमुखी**- ये ध्वनियाँ स्वरयंत्रमुख से उच्चरित होती है, जैसे- ह।
- **उपालिजिह्वीय**- ये स्वरयंत्र और अलिजिह्व के बीच में उपालिजिह्व या गलबिल से उच्चरित होती है। उपालिजिह्वीय ध्वनियाँ प्राय:अफ्रीका में या उसके आसपास ही मिलते हैं।
- **अलिजिह्वीय**- कौवे या अलिजिह्व से इन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। जैसे- क।
- **कोमल तालव्य**- इन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ के पिछले भाग का प्रयोग किया जाता है। जैसे-क, ख, ग, घ, ङ आदि।
- **मूर्धन्य**- इन ध्वनियों के उच्चारण में मूद्धों की सहायता ली जाती है, जैसे-ट, ठ, ड, ढ, ण आदि।
- **कठोर तालव्य**- इनका उच्चारण कठोर तालु से किया जाता है, जैसे- च, छ, ज, झ, ञ आदि।
- **वर्त्स्य**- मसूड़े या वर्त्स्य से उच्चारित ध्वनियों को वर्त्स्य ध्वनि कहा जाता है। जैसे- न, ल, र, स, ज आदि।
- **दंत्य**- दाँत की सहायता से इन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, जैसे- त, थ, द, ध, आदि।
- **दंतोष्ठ्य**- इन ध्वनियों के उच्चारण में ऊपर के दाँत और नीचे के ओठ की सहायता ली जाती है, जैसे- व, फ आदि।
- **ओष्ठ्य**- इन ध्वनियों का उच्चारण दोनों ओठों से किया जाता है, जैसे- प, फ, ब, भ, म आदि।

स्वर तंत्रियों के आधार पर-

इस आधार पर व्यंजन के दो भेद किए जाते हैं-

- **घोष**- इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उसके बीच निकलती हवा से उनमें कम्पन उत्पन्न होता है, जैसे- ग, घ, ङ; ज, झ, ञ, य, र, ल, व, ह, ड, ढ़ आदि।
- **अघोष**- इनके उच्चारण में कम्पन नहीं होता, जैसे- क, ख, स, फ, श आदि।

प्राणत्व के आधार पर-

प्राण का अर्थ होता है 'हवा'। इस आधार पर व्यंजन दो प्रकार के हैं-

- **अल्पप्राण**- इनके उच्चारण में कम हवा निकलती है, जैसे- क, ग, च, ज, ङ; ञ, ट, ड, ण, त, द, न प, ब, म, य, र, ल, व।
- **महाप्राण**- इनके उच्चारण में हवा अधिक निकलती है, जैसे- ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, म्ह, न्ह, ल्ह आदि।

उच्चारण शक्ति के आधार पर-

इस आधार पर व्यंजन तीन प्रकार के हैं।

- **सशक्त**- इन ध्वनियों के उच्चारण में मुँह की मांसपेशियाँ दृढ़ होती है, जैसे- स्, ट् आदि।
- **अशक्त**- इनमें मांसपेशियाँ शिथिल होती है, जैसे- र, ल आदि।
- **मध्यम**- इनके उच्चारण में मांसपेशियाँ दृढ़ और शिथिल के मध्य होता है, जैसे- च, श् आदि।

ह्रस्वता-दीर्घता के आधार पर-

ह्रस्व व्यंजन तो क, च, प आदि हैं और दीर्घ व्यंजन क्क, च्च, प्प आदि हैं, इन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है।

संयुक्तता-असंयुक्तता के आधार पर-

इस आधार पर दो भेद किए जाते हैं- संयुक्त- क्ट, प्व, ल्य आदि और **असंयुक्त** व्यंजन जैसे- क्, ट् आदि।



अपनी प्रगति जांचें

प्रश्न संख्या 1. प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद की चर्चा करें।

प्रश्न संख्या 2. संस्कृत भाषा से हिंदी में आए ध्वनियों के विषय में सामान्य बातों की चर्चा करें।

7.8 ध्वनि परिवर्तन के कारण

ध्वनि परिवर्तन से आशय है किसी ध्वनि का परिवर्तन होना, जैसे- घोटक से घोड़ा, दधि से दही। ध्वनि-परिवर्तन के कारण दो प्रकार के होते हैं आंतरिक और बाह्य। आंतरिक कारणों से आशय है वे कारण जो शब्द में या ध्वनि विशेष में परिवर्तित होती है। बाह्य कारण वे कारण है जो शब्द के भीतर न होकर उसके बाहरी परिस्थिति या वक्ता में होते हैं।

7.8.1 ध्वनि परिवर्तन के आंतरिक कारण

ध्वनि परिवर्तन के आतंरिक कारण निम्नलिखित है :

- **ध्वनियों का परिवेश** - कभी-कभी ध्वनि में होनेवाला परिवर्तन आसपास की अन्य ध्वनियों के कारण भी होता है। जैसे- 'गृह' में 'ह' के कारण 'ग' का 'घ' हुआ, गृह-घर। 'नाम' का उच्चारण 'नाँम' होता है, 'आ' की यह अनुनासिकता (आँ) पहले और बाद की न्, म् ध्वनियों के कारण है।
- **ध्वनियों की अपनी प्रकृति**- कुछ ध्वनियाँ सबल होती है और कुछ ध्वनियाँ निर्बल होती है। इन निर्बल ध्वनियों में परिवर्तन देखा जाता है। निर्बल और सबल दोनों ध्वनियाँ साथ-साथ आए तो प्राय: निर्बल ध्वनियों का लोप हो जाता है। जैसे- अग्नि-आग, इसमें 'न' का लोप हुआ है।
- **स्थिति के कारण**- संयुक्त व्यंजनों में यदि दोनों व्यंजन समान शक्ति सम्पन्न हो तो पहला निर्बल होता है और दूसरा सबल। इस स्थिति में पहले व्यंजन का लोप हो जाता है। जैसे- सप्त का सात, दुग्ध का दुध आदि।
- **शब्दों की लम्बाई**- जो शब्द अधिक लम्बे होते हैं, उन्हें बोलने में असुविधा होती है। अत: इन शब्दों में परिवर्तन अधिक होता है। जैसे- अध्यापक का झा, उपाध्याय का ओझा।

7.8.2 ध्वनि परिवर्तन के बाह्य कारण

ध्वनि परिवर्तन के बाह्य कारण निम्नलिखित है-

मुखसुख- मुखसुख ध्वनि परिवर्तन का प्रधान कारण है। मनुष्य कम से कम प्रयास में अपने भाव को व्यक्त करने की चेष्टा करते हैं। मुखसुख के कारण कभी-कभी किसी ध्वनि का कठिन होने के कारण शब्द-विशेष में उच्चारण करना छोड़ देते हैं। कभी-कभी मुखसुख के कारण कुछ नवीन ध्वनियों को जोड़ भी लिया जाता है। कुछ ध्वनियों का स्थान भी परिवर्तन किया जाता है तथा कुछ ध्वनियों को काँट कर छोटा भी कर दिया जाता है।

बोलने की शीघ्रता- बोलने में शीघ्रता के कारण भी ध्वनि में परिवर्तन होता है। जैसे-'पंडित जी' को उच्चारण की सुविधा के लिए 'पंडी जी' ही बोला जाता है।

लौकिक व्युत्पत्ति- लौकिक व्युत्पत्ति के कारण लोग जब किसी अपरिचित शब्द के संसर्ग में आते हैं और यदि उससे मिलता-जुलता कोई शब्द उनकी भाषा में पहले से रहता है, तो उस अपरिचित शब्द के स्थान पर उस परिचित शब्द का ही उच्चारण करने लगते हैं और इस प्रकार ध्वनि-परिवर्तन हो जाता है। जैसे- अरबी भाषा का 'इंतिकाल' शब्द हिंदी में 'अंतकाल' हो गया, अंग्रेजी भाषा के 'लाईब्रेरी' का हिंदी में 'रायबरेली' हो गया।

सादृश्यता- कुछ शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ सादृश्यता के कारण अपनी ध्वनियों का परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे- मुझ-तुझ, द्वादश-एकादश, निर्गुण-सगुण आदि।

लिखने के कारण- कभी-कभी शब्द लिखने के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे-अंग्रेजी के कुछ शब्दों के अंत में 'ड्ड' लिखने के कारण गुप्त का गुप्ता, मिश्र का मिश्रा, अशोक का अशोका हो गया।

बलाघात- बलाघात के कारण भी ध्वनि परिवर्तन होता है। किसी ध्वनि पर बल देने में श्वास का अधिक भाग उसी के उच्चारण में व्यय करना पड़ता है। फलस्वरूप आसपास की ध्वनियाँ कमजोर होकर उनका लोप हो जाता है।

विभाषा का प्रभाव- एक राष्ट्र, जाति या संघ जब दूसरे राष्ट्र, जाति या संघ के सम्पर्क में आता है तो विचार-विनिमय तथा ध्वनि विनिमय होता है। इस प्रकार ध्वनियाँ एक-दूसरे को प्रभावित करती है।

सहजीकरण- अन्य भाषाओं से आए शब्दों को कभी-कभी जान-बुझकर भी परिवर्तित कर लिया जाता है। उस शब्द को भाषा की ध्वन्यात्मक प्रकृति के अनुरूप बनाने के लिए या उस भाषा में सहज करने के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे- 'एकेडमी' का 'अकाडमी', 'टेकनीक' का 'तकनीक', 'ट्रेजेडी' का 'त्रासदी' आदि।

भावुकता- भावुकता के कारण शब्दों में ध्वनि-परिवर्तन देखा जाता है। विशेषत- लोक प्रचलित व्यक्तिवाचक नाम तो अधिकांशत: इसी ध्वनि परिवर्तन का परिणाम है। जैसे- बच्चा का बचाऊ, मुन्ना का मुन्नू, कुमारी का कुम्मो आदि।

अनुकरण की अपूर्णता- भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, लेकिन यह अनुकरण हमेशा पूर्ण नहीं होने के कारण ध्वनि-परिवर्तन होता है। कभी-कभी अज्ञानता के कारण भी ध्वनि-परिवर्तन होता है। जैसे-बच्चा सुनता है 'रुपया' लेकिन वह अज्ञानता और अनुकरण की अपूर्णता के कारण बोलता है 'लुपया' या 'नुपया'।

ध्वनि परिवर्तन मुख्यत: दो प्रकार के होते हैं। प्रथम स्वयंभू परिवर्तन जो भाषा के प्रवाह में होते हैं और कहीं भी घटित हो सकते हैं। इनके लिए किसी विशेष

परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे प्रकार के ध्वनि परिवर्तन को परोद्भूत परिवर्तन कहा जाता है। ध्वनि परिवर्तन की प्रमुख दिशाएँ निम्नलिखित है-

1. **लोप**- लोप से आशय है जो ध्वनि शब्द में पहले से है, उसका लोप हो जाना। कभी-कभी बोलने में मुख-सुख या शीघ्रता के कारण कुछ ध्वनियों का लोप हो जाता है। लोप तीन प्रकार के होते हैं- स्वर लोप, व्यंजन लोप, स्वर-व्यंजन लोप।

   स्वर लोप- स्वर लोप को आदि, मध्य और अंत्य की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया जाता है- आदि स्वर लोप के कुछ उदाहरण इस प्रकार है - अनाज-नाज, अभ्यंतर-भीतर, एकादश-ग्यारह आदि। मध्य स्वर लोप के कुछ उदाहरण इस प्रकार है- बलदेव-बल्देव, लगभग-लग्भग। अंत्य स्वर लोप के उदाहरण है- आप, तुम, हम, सब आदि के उच्चारण में आप्, तुम्, सब्, हम् हो गये हैं, अर्थात अंतिम 'अ' स्वर का लोप हो गया है।

   व्यंजन लोप- स्वर लोप की भाँति व्यंजन लोप को भी आदि, मध्य और अंत्य तीन भागों में विभाजित किया गया है। आदि व्यंजन लोप के कुछ उदाहरण है- स्थाली-थाली, श्मशान-मसान, स्थानक-थाना, स्कंध-कंधा आदि, मध्य व्यंजन लोप के उदाहरण है- सूची-सूई, घरद्वार-घरबार, प्रिय-पिया सप्त-सात आदि, अंत्य व्यंजन लोप के कुछ उदाहरण है-BOMB- बम, COMMAND-कमान आदि।

   स्वर- व्यंजन लोप- आदि स्वर-व्यंजन लोप के उदाहरण है- नेकटाई से टाई, आदित्यवार से इतवार आदि। मध्य स्वर-व्यंजन लोप के उदाहरण है- अग्रहायण-अगहण, भाण्डागार से भण्डार, बरुजीवी से बरई आदि। अंत्य स्वर-व्यंजन लोप के उदाहरण है- माता-माँ, नीलमणि-नीलम, कुंचिका-कुंजि आदि।

2. **आगम**- आगम का अर्थ होता है किसी ऐसे ध्वनि का आ जाना जो पहले से शब्द में न हो। आगम लोप का विपरीत है। लोप की भाँति आगम के भी तीन भेद है, लेकिन मुख्यत: स्वरागम और व्यंजनागम के रूप ही देखने को मिलता है।

   स्वरागम- आदि स्वरागम में शब्द के आरम्भ में कोई स्वर आ जाता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है- स्कूल-इस्कूल, स्टेशन-इस्टेशन, स्नान-अस्नान आदि। मध्य स्वरागम - कभी-कभी उच्चारण की सुविधा के लिए कुछ शब्दों को बीच में तोड़कर दो शब्दों में विभक्त किया जाता है, जैसे- इंद्र-इंदर, पृथ्वी-पृथिवी, जन्म-जनम आदि। अंत्य स्वरागम के कुछ उदाहरण इस प्रकार है- दवा-दवाई, पत्र-पतई आदि।

   व्यंजनागम- आदि व्यंजनागम का प्रयोग बहुत कम होता है क्योंकि व्यंजनों को

आदि में लाने से शब्द के उच्चारण में सुविधा नहीं होती। आदि व्यंजनागम के कुछ उदाहरण है- ओष्ठ-होंठ, अस्थि-हड्डी आदि। मध्य व्यंजनागम के कुछ उदाहरण है- सुनर-सुंदर, शाप-श्राप, पर्ण-प्रण आदि। अंत्य व्यंजनागम के उदाहरण इस प्रकार है- कल-काल्ह, चील-चील्ह, परवा-परवाह आदि।

3. **विपर्यय**- विपर्यय से आशय है किसी शब्द में दो ध्वनियों का एक-दूसरे के स्थान पर चले जाना। जैसे - चिह्न का चिन्ह। विपर्यय कई प्रकार के हैं, जो इस प्रकार है- स्वर विपर्यय, व्यंजन विपर्यय, एकांगी विपर्यय, आद्य शब्दांश विपर्यय। स्वर विपर्यय के दो भाग है- पार्श्ववर्ती स्वर विपर्यय और दूरवर्ती स्वर विपर्यय। पार्श्ववर्ती स्वर विपर्यय के उदाहरण - द्र-द्र (अंग्रेजी), दूरवर्ती स्वर विपर्यय के उदाहरण है -कुछ-कछु, अनुमान-उनमान आदि। व्यंजन विपर्यय के भी दो भाग है- प्रथम पार्श्ववर्ती व्यंजन विपर्यय के उदाहरण है- ब्राह्मण-ब्राम्हण, ब्रह्म-ब्रम्ह आदि। दूरवर्ती व्यंजन विपर्यय के उदाहरण है- अमरुद-अरमूद, तमग-तगमा, वाराणसी-बनारस आदि। कभी-कभी एक स्वर या व्यंजन अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर चला जाता है, किंतु उसके स्थान पर कोई दूसरा नहीं आता, ऐसे विपर्यय को एकांगी विपर्यय कहा जाता है। जैसे-बिंदु-बूंद। कभी-कभी दो शब्दों के आरम्भ के अंशों में विपर्यय हो जाता है, उसे आद्य शब्दांश विपर्यय कहा जाता है, जैसे- घोड़ागाड़ी-गोड़ाघाड़ी, चूल्हा-चौका-चौल्हा-चूका आदि।

4. **समीकरण**- कभी-कभी किसी शब्द में दो पास-पास की असमान ध्वनियाँ समान हो जाती है, इसे समीकरण कहा जाता है। स्वर और व्यंजन के आधार पर इसके भी कई भेद किए जाते है। लेकिन व्यंजन के रूप अधिक देखने को मिलता है -

दूरवर्ती पुरोगामी व्यंजन समीकरण- इसमें ध्वनियाँ पास-पास न रह कर दूर-दूर रहती है और पहली ध्वनि दूसरी को प्रभावित करती है। जैसे संस्कृत का 'भ्रष्ट' भोजपूरी में 'भरभट' हो गया है।

पार्श्ववर्ती पुरोगामी व्यंजन समीकरण- इसमें ध्वनियाँ पास-पास होती है। जैसे-चक्र-चक्क, पद्म-पद्द, लग्न-लग्ग आदि।

दूरवर्ती पश्चगामी व्यंजन समीकरण- इसमें दूसरी ध्वनि पहली को प्रभावित करती है, जैसे नील-लील।

पार्श्ववर्ती पश्चगामी व्यंजन समीकरण- पार्श्ववर्ती पश्चगामी व्यंजन समीकरण के उदाहरण है- धर्म-धम्म, कर्म-कम्म, भक्त-भत्त आदि।

5. **विषमीकरण** - यह समीकरण का विपरीत है। इसमें दो एक जैसी ध्वनियों में एक ध्वनि किसी समान ध्वनि के प्रभाव से अपना स्वरुप छोड़कर दूसरी बन

जाती है। स्वर और व्यंजन के आधार पर इसके भी दो-दो भेद है -

पुरोगामी स्वर विषमीकरण- पुरोगामी स्वर विषमीकरण के उदाहरण है- पुरुष-पुरिस (प्राकृत)।

पश्चगामी स्वर विषमीकरण- पश्चगामी स्वर विषमीकरण के उदाहरण है- मुकुट-मउर, नूपुर-नउर आदि।

पुरोगामी व्यंजन विषमीकरण- इसमें प्रथम व्यंजन ज्यों का त्यों रहता है और दूसरा परिवर्तित हो जाता है। जैसे-लांगूली-लंगूर, कंकण-कंगन आदि।

पश्चगामी व्यंजन विषमीकरण- इसमें प्रथम व्यंजन में विकार होता है। नवनीत-लयनू(भोजपूरी), साबस-चाबस(भोजपूरी) आदि।

6. **महाप्राणीकरण**- कभी-कभी अल्पप्राण ध्वनियाँ महाप्राण हो जाती है, जैसे - ग्रहण-घिरना, वाष्प-भाप, गृह-घर आदि।
7. **अल्पप्राणीकरण**- कभी-कभी महाप्राण ध्वनियाँ अल्पप्राण भी हो जाती है, जैसे- सिंधु-हिंदु, भूख-भूक, हाथ-हात आदि।
8. **घोषीकरण**- कभी-कभी कुछ अघोष ध्वनियाण घोष हो जाती है, जैसे साक-साग, कंकण-कंगन, मकर-मगर आदि।
9. **अघोषीकरण**- अघोषीकरण में घोष ध्वनियाँ अघोष हो जाती है, जैसे- मदद-मदत, नगर-नकर, गगन-गकन आदि।
10. **उष्मीकरण**- कभी-कभी कुछ ध्वनियाँ ऊष्म में परिवर्तित हो जाती है।
11. **स्वतः** अनुनासिकता- शब्दों के विकास में अनुनासिकता दो प्रकार की आ सकती है- सकारण और अकारण। सकारण अनुनासिकता के उदाहरण है- भंग-भाँग, कंपन-काँपना आदि। अकारण अनुनासिकता के उदाहरण है- सर्प-साँप, भरू-भौं। अकारण अनुनासिकता में मूल शब्द में अनुनासिकता नहीं थी किंतु परिवर्तित रूप में अनुनासिकता है। इसे ही स्वत: अनुनासिकता कहते है।



7.9 सारांश

किसी भी वस्तु से किसी भी तरह का कुछ ऐसा हो जो सुना जा सके, उसे ही ध्वनि की संज्ञा दी जाती है। ध्वनियाँ स्थिर नहीं है बल्कि ध्वनियाँ गतिशील है। विविध कारणों से ध्वनियाँ परिवर्तित होती हुई विकसित होती रहती है। भारोपीय भाषा की ध्वनियों का विकास किसी एक मूल भाषा की ध्वनियों से हुआ होगा, अत- वैदिक कालीन संस्कृत भाषा तक आते-आते मूल भाषा की ध्वनियों की स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ। संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश होते हुए आधुनिक हिंदी ध्वनियाँ विकसित हुई है। ध्वनि-परिवर्तन के कारणों को दो भागों में विभक्त

किया जा सकता है- आंतरिक और बाह्य। ध्वनियों का परिवेश, ध्वनियों की अपनी प्रकृति, स्थिति, शब्दों की अधिक लम्बाई, मुखसुख, बोलने की शीघ्रता, लौकिक व्युत्पत्ति, सादृश्यता, लेखन, बलाघात, अज्ञानता, भावुकता, सहजीकरण आदि विविध आंतरिक और बाह्य कारणों के प्रभाव से ध्वनियों का परिवर्तन होता है। ध्वनियों का परिवर्तन भी दो प्रकार से होता है जिन्हें स्वयंभू और परोद्भूत कहा जाता है। इनके अंतर्गत लोप, आगम, विपर्यय, समीकरण, विषमीकरण, ऊष्मीकरण, संधि, स्वत: अनुनासिकता घोषीकरण, अघोषीकरण आदि आते हैं।



7.10 प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा)

प्रश्न 1 का उत्तर : प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद स्पर्श, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, पार्श्विक इत्यादि। अधिक जानने के लिए इकाई को ध्यान से पढ़े।

प्रश्न 2 का उत्तर : संस्कृत शब्दों में ह्रस्व स्वर संयुक्त या दीर्घ व्यंजन के पूर्व प्राय: एक रहता है, जबकि हिंदी में दो व्यंजनों के स्थान पर प्राय: एक रहता है, और शब्द में मात्रा की उस कमी को पूरा करने के लिए ह्रस्व स्वर प्राय: दीर्घ हो जाता है। इसका नाम अतिपूरक दीर्घीकरण है। यह अ, का, आ, इ का ई, ए का उ और ऊ का ओ से बना है। ऊपर इसकी विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी है, कृपया उसे देखें।



7.11 अधिक जानने के लिए पढ़े

1. डॉ. भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, किताब महल।
2. डॉ. एच. परमेश्वरन, हिंदी भाषा और लिपि, वाणी प्रकाशन, दिल्ली।
3. रामकिशोर शर्मा, हिंदी भाषा और लिपि, राजकमल प्रकाशन।



7.12 अभ्यास प्रश्न

(क) संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. आचार्य नरेन्द्र शर्मा के अनुसार वैदिक संस्कृत में कितने मूल ध्वनियाँ है?
2. स्थान के आधार पर व्यंजन के किसी एक भेद का नाम लिखिए?
3. अल्पप्राण किसे कहते है?

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. ध्वनि से आप क्या समझते हैं? हिंदी ध्वनियों के विकास-क्रम पर एक आलेख प्रस्तुत कीजिए।
2. ध्वनि वर्गीकरण के मुख्य सिद्धांतों को रेखांकित कीजिए।
3. ध्वनि परिवर्तन के विभिन्न कारणों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

*** ***** ***

इकाई 8 : हिन्दी भाषा का शब्द-समूह

इकाई की रूपरेखा

8.1 अध्ययन का उद्देश्य

8.2 प्रस्तावना

- 8.2.1 तत्सम शब्द
- 8.2.2 तद्भव शब्द
- 8.2.3 विदेशी शब्द
- 8.2.4 देशज शब्द

8.3 सारांश

8.4 प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा)

8.5 अधिक जानने के लिए पढ़े

8.6 अभ्यास प्रश्न

8.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप -

- हिन्दी भाषा में आने वाले शब्दों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे।
- हिन्दी शब्द भंडार की सही रूप रेखा की जानकारी प्राप्त होगी।
- हिन्दी शब्द भंडार में कितने तरह के शब्द पाये जाते हैं उनके बारे में जान पाएंगे।

8.2 प्रस्तावना

भाषा में जो शब्द होते हैं, वे कैसे बने हैं और कहाँ से आये हैं? इसके संबंध में जानकारी होना हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। हिन्दी भाषा की जननी संस्कृत है, अत: इसमें संस्कृत भाषा के शब्द होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द हिन्दी भाषी समाज से लिए गए हैं। यह भाषा उर्दू के माध्यम से अरबी-फारसी के शब्दों द्वारा भी समृद्ध हुई हैं। उर्दू भाषा के अलावा अंग्रेजी शासन के दौरान हिन्दी भाषा में सैकड़ों अंग्रेजी भाषा के शब्द आए हैं। जिस प्रकार एक नदी में विभिन्न प्रकार की छोटी-छोटी नदियों का पानी आकर मिलता है और उसका स्वरूप विस्तृत होता चला जाता है, ठीक उसी प्रकार विभिन्न स्त्रोतों से आने वाले शब्द भाषा को समृद्ध करते हैं। अत: किसी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उनके समूह को उस भाषा का शब्द-भंडार या शब्द-समूह कहते हैं। हिन्दी भाषा के शब्द-भंडार में चार प्रकार के शब्द होते हैं-

8.2.1 तत्सम शब्द

'तत्सम' शब्द में 'तत' का अर्थ है 'वह', अर्थात् संस्कृत और 'सम' का अर्थ है 'समान। अर्थात् तत्सम उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के समान हो अथवा संस्कृत-जैसे हों। उदाहरण के लिए, हिन्दी में कृष्ण, गृह कर्म, हस्त, धर्म आदि शब्द तत्सम हैं। वस्तुत: ये वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी ध्वनि-परिवर्तन के हिन्दी में आ गए हैं। हिन्दी में स्त्रोत की दृष्टि से तत्सम शब्द चार प्रकार के हैं-

8.2.1.1 प्राकृत (पाली, प्राकृत, अपभ्रंश) से होकर आने वाले शब्द - प्राकृत (पाली, प्राकृत, अपभ्रंश) से होकर आने वाले शब्द, जैसे- अचल, अघ, अचला, काल, कुसुम आदि।

8.2.1.2 संस्कृत से सीधे हिन्दी भाषा में आने वाले शब्द- संस्कृत से सीधे हिन्दी भाषा में आने वाले शब्दों में आदि, भक्ति तथा आधुनिक कालों में लिए गए शब्द, जैसे- कर्म, विद्या, ज्ञान, क्षेत्र, कुशल, मेघ, पुष्प, मृग आदि।

8.2.1.3 संस्कृत के व्याकरणिक नियमों के आधार पर हिन्दी काल में निर्मित तत्सम शब्द -संस्कृत के व्याकरणिक नियमों के आधार पर हिन्दी काल में निर्मित तत्सम शब्द भी हिन्दी भाषा में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के अधिकांश शब्द आधुनिक काल में शब्दों की कमी की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं और बनाए जा रहे हैं। जैसे जलवायु (आबहवा), वायुयान (हवाई जहाज या एरोप्लेन), संपादकीय (एडीटोरियल) आदि।

8.2.1.4 अन्य भाषाओं से आए तत्सम शब्द-इस वर्ग के शब्दों की संख्या बहुत कम है। थोड़े बंगाली और मराठी के माध्यम से आए हैं। इनमें कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो इन भाषाओं में संस्कृत के आधार पर बने हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है: बंगाली- वक्तृता, उपन्यास, गल्प, कविराज, संदेश आदि। मराठी- वाडमय आदि।

8.2.2 तद्भव शब्द

तद्भव में 'तत' का अर्थ है वह अर्थात 'संस्कृत' और 'भव' का अर्थ है 'उत्पन्न'। अर्थात तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत शब्दों से उत्पन्न हुए हैं। तद्भव शब्द भी संस्कृत मूल के हैं, लेकिन मूल रूप में लिए गए शब्द नहीं हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक क्रम में बदलते हुए हिन्दी में आए हैं। जैसे- कर्म>काम, हस्त>हाथ आदि।

संस्कृत भाषा के बाद उससे क्रमश: पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाएँ विकसित हुई और अपभ्रंश भाषा से हिन्दी, बांग्ला आदि आधुनिक भाषाएँ बनीं। इन भाषाओं में ध्वनि परिवर्तन या उच्चारण की भिन्नता के कारण शब्द के भी रूप बदल गए। हिन्दी का 'सच' शब्द संस्कृत के 'सत्य' से बना है। किन्तु यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ,

बल्कि धीरे-धीरे हुआ। परिवर्तन के इस क्रम को निम्न रूप में देखा जा सकता है -

संस्कृत	**पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में परिवर्तित रूप**	**हिन्दी**
सत्य	सत्त-सच्च	सच

इस प्रकार बदले हुए शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। उदाहरण रूप में कुछ और शब्द इस प्रकार हैं -

तत्सम	**तद्भव**
सूर्य	सूरज
चंद	चाँद
सर्प	साँप

8.2.3 विदेशी शब्द

'विदेशी शब्द' से तात्पर्य है 'अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द'। विदेशी नाम में दूसरे देश का अर्थ छुपा है, इसलिए विदेशी शब्द आगत शब्द या गृहीत शब्द अर्थात वे शब्द जो किसी अन्य भाषा से ग्रहण किए गए हों, कहना अधिक उपयुक्त है। ये शब्द दो प्रकार के हैं -

8.2.3.1 दूसरे देश की भाषाओं से आए हुए शब्द- दूसरे देश की भाषाओं से आए हुए शब्द, जैस- फारसी, अँग्रेजी आदि से।

8.2.3.2 अपने देश की भाषाओं से आए हुए शब्द- अपने देश की भाषाओं से आए हुए शब्द, जैसे- बंगाली, पंजाबी, द्रविड़ आदि भाषाओं से। हिन्दी भाषा में समय-समय पर पश्तों, तुर्की, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच तथा कई आधुनिक भाषाओं से शब्द आते रहे हैं। यहाँ उनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है -

8.2.3.2.1 पश्तो - ये शब्द पश्तो- भाषी अफगानों से संपर्क के कारण हिन्दी में आए हैं। इनकी संख्य 100 के आस-पास है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं - पठान, रूहेला, मटरगश्ती, गुण्डा आदि।

8.2.3.2.2 तुर्की- तुर्की से संपर्क तथा मुगल साम्राज्य की स्थापना से तुर्कों के यहाँ बस जाने के कारण तुर्की शब्द हिन्दी में आए हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार है- काबू, कुली, गलीचा आदि।

8.2.3.2.3 अरबी- फारसी - अरबी शब्द सीधे हिन्दी में न आकर फारसी भाषा के माध्यम से हिन्दी में आये हैं। इसलिए इन दोनों को साथ-साथ लेना उचित है। इनकी संख्या छः हजार के आस-पास है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं- रोजा, मजहब, चपरासी, वकील, पाजामा, दस्ताना, लिफाफा बादाम, सेब, मेवा, दलाल आदि।

8.2.3.2.4 पुर्तगाली- हिन्दी भाषा में पुर्तगाली भाषा के शब्द की संख्या 100 से कम है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं - अलमारी, आलपीन, पपीता, कप्तान, नीलाम, बाल्टी, बोतल आदि।

8.2.3.2.5 अँग्रेजी- लगभग ई.स. 1500 से यूरोप के लोग भारत में आते-जाते रहे हैं, किन्तु करीब तीन सौ वर्षों तक हिन्दी भाषी इनके सम्पर्क में नहीं आए, क्योंकि यूरोपीय लोग समुद्र के रास्ते से भारत में आए थे; अत: इनका कार्यक्षेत्र प्रारम्भ में समुद्र तटवर्ती प्रदेशों में ही रहा है, लेकिन 18वीं सदी के उत्तरार्ध से अंग्रेज समूचे देश में फैलने लगे। ई.स. 1800 के लगभग हिन्दी भाषा प्रदेश मुगलों के हाथ से निकलकर अंग्रेजी शासन में चला गया। तब से लेकर ई. 1947 तक अंग्रेजों का शासन रहा। इस शासन काल के दौरान अंग्रेजी भाषा और सभ्यता को प्रधानता प्राप्त हुई। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी अंग्रेजी भाषा का महत्व कम नहीं हुआ। परिणामस्वरूप सभी भारतीय भाषा में अंग्रेजी के बेशुमार शब्दों का प्रयोग होता आ रहा है। यद्यपि डॉ. हरदेव बाहरी के अनुसार अंग्रेजी के हिन्दी में प्रचलित शब्दों की संख्या चार-पाँच सौ अधिक नहीं है, लेकिन वास्तव में यह संख्या तीन हजार से कम नहीं होगी। तकनीकी शब्दों को जोड़ने पर यह संख्या दुगुनी हो जाएगी। जैसे- 'अपील', 'कोर्ट', 'मजिस्ट्रेट', 'जज', 'पुलिस', 'पेपर', 'स्कूल', 'टेबुल', 'पेन', 'मोटर', 'इंजन' आदि।



अपनी प्रगति जांचें

प्रश्न संख्या 1. तत्सम और तद्भव शब्द से आप क्या समझते हैं?

प्रश्न संख्या 2. हिंदी भाषा में आए अंग्रेजी शब्दों की चर्चा करें।

8.2.4 देशज

देशज का अर्थ है जो देश में ही जन्में हों। वस्तुत: जो शब्द न तत्सम हो न तद्भव हो और न विदेशी भाषाओं से आए हों उन्हें देशज की कोटी में रखा जाता है। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं- चंपत, चूहा, झगड़ा, घपला आदि।



8.3 सारांश

निष्कर्ष रुप में यह कहा जा सकता है कि हिन्दी भाषा कई भाषाओं के शब्दों के सहयोग से विकसित एवं समृद्ध हुआ है।



8.4 प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा)

प्रश्न 1 का उत्तर : तत्सम और तद्भव शब्द भाषा के विकास में महत्वपूर्ण हैं। तत्सम शब्द संस्कृत से लिए गए होते हैं जबकि तद्भव शब्द हिंदी भाषा के आधार पर बने होते हैं। तत्सम शब्दों में ध्वनि और वर्तनी के परिवर्तन का अनुभव होता है, जबकि तद्भव शब्द स्वभाविक रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। अधिक जानने के लिए इकाई को पढ़े।

प्रश्न 2 का उत्तर : अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जो हिंदी में ग्रहण किए गए है, जैसे- बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि। ऊपर इसकी विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी है, कृपया उसे ध्यान से पढ़े।



8.5 अधिक जानने के लिए पढ़े

1. डॉ. भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, किताब महल।
2. डॉ. एच. परमेश्वरन, हिंदी भाषा और लिपि, वाणी प्रकाशन, दिल्ली।
3. रामकिशोर शर्मा, हिंदी भाषा और लिपि, राजकमल प्रकाशन।



8.6 अभ्यास प्रश्न

(क) संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. प्राकृत (पाली, प्राकृत, अपभ्रंश) से होकर आने वाले किसी एक शब्द का नाम बताएं?
2. अन्य भाषाओं से आए तत्सम शब्द का एक उदाहरण लिखिए?
3. पश्तो शब्द से आप क्या समझते है?

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. हिन्दी भाषा के शब्द भंडार पर प्रकाश डालिए।
2. हिन्दी भाषा में आये हुए विदेशी शब्द के बारे में लिखिए।

*** ***** ***

इकाई 9 : हिंदी के कारक चिह्न (परसर्ग)

इकाई की रूपरेखा

9.1 उद्देश्य

9.2 प्रस्तावना

9.3 कारक विभक्ति के भेद तथा चिह्न

- 9.3.1 कर्ता कारक
- 9.3.2 कर्म कारक
- 9.3.3 करण कारक
- 9.3.4 संप्रदान कारक
- 9.3.5 अपादान कारक
- 9.3.6 संबंध कारक
- 9.3.7 अधिकरण कारक
- 9.3.8 संबोधन कारक

9.4 सारांश

9.5 अधिक जानने के लिए पढ़े

9.6 अभ्यास प्रश्न

9.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप –

- परसर्ग के अर्थ, परिभाषा और इसके स्वरूप को जान पाएंगे।
- परसर्ग के भेदों को जान सकेंगे।
- इसके प्रयोग सम्बन्धी बातों से भी परिचय प्राप्त कर पाएंगे।

9.2 प्रस्तावना

किसी शब्द के आगे जुड़नेवाला प्रत्यय ही परसर्ग है। व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कारक यह इंगित करता है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का काम क्या है। कारक कई रूपों में देखने को मिलता है। विभिन्न भाषाओं में कारकों की संख्या तथा कारक के अनुसार शब्द का रूप-परिवर्तन भिन्न-भिन्न होता है। संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं में आठ कारक होते हैं।

9.3 कारक विभक्ति के भेद तथा चिह्न

संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद 'ने, को, से. के, लिए' आदि जो चिह्न लगते हैं, उसे कारक विभक्ति कहलाते है। कारक के निम्नलिखित आठ भेद होते हैं-

1. कर्ता—ने
2. कर्म— को
3. करण— से के द्वारा
4. संप्रदान—को, के लिए
5. अपादान— से (अलग होना)
6. संबंध— का, के, की, रा, री, रे, ना, नी, ने
7. अधिकरण— में, पै, पर
8. संबोधन— हे! अरे! भो!

विशेष- कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिह्न (परसर्ग) शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किन्तु संबोधन कारक के चिह्न- हे, रे, आदि प्रायः शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं।

9.3.1 कर्ता कारक

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया (कार्य) के करने वाले का बोध होता है वह 'कर्ता' कारक कहलाता है। इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है। जैसे-

1. राम ने रावण को मारा।
2. लड़की स्कूल जाती है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे -

अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। इस वाक्य में 'अध्यापक' कर्ता है, क्योंकि काम करने वाला अध्यापक है।

पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता राम है। इसमें 'ने' कर्ता है। इस वाक्य में 'मारा' भूतकाल की क्रिया है। 'ने' का प्रयोग प्रायः भूतकाल में होता है। दूसरे वाक्य में वर्तमानकाल की क्रिया का कर्ता लड़की है। इसमें 'ने' का प्रयोग नहीं हुआ है।

विशेष-

(1) भूतकाल में अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ भी ने परसर्ग नहीं लगता है। जैसे- वह हँसा।

(2) वर्तमानकाल व भविष्यतकाल की सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे-वह फल खाता है। वह फल खाएगा।

(3) कभी-कभी कर्ता के साथ 'को' तथा 'से' का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे-

(अ) बालक को सो जाना चाहिए।

(आ) सीता से पुस्तक पढ़ी गई।

(इ) रोगी से चला भी नहीं जाता।

(ई) उससे शब्द लिखा नहीं गया।

9.3.2 कर्म कारक

कार्य जिस पर हो रहा होता है, वह कर्म कहलाता है। इसका हिन्दी पर्याय 'को' है। यह चिह्न भी बहुत-से स्थानों पर नहीं लगता। कार्य का फल अर्थात प्रभाव जिस पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं; जैसे -

राम ने आम को खाया। इस वाक्य में 'आम' कर्म है।

और कुछ उदहारण प्रस्तुत हैं-

1. मोहन ने साँप को मारा।
2. लड़की ने पत्र लिखा।

पहले वाक्य में 'मारने' की क्रिया का फल साँप पर पड़ा है। अत: साँप, कर्म कारक है। इसके साथ परसर्ग 'को' लगा है।

दूसरे वाक्य में 'लिखने' की क्रिया का फल पत्र पर पड़ा। अत: पत्र, कर्म है। इसमें कर्म कारक का हिंदी पर्याय 'को' नहीं लगा।

9.3.3 करण कारक

संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो अर्थात् जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह करण कारक कहलाता है। इसके हिन्दी पर्याय 'से' के 'द्वारा' है। जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे-

वह कलम से लिखता है। इस वाक्य में 'कलम' करण है, क्योंकि लिखने का काम कलम से किया गया है।

इसके अलावा-

1. अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा।
2. बालक गेंद से खेल रहे है।

पहले वाक्य में कर्ता अर्जुन ने मारने का कार्य 'बाण' से किया। अत: 'बाण से' करण पद है। दूसरे वाक्य में कर्ता बालक खेलने का कार्य 'गेंद से' कर रहे हैं। अत: 'गेंद से' करण पद है।

9.3.4 संप्रदान कारक

संप्रदान का अर्थ है- देना। अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका हिन्दी पर्याय 'के लिए' है। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे -

मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ। इस वाक्य में 'दिनेश' संप्रदान अवस्था में है, क्योंकि चाय बनाने का काम दिनेश के लिए किया जा रहा।

स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। उल्लेखित वाक्य में 'स्वास्थ्य के लिए' संप्रदान अवस्था में हैं।

9.3.5 अपादान कारक

संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसका हिन्दी पर्याय 'से' है। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे -

- पेड़ से आम गिरा। -इस वाक्य में 'पेड़' अपादान अवस्था में है, क्योंकि आम पेड़ से गिरा अर्थात अलग हुआ है।
- बच्चा छत से गिर पड़ा।
- संगीता घर से चल पड़ी।

-उल्लेखित दोनों वाक्यों में 'छत से' और घर 'से' गिरने में अलग होना प्रकट होता है। अत: घर से और छत से अपादान अवस्था में हैं।



अपनी प्रगति जांचें

प्रश्न संख्या 1. संप्रदान कारक क्या है ?

प्रश्न संख्या 2. अपादान कारक से आप क्या समझते है।

9.3.6 संबंध कारक

शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका हिन्दी पर्याय 'का', 'के', 'की', 'रा', 'रे', 'री' है। ये हिन्दी सर्वनामों में अभी भी भिन्न कारक रूप में दिखाई देता है, जैसे - मैं > मेरा। उदाहरण-

1. यह राधेश्याम का बेटा है।

2. यह कमला की गाय है।

इन दोनों वाक्यों में 'राधेश्याम का बेटे' से और 'कमला का' गाय से संबंध प्रकट हो रहा है। अत: यहाँ संबंध अवस्था में हैं। शब्द के जिस रूप से एक का दूसरे से संबंध पता चले, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे - यह राहुल की किताब है। इस वाक्य में 'राहुल की' संबंध अवस्था में है, क्योंकि यह राहुल का किताब से संबंध बता रहा है।

9.3.7 अधिकरण कारक

जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे-

पानी में मछली रहती है। इस वाक्य में 'पानी में' अधिकरण है, क्योंकि यह मछली के आधार पानी का बोध करा रहा है।

शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। इसके हिन्दी पर्याय 'में', 'पर' हैं, और दो उदहारण इस सन्दर्भ में प्रस्तुत हैं-

1. भँवरा फूलों पर मँडरा रहा है।
2. कमरे में टी.वी. रखा है। इन दोनों वाक्यों में 'फूलों पर' और 'कमरे में' अधिकरण है।

9.3.8 संबोधन कारक

जिससे किसी को बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते है और संबोधन चिह्न (!) लगाया जाता है। जैसे-

1. अरे भैया! क्यों रो रहे हो ?
2. हे गोपाल! यहाँ आओ।

प्रस्तुत दोनों वाक्यों में 'अरे भैया' और 'हे गोपाल'! संबोधन कारक है। जिस शब्द से किसी को पुकारा या बुलाया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे - हे राम! यह क्या हो गया। इस वाक्य में 'हे राम!' संबोधन कारक है, क्योंकि यह संबोधन है।

यह हिन्दी संज्ञाओं में अभी भी जीवित है।



9.4 सारांश

परसर्ग अथवा कारक चिह्न ये अक्षर हैं जो किसी शब्द के बाद आते हैं और कोई विशेषता लाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, वही कारक है। इसके अभाव में वाक्य पूर्ण नहीं होता।



9.5 प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा)

प्रश्न 1 का उत्तर : सामान्य रूप से जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे सम्प्रदान कारक कहते हैं। अधिक जानने के लिए इकाई को ध्यान से पढ़े।

प्रश्न 2 का उत्तर : संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। ऊपर इसकी विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी है, कृपया उसे पढ़े।



9.6 अधिक जानने के लिए पढ़े

1. डॉ. भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, किताब महल।
2. डॉ. एच. परमेश्वरन, हिंदी भाषा और लिपि, वाणी प्रकाशन, दिल्ली।
3. रामकिशोर शर्मा, हिंदी भाषा और लिपि, राजकमल प्रकाशन।



9.7 अभ्यास प्रश्न

(क) संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. कर्म कारक का उदाहरण दीजिए?
2. 'अरे भैया! क्यों रो रहे हो' में कौन-सा कारक है?
3. अधिकरण कारक का उदाहरण दीजिए?

(ख) निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए :

1. कारक किसे कहते है? इसके विभिन्न रूपों पर चर्चा कीजिए।
2. परसर्ग से क्या समझते हैं इसके विभिन्न शाखाओं का परिचय दीजिए।
3. कारक विभक्ति पर एक आलेख प्रस्तुत कीजिए।

*** ***** ***

इकाई 10 : हिंदी के सर्वनाम

इकाई की रूपरेखा

10.1 उद्देश्य
10.2 प्रस्तावना
10.3 सर्वनाम का अर्थ एवं परिभाषा
10.4 सर्वनाम की उपयोगिता
10.5 वर्गीकरण
10.6 सारांश
10.7 प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा)
10.8 अधिक जानने के लिए पढ़े
10.9 अभ्यास प्रश्न

10.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप –

- सर्वनाम के अर्थ, परिभाषा और स्वरूप को जान पाएंगे।
- सर्वनाम के भेदों को समझ पाएंगे।
- इसके प्रयोग सम्बन्धी बातों से भी परिचय प्राप्त होगी।

10.2 प्रस्तावना

सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के जगह पर किया जाता हो। जैसे- तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा, आदि शब्द आते हैं।

10.3 सर्वनाम का अर्थ एवं परिभाषा

पहले ही उल्लेख किया गया हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों की योग से बनता है- 'सर्व+नाम'। इसका यह अर्थ हुआ कि जो नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होता है वही सर्वनाम है।

उदाहरण:

- वह सीता है।
- यह यदु है।

उल्लेखित वाक्यों में 'वह' एवं 'यह' शब्द 'सर्वनाम' है, जो व्यक्ति के नाम की जगह पर प्रयोग हुआ है। मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द सर्वनाम हैं।

10.4 सर्वनाम की उपयोगिता

सर्वनाम भाषा को सहज, सुंदर, और सुविधाजनक बनाते हैं। उदाहरण के लिए, सर्वनाम के बिना भाषा की स्थिति देखिए - मोहिनी स्कूल गई है। स्कूल से आते ही मोहिनी मोहिनी की सखी के साथ घर जाएगी। फिर मोहिनी मोहिनी का और सखी सखी का काम करेगी। फिर मोहिनी और सखी खेलेंगी। तब मोहिनी घर लौटेगी।

यहाँ वाक्य कितना अटपटा, अनगढ़ और अव्यवस्थित है। अब सर्वनाम से युक्त वाक्य देखिए–मोहिनी स्कूल गई है। वहाँ से आते ही वह अपनी सखी के साथ उसके घर जायेगी। फिर दोनों अपना अपना काम करेंगी। फिर दोनों खेलेंगी। तब मोहिनी घर लौटेगी।

10.5 वर्गीकरण

प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद नजर आते हैं, उदहारण–

- पुरुषवाचक सर्वनाम
- निश्चयवाचक (संकेतवाचक) सर्वनाम
- अनिश्चयवाचक सर्वनाम
- संबंधवाचक सर्वनाम
- प्रश्नवाचक सर्वनाम
- निजवाचक सर्वनाम

10.5.1 पुरुषवाचक सर्वनाम

जो सर्वनाम उत्तम पुरुष (बोलने वाले), मध्यम पुरुष (सुनने वाले) और अन्य पुरुष (जिसके बारे में बात की जाये) के लिए आता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे : उसने, वह, मैं, तुम, उस आदि।

उदाहरण - मुझे पता था कि कल तुम घर जाओगी।

पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार होते है :

- उत्तम पुरुष
- मध्यम पुरुष
- अन्य पुरुष

	उत्तम पुरुष	
कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता	मैं	हम
कर्म	मुझे/मुझको	हमें/हमको
संबंध	मेरा/मेरे	हमारा/हमारे
मेरी	हमारी	
	मध्यम पुरुष	
कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता	तू	तुम
कर्म	तुझे/तुझको	तुम्हें/ तुमको
संबंध	तेरा/तेरे	तुम्हारा
तेरी	तुम्हारे/तुम्हारी	
	अन्य पुरुष	
कारक	**एकवचन**	**बहुवचन**
कर्ता	यह/वह	ये / वे
कर्म	इसे/इसको/उसे/उसको	इन/इनको/उन्हें/उनको
संबंध	इसका/उसका/इसके/उसके	इनका/उनका/इनके/उनके
इसकी/उसकी	इनकी/उनकी	

10.5.2 निश्चयवाचक सर्वनाम

जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्योंकि ये संकेत करता है इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे –

- यह मेरी पेंसिल है।
- यह मीना की ड्रेस है, वह सीता की ड्रेस है।
- वह घर बहुत दूर है।

10.5.3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम

जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे =

- बाहर कोई है।
- मुझे कुछ नहीं मिला।

- किसी ने मुझे फोन किया पता नहीं कौन था।
- कोई दरवाजा बजाकर चला गया।

सरल शब्दों में कहें तो ऊपर दिए वाक्यों में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित नहीं है कि कौन है, क्या लिया, किसने फोन किया आदि इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। कोई, कुछ, किसी आदि सर्वनाम शब्द आने पर ज्यादातर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है तो यह ध्यान रखें।

10.5.4 संबंधवाचक सर्वनाम

संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे –

- तुमनें जो कार मांगी थी, यह वही कार है।
- तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा।

10.5.5 प्रश्नवाचक सर्वनाम

जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे –

- तुम कौन हो ?
- तुम्हें क्या चाहिए ?

10.5.6 निजवाचक सर्वनाम

जो सर्वनाम तीनों पुरुष (उत्तम, मध्यम और अन्य) में अपना होने की अवस्था या भाव या अपनापन; निजता का वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे–

- आप अपना काम खुद कर लेना।
- मैं अकेला ही कार साफ कर लूंगा।
- वह स्वयं स्कूटी से स्कूल चली जाती है।



अपनी प्रगति जांचें

प्रश्न संख्या 1. उत्तम पुरुष क्या है ?

प्रश्न संख्या 2. मध्यम पुरुष से आप क्या समझते है ?



10.6 सारांश

वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ है- सब का नाम। संज्ञा जहाँ केवल उसी नाम का बोध कराती है, जिसका वह नाम है, वहाँ सर्वनाम से केवल एक के ही नाम का नहीं, सबके नाम का बोध होता है। जैसेङ्क राधा कहने से केवल इस नामवाली लड़की का बोध होगा किन्तु सीता, गीता, राम, श्याम सभी अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं तो मैं इन सबका नाम होगा। इसी तरह बोलनेवाले अनेक नामों के बदले तुम या आप और सुननेवाले अनेक नामों के बदले वह या वे का प्रयोग होता है। वाक्य में सर्वनाम का विशेष महत्व होता है, इसके अभाव में वाक्य अतपटा हो जाता है।



10.7 प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा)

प्रश्न 1 का उत्तर : उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का एक प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता द्वारा स्वयं के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे - मैं, हम, मुझे, तू, तुम, तुझे आदि। अधिक जानने के लिए इकाई में देखें।

प्रश्न 2 का उत्तर : जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाली व्यक्ति के लिए करता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। श्रोता के नाम के स्थान पर वक्ता द्वारा प्रयुक्त सर्वनाम मध्यम पुरुष होता है। जैसे - तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुमको, आपने, आपको आदि। ऊपर इसकी विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी है, कृपया उसे ध्यान से पढ़े।



10.7 अधिक जानने के लिए पढ़े

1. डॉ. भोलानाथ, भाषा विज्ञान, तिवारी, किताब महल।
2. डॉ. एच. परमेश्वरन, हिंदी भाषा और लिपि, वाणी प्रकाशन, दिल्ली।
3. रामकिशोर शर्मा, हिंदी भाषा और लिपि, राजकमल प्रकाशन।



10.8 अभ्यास प्रश्न

(क) संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. सर्वनाम के 6 भेद की चर्चा करें ?
2. उत्तम पुरुष का एक उदहारण दीजिए ?
3. 'तुम कौन हो' में कौन-सा सर्वनाम प्रयोग होता है ?

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. सर्वनाम किसे कहते हैं ? इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।
2. सर्वनाम के भेदों को उदहारण सहित समझाइए।
3. सर्वनाम के स्वरूपों पर प्रकाश डालते हुए निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतरों को स्पष्ट कीजिए।

*** ***** ***

इकाई 11 : हिंदी के विशेषण और क्रियाएँ

इकाई की रूपरेखा

11.1 उद्देश्य

11.2 प्रस्तावना

11.3 विशेषण और क्रिया का अर्थ और परिभाषा

11.3.1 विशेषण

11.4 क्रिया

11.4.1 क्रिया के भेद

11.5 सारांश

11.6 प्रगति विवरण (केवल रूपरेख)

11.7 अधिक जानने के लिए पढ़े

11.8 अभ्यास प्रश्न

11.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप –

- विशेषण के अर्थ, परिभाषा और स्वरूप को जान पाएंगे।
- क्रिया के अर्थ, परिभाषा और स्वरुप को समझ सकेंगे।
- इनके भेद और प्रयोग के नियम संबंधी बातों की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।

11.2 प्रस्तावना

विशेषण वाक्यों में जीवंतता, छाप और रंग डालते हैं, जिससे भाषा रंगीन और रूचिकर बनती है। विशेषण एक महत्वपूर्ण व्याकरणिक अवधारणा है, जो हमें शब्दों के गुण, विशेषता, स्थिति, आकार, आदि को व्यक्त करने में मदद करती है। दूसरी ओर क्रिया वाक्य में मुख्यत: कार्य को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। क्रिया की पहचान करना आवश्यक है ताकि हम सही वाक्य संरचना बना सकें और अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त कर सकें। क्रिया व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है और हमें उसका अध्ययन करके भाषा की गहराई समझनी चाहिए। नीचे इसके अर्थ और परिभाषा प्रस्तुत हैं –

11.3 विशेषण और क्रिया का अर्थ और परिभाषा

11.3.1 विशेषण

विशेषण शब्द का अर्थ है – विशेषण की विशेषता को सूचित या प्रकट करने वाला शब्द। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे–

सुन्दर लड़का, मोटी लड़की, अच्छा चित्र, काला रंग, ईमानदार व्यक्ति, लंबा आदमी, लाल कपड़ा आदि।

उपयुक्त उदाहरण में प्रयुक्त शब्द 'सुन्दर', 'मोटी', 'अच्छा', 'काला', 'ईमानदार' आदि शब्द संज्ञा हैं, और 'लड़का', 'लड़की', 'चित्र', 'रंग', 'व्यक्ति', 'आदमी', 'कपड़ा' आदि की विशेषता को बता रहे हैं अत: यह विशेषण शब्द है।

1. गुणवाचक
2. परिमाणवाचक
3. संख्यावाचक
4. सार्वनामिक

1. **गुणवाचक विशेषण** – जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का पता चलता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, काल आदि से संबंधित होते है। जैसे – अच्छा, बुरा, सफेद, काला, रोगी, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, नया, पुराना, ऊँचा, मीठा, चीनी, नीचा, प्रात:कालीन आदि।
2. **परिमाणवाचक विशेषण** – जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा, माप या तोल का पता चले, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं
   - **निश्चित परिमाणवाचक** – दस क्विंटल, तीन किलो, डेढ़ मीटर आदि।
   - **अनिश्चित परिमाणवाचक** – थोड़ा, इतना, कुछ, ज्यादा, बहुत, अधिक, कम, तनिक, थोड़ा, इतना, जितना, ढेर सारा आदि।
3. **संख्यावाचक विशेषण** – जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं–
   ।) **निश्चित संख्यावाचक** – दो, तीन, ढाई, पहला, दूसरा, इकहरा, दुहरा, तीनों चारों, दर्जन, जोड़ा, प्रत्येक आदि।
   ।।) **अनिश्चित संख्यावाचक** – कई, कुछ, काफी, कम, ज्यादा, बहुत आदि।
4. **सार्वनामिक विशेषण** – जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का

काम करते हैं, उन्हे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसेः यह विद्यालय, वह बालक, वह खिलाड़ी आदि।

प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के भेद

1. विशेष्य-विशेषण
2. विधेय-विशेषण

1. **विशेष्य-विशेषण** -जो विशेषण विशेष्य से पहले आकर उसकी विशेषता बताते है। उसे विशेष्य-विशेषण कहते है तथा वह विशेष्य-विशेष होता हैं। जैसे- राजेश 'नटखट' बालक है। सुनीता 'गंभीर' लड़की है। इन वाक्यों में 'राजेश' और 'सुनीता' क्रमशः बालक और लड़की के विशेषण हैं, जो संज्ञाओं (विशेष्य) के पहले आए हैं।
2. **विधेय-विशेषण :** जो विशेषण, विशेष्य और क्रिया के बीच आकर उसकी विशेषता बताते है, उसे विधेय-विशेषण कहते है तब वहाँ पर विधेय-विशेषण होता हैं। जैसे-

मेरा घोड़ा लाल हैं।

तुम्हारा दामाद आलसी है।

इन वाक्यों में लाल और आलसी ऐसे विशेषण हैं, जो क्रमशः घोड़ा (संज्ञा) और है (क्रिया) तथा दामाद (संज्ञा) और है (क्रिया) के बीच आए हैं।

विशेषण का महत्व

विशेषण भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके द्वारा हम वाक्यों को और संपूर्ण बना सकते हैं, जिससे भाषा सुंदर, व्यापक और विवरणशील बनती है। विशेषण शब्दों की सही उपयोग से हम अपने वाक्यों को व्यक्तिगत बना सकते हैं और पाठक की ध्यान को आकर्षित कर सकते हैं। विशेषण वाक्यों में जीवंतता, छाप, और रंग डालते हैं, जिससे भाषा रंगीन और रूचिकर बनती है।

11.4 क्रिया

क्रिया का अर्थ होता है- कार्य करना। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है।

उदाहरण- खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना आदि।

प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य को पूरा करने में क्रिया का होना बहुत ही जरूरी होता है। क्रिया किसी कार्य के करने या उसके होने के बारे में दर्शाती है। क्रिया को करने वाला 'कर्ता' कहलाता है।

क्रिया के कुछ उदाहरण नीचे प्रस्तुत हैं-

1. रातुल पढ़ रहा है।
2. प्रांजल क्रिकेट खेल रहा है।
3. बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं।
4. लड़कियाँ गाना गा रही हैं।
5. सुनीता खाना बना रही है।
6. अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ा रहा था।
7. निखिल दूध पी रहा है।

ऊपर दिए गए वाक्यों में पढ़ना, लिखना खेलना आदि किसी कार्य का होना दर्शाते हैं। इसलिए इन वाक्यों को क्रिया पद कहा जाता है।

11.4.1 क्रिया के भेद

सामान्यत: क्रिया के दो भेद हैं-

1. सकर्मक क्रिया
2. अकर्मक क्रिया

1. सकर्मक क्रिया- वें क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़ कर कर्म पर पड़ता है। अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का होना सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे-

अंजलि खाना बना रही है,
दीपक बाजार जा रहा है,
नवीन पानी पी रहा है आदि।

सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं -

- **एक कर्मक क्रिया** - जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो, तो उसे एक कर्मक क्रिया कहा जाता है, जैसे- राम आम खा रहा है।
- **द्विकर्मक क्रिया** - जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो, तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है, जैसे- अध्यापक छात्रों को गणित पढ़ा रहें हैं।

2. अकर्मक क्रिया - वें क्रियाएं जिनके साथ कर्म ना प्रयुक्त होता हो तथा क्रिया का प्रभाव में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे-

चयनिका रोती है,
प्रणिता खाती है,
रहीम बैठा है आदि।

क्रिया का वर्गीकरण तीन आधार पर किया गया है, जो इस प्रकार है-

1. कर्म के आधार पर
2. प्रयोग एवं संरचना के आधार पर
3. काल के आधार पर

कर्म के आधार पर क्रिया के भेद

कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं-

1. **सकर्मक क्रिया** -

वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे: श्यामयता हंस रही है, मुकुल रो रहा है।

2. **अकर्मक क्रिया** -

वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे: रश्मि ने सेब खाया, राहुल पानी पी रहा है।

संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद

संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद निम्न प्रकार हैं-

1. संयुक्त क्रिया
2. नामधातु क्रिया
3. प्रेरणार्थक क्रिया
4. पूर्वकालिक क्रिया
5. मूल क्रिया
6. नामिक क्रिया
7. समस्त क्रिया
8. सामान्य क्रिया
9. सहायक क्रिया
10. सजातीय क्रिया
11. विधि क्रिया

क्रिया अनुबंध के नियम

नियम 1

एकवचन विषय एकवचन क्रिया के साथ जाता है।

गलत - लड़का आम खाते हैं।

सही - लड़का आम खाता है।

इस कथन में, लड़का एकवचन है और इसलिए एकवचन क्रिया अर्थात 'खाता' को अपनाएगा।

नियम 2

विषय क्रिया समझौते का दूसरा नियम इस प्रकार है - एक बहुवचन विषय

बहुवचन क्रिया के साथ जाता है।

गलत – लड़के आम खाता है।

सही– लड़केआम खाते हैं।

इस कथन में, लड़के एक बहुवचन सर्वनाम है और इसलिए एक बहुवचन क्रिया अर्थात 'खाते' शब्द का उपयोग होगा।

नियम 3

विषय क्रिया समझौते का अगला नियम कहता है कि यदि एक वाक्य में दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम और का उपयोग करके जुड़े हुए हैं तो इस्तेमाल की गई क्रिया बहुवचन होगी।

गलत– राहुल और अनामिका है भाई बहन।

सही– राहुल और अनामिका भाई बहन हैं।

इस कथन में, राहुल और अनामिका दो संज्ञाएं हैं जो 'और' से जुड़ती हैं और इसलिए प्रयुक्त क्रिया बहुवचन है, अर्थात 'हैं'।

नियम 4

विषय–क्रिया समझौते का अगला नियम या/न के उपयोग पर केंद्रित है। यदि एक वाक्य में दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम 'या/न' के प्रयोग से जुड़े हैं तो प्रयुक्त क्रिया एकवचन होगी।

गलत– आपके कक्षा शिक्षक या प्रधानाचार्य आपके अवकाश आवेदन को स्वीकृत करते हैं।

सही– आपकी कक्षा के शिक्षक या प्रधानाचार्य आपके अवकाश आवेदन को स्वीकृत करते हैं।

इस कथन में, दो संज्ञा वर्ग शिक्षक और प्रधानाचार्य 'या' का उपयोग करके जुड़े हुए हैं इसलिए प्रयुक्त क्रिया एकवचन है।

नियम 5

विषय क्रिया समझौते के इस नियम में, जब किसी वाक्य में एकवचन और बहुवचन दोनों सर्वनाम होते हैं, तो प्रयोग की जाने वाली क्रिया, क्रिया के करीब वाले सर्वनाम के अनुसार होगी।

गलत– शिव और उनके दोस्त हर हफ्ते कैफेटेरिया में मिलता है।

सही– शिव और उनके दोस्त हर हफ्ते कैफेटेरिया में मिलते हैं।

इस कथन में बहुवचन संज्ञा 'दोस्त' क्रिया के सबसे निकट है और इसलिए बहुवचन होगा अर्थात मिलते हैं।

नियम 6

एकवचन सर्वनाम 'नहीं' का उपयोग करता है और एक बहुवचन 'नहीं' का

उपयोग करता है। लेकिन इस नियम का एक अपवाद है। विषय क्रिया समझौते का यह नियम बताता है कि 'नहीं' का प्रयोग एकवचन सर्वनाम 'मैं' और 'आप' के बजाय 'नहीं' के साथ किया जाता है जैसा कि आदर्श रूप से होना चाहिए।

ग़लत – वह आइसक्रीम नहीं खाती।

सही – वह आइसक्रीम नहीं खाती है।

इस कथन में, वह एकवचन है और इसलिए, क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

ग़लत – वे आइसक्रीम नहीं खाते।

सही – वे आइसक्रीम नहीं खाते हैं।

इस कथन में, वे बहुवचन हैं और इसलिए, क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

अपवाद

ग़लत – मैं सुशी नहीं खाता।

सही – मैं सुशी नहीं खाता हूँ ।

इस कथन में, मैं एक विलक्षण सर्वनाम है, लेकिन इसके साथ प्रयोग नहीं किया जाएगा के बजाय इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। और इसलिए यह एक अपवाद है।

नियम 7

यदि किसी वाक्य में एक अतिरिक्त वाक्यांश है, तो क्रिया को हमेशा कथन के विषय से सहमत होना चाहिए और अतिरिक्त वाक्यांश के सर्वनाम या संज्ञा से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

ग़लत – यह पुस्तक , साथ ही इस लेखक की अन्य सभी पुस्तकें उबाऊ हैं।

सही – इस किताब को , साथ ही सभी के रूप में इस लेखक के अन्य पुस्तकों है उबाऊ।

इस कथन में, 'यह पुस्तक' विषय है और यह एकवचन है। इसलिए, प्रयुक्त क्रिया भी एकवचन होगी अर्थात 'है' और 'हैं' नहीं।

नियम 8

विषय क्रिया समझौते का अगला नियम प्रत्येक, हर एक, या तो, न तो, हर कोई, हर कोई, कोई भी, कोई भी, कोई नहीं, कोई, कोई, और कोई भी ऐसे शब्दों के उपयोग के बारे में है जो प्रकृति में विलक्षण हैं और इसलिए हमेशा एकवचन क्रिया का प्रयोग करें।

ग़लत– हर एक को आप की कर रहे हैं एक लाइव प्रस्तुति देने जा रहा।

सही बात – हर एक को आप की है एक लाइव प्रस्तुति देने जा रहा।

इस कथन में, 'प्रत्येक' का उपयोग किया जाता है और इसलिए, एकवचन क्रिया 'है'

का उपयोग किया जाएगा।

ग़लत- न तो आप में से एक रहे हैं घर जाने की अनुमति दी।

सही बात - न तो आप में से एक है घर जाने की अनुमति दी।

इस कथन में, 'none' का प्रयोग किया गया है और इसलिए, एकवचन क्रिया "Is" का प्रयोग किया जाएगा।

नियम 9

जन संज्ञाएं जैसे नागरिक शास्त्र, गणित, डॉलर, खसरा, और समाचार जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, विषय-क्रिया समझौते के नियमों के तहत एकवचन क्रियाओं का उपयोग करते हैं।

ग़लत - गणित कर रहे हैं मेरे पसंदीदा विषय।

सही - गणित है मेरा पसंदीदा विषय।

इस कथन में, द्रव्यमान संज्ञा 'गणित' का प्रयोग एकवचन क्रिया के साथ किया जाता है अर्थात, है।

नियम 10

अंग्रेजी में संज्ञाओं का एक समूह होता है जिसे 'प्लुरल टैंटम' कहते हैं जिसका एकवचन रूप नहीं होता है जैसे पतलून, कैंची, पैंट आदि। ऐसी संज्ञाएं हमेशा बहुवचन क्रिया का उपयोग करती हैं।

ग़लत - ये पतलूनें हैं मेरी।

सही - ये पतलून हैं मेरी।

इस कथन में, काली पतलून एक ही वस्तु को संदर्भित करती है, लेकिन बहुवचन क्रिया का उपयोग करती है, अर्थात हैं।

नियम 11

विषय क्रिया समझौते के इस नियम में सामूहिक संज्ञा जैसे वर्ग, समिति, परिवार, समूह आदि एकवचन क्रिया लेते हैं।

ग़लत - इतिहास की कक्षा शुरू 9 बजे।

सही - इतिहास की कक्षा शुरू होती हैं सुबह 9 बजे।

इस कथन में, इतिहास वर्ग एक सामूहिक संज्ञा है और इसलिए इसके साथ एकवचन संज्ञा 'शुरू' का उपयोग किया जाएगा।

नियम 12

विषयों की संख्या, साथ में, इसके अलावा या शामिल जैसे भावों से प्रभावित नहीं होती है। यदि विषय एकवचन है, तो क्रिया भी एकवचन होगी और इस तरह के भावों के बावजूद यह बनी रहेगी।

ग़लत - नेहा , उसकी बहन के साथ, कर रहे हैं आज प्रदर्शन करने के लिए जा रहा है।

सही – नेहा, उसकी बहन के साथ, है आज प्रदर्शन करने के लिए जा रहा है।

इस कथन में विषय 'नेहा' एकवचन है और इसलिए प्रयुक्त क्रिया भी एकवचन अर्थात् 'है' है। साथ वाले वाक्यांश का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।



11.5 सारांश

विशेषण एक महत्वपूर्ण व्याकरणिक अवधारणा है जो हमें शब्दों के गुण, विशेषता, स्थिति, आकार, आदि को व्यक्त करने में मदद करती है। इसके माध्यम से हम वाक्यों को और संपूर्ण, व्यापक, और विवरणशील बना सकते हैं और भाषा को सुंदर और रंगीन बना सकते हैं। विशेषण का सही उपयोग करने से हम अपने भाषा कौशल को सुधार सकते हैं और वाक्यों को और प्रभावी बना सकते हैं। विशेषण हमारी भाषा की सुंदरता को बढ़ाता है और संवाद में विवरण को प्रदान करता है।

दूसरी और क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकते। कुछ क्रियाएँ स्वघटित होते हैं और कुछ की जाती हैं। क्रियाएँ एक या अधिक शब्दों से मिलकर हो सकते हैं। क्रिया के रूप लिंग, वचन, कारक तथा काल से प्रभावित होकर परिवर्तित हो सकते हैं। इसलिए वह विकारी शब्द होते हैं। अपनी विचारों को व्यक्त करने के लिए अथवा वाक्य की संरचना के लिए क्रिया आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण है।



11.7 प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा)

प्रश्न 1 का उत्तर : विशेषण के दो भेद है। विशेषण द्वारा सूचित किया जानेवाला पद या शब्द (जैसे—पीत वसन में वसन विशेष्य है)। विधेय विशेषण एक विशेषण है जो एक संयोजक क्रिया के बाद आता है और वाक्य के विषय का वर्णन या संशोधन करता है। अधिक जानने के लिए इकाई को ध्यान से पढ़े।

प्रश्न 2 का उत्तर : क्रिया अनुभोध के नियम 12 दिए गए है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है।



11.7 अधिक जानने के लिए पढ़े

1. डॉ. भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान, किताब महल।
2. डॉ. एच. परमेश्वरन, हिंदी भाषा और लिपि, वाणी प्रकाशन, दिल्ली।
3. रामकिशोर शर्मा, हिंदी भाषा और लिपि, राजकमल प्रकाशन।



11.8 अभ्यास प्रश्न

(क) संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1 विशेषण की किसी एक उदाहरण का उल्लेख करें ?

2 क्रिया के किसी एक उदाहरण को लिखिए ?

3 प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के भेद बताएं ?

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. 'विशेषण' से तात्पर्य क्या हैं ? विशेषण को कितने भागों में बाँटा जाता हैं- उदाहरण सहित लिखिए।

2. क्रिया के भेद कितने होते हैं तथा, 'अकर्मक' क्या है ?

3. क्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा सहित उसके भेदों पर आलोचना कीजिए।

*** ***** ***

इकाई 12 : हिंदी वचन और समास

इकाई की रूपरेखा

12.1 उद्देश्य

12.2 प्रस्तावना

12.3 अर्थ एवं परिभाषा

- 12.3.1 वचन
- 12.3.2 समास

12.4 वर्गीकरण

- 12.4.1 वचन के प्रकार
- 12.4.2 वचन परिवर्तन के नियम
- 12.4.3 एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम
- 12.4.4 समास के भेद

12.5 सारांश

12.6 प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा)

12.7 अधिक जानने के लिए पढ़े

12.8 अभ्यास प्रश्न

12.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप –

- वचन का अर्थ और स्वरुप से परिचय प्राप्त कर सकेंगे।
- समास का अर्थ और स्वरूप से परिचत हो पाएंगे।
- वचन और समास के प्रयोग-रीति संबंधी नियमों को जान पाएंगे।

12.2 प्रस्तावना

वचन भाषा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो भाषा को संरक्षित और समझने में सहायता प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार समास का भी महत्व भाषा तथा व्याकरण में विशेष उल्लेखनीय है। दूरी और समास से तात्पर्य है संक्षिप्त। जिसके द्वारा हम सामासिक शब्दों के व्यवहार से अपनी बात को कम शब्दों में यानि की संक्षेप में, किंतु प्रभावी ढंग से कह सकते हैं। आइए अब वचन और समास के अर्थ और परिभाषाओं से परिचय प्राप्त करते हैं

12.3 अर्थ एवं परिभाषा

12.3.1 वचन

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन हिंदी व्याकरण का आधार है। साधारण शब्दों में कहे तो, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चलता है उसे वचन कहा जाता है।

मूलत: शब्दों के संख्यावाचक रुप ही वचन है। उदाहरण के तौर पर

लड़का भागता है।

लड़के भागते हैं।

उल्लेखित उदाहरणों में थोड़ा सा परिवर्तन है जहां लड़का एक होने बोध करा रहा है, वहीं लड़के कई होने का बोध करा रहे हैं।

12.3.2 समास

दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नवीन शब्द बनाने की विधि (क्रिया) को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों का समस्त-पद कहते हैं। जब समस्त-पदों को अलग-अलग किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को समास-विग्रह कहते हैं।

समास रचना में कभी पूर्व-पद और कभी उत्तर-पद या दोनों ही पद प्रधान होते हैं, यही विधि समस्त पद यानि की समास कहलाती है; जैसे-

पूर्व पद		उत्तर पद		समस्त पद (समास)	
शिव	+	भक्त	=	शिवभक्त	पूर्व पद प्रधान
भाई	+	बहिन	=	भाई-बहिन	दोनों पद प्रधान
चतु:	+	भुज	=	चतुर्भुज (विष्णु)	अन्य पद प्रधान

परस्पर सम्बन्ध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों (पदों) के मेल (योग) ही समास है। इससे एक स्वतंत्र शब्द की रचना होती हैं।

12.4 वर्गीकरण

12.4.1 वचन के प्रकार

वचन मूल रूप से हिन्दी में दो प्रकार के होते हैं-

1. एकवचन
2. बहुवचन

संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का बोध हो या पता चलता है उसे एकवचन कहते हैं। जैसे- लड़का, गाय, सिपाही, घोड़ा, बच्चा, कपड़ा, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, मोर आदि।

संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने का बोध होता है या पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे-लड़के, बच्चे कपड़े पुस्तकें स्त्रिया, टोपिया, गाड़ियां, ठेले, नदियां आदि।

12.4.2 वचन परिवर्तन के नियम

वचन परिवर्तन का मतलब किसी एक संख्या को अधिक संख्या में व्यक्त करना होता है। किसी भी विकारी शब्द का वचन परिवर्तन उस शब्द के साथ प्रयुक्त कारक विभक्ति चिन्ह के आधार पर किया जाता है। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वह शब्द या तो किसी कारक विभक्ति के साथ प्रयुक्त होता है या बिना कारक विभक्ति के प्रयुक्त होता है।

हिंदी में किसी शब्द का वचन बदलते समय इसी को (विभक्ति) आधार बनाया जाता है। जैसे -

- हाथी दौड़ रहा है।
- हाथी दौड़ रहे हैं।
- हाथी ने फसल बर्बाद कर दी।
- हाथियों ने फसल बर्बाद कर दी।

उपरोक्त वाक्यों में से पहले दो उदाहरणों में संज्ञा शब्द 'हाथी' बिना विभक्ति के वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए हाथी का बहुवचन हाथी ही होगा। अंतिम दो उदाहरणों में संज्ञा शब्द 'हाथी' कारक विभक्ति चिन्ह 'ने' के साथ प्रयुक्त हुआ है, इसलिए हाथी का बहुवचन 'हाथियों' होगा।

12.4.3 एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम

1. आकारांत पुलिंग शब्दों को एकवचन से बहुवचन बनाने के लिए शब्दों में 'आ' के स्थान पर 'ए' का प्रयोग किया जाता है।

एकवचन	**बहुवचन**
जूता	जूते
कपड़ा	कपड़े
केला	केले
कुत्ता	कुत्ते
बेटा	बेटे

2. आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को एकवचन से बहुवचन बनाने के लिए शब्दों में 'अ' के स्थान पर 'ऐ' का प्रयोग किया जाता है।

एकवचन	**बहुवचन**
बात	बातें
आंख	आंखे
सड़क	सड़कें
पुस्तक	पुस्तकें
झील	झीलें

3. आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को एकवचन से बहुवचन बनाने के लिए शब्दों में 'आ' के स्थान पर 'एँ' का प्रयोग किया जाता है।

एकवचन	**बहुवचन**
कविता	कविताएँ
आशा	आशाएँ
पत्रिका	पत्रिकाएँ
माता	माताएँ

4. एकवचन और बहुवचन दोनों में शब्द एक समान हो।

एकवचन	**बहुवचन**
राजा	राजा
पिता	पिता
पानी	पानी
फल	फल

5. जब स्त्रीलिंग शब्दों में 'य' के बदले 'याँ' आए

एकवचन	**बहुवचन**
गुडिया	गुड़ियाँ
चुहिया	चुहियाँ
डिबिया	डिबियाँ
बिंदिया	बिंदियाँ
बुढ़िया	बुढ़ियाँ

6. इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में 'इ' या 'ई' के स्थान पर 'इयाँ' आए

एकवचन	**बहुवचन**
नीति	नीतियाँ
नारी	नारियाँ
नदी	नदियाँ

सखी	सखियाँ
लड़की	लड़कियाँ

7. जब शब्दों का 2 बार प्रयोग हो

एकवचन	**बहुवचन**
घर	घर-घर
शहर	शहर-शहर

8. संज्ञा के पुलिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में गण, वर्ग, जन ,दल, लोग आदि शब्द जोड़कर बहुवचन बनाते है।

एकवचन	**बहुवचन**
अध्यापक	अध्यापकगण
विद्यार्थी	विद्यार्थीगण
गुरु	गुरुजन
मित्र	मित्रवर्ग
आप	आपलोग

12.4.4 समास के भेद

मूलत: समास के छ: भेद नजर आते हैं।

- अव्ययी भाव समास
- तत्पुरुष समास
- द्विगु समास
- द्वन्द्व समास
- कर्मधारय समास
- बहुब्रीहि समास

1. अव्ययीभाव समास- इस समास में पहला पद अव्यय होता है और यही प्रधान होता है।

भरपेट	-	पेट भरकर।
यथा योग्य	-	योग्यता के अनुसार।
प्रतिदिन	-	हर दिन।
आजन्म	-	जन्म भर।
आजीवन	-	जीवनभर / पर्यन्त।
आमरण	-	मरण तक (पर्यन्त)।
बीचोंबीच	-	बीच ही बीच में
यथाशक्ति	-	शक्ति के अनुसार।

2. तत्पुरुष समास– इस समास में प्रथम शब्द (पद) गौण तथा द्वितीय पद प्रधान होता है; उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कारक चिह्नों का लोप हो जाता है। कारक तथा अन्य आधार पर तत्पुरुष के निम्न्लिखित भेद होते हैं–

(क) कर्म तत्पुरुष – को परसर्ग (विभक्ति कारक चिह्नों) का लोप होता है। जैसे–

समस्त पद	**विग्रह**
बसचालक	बस को चलाने वाला
गगनचुंबी	गगन को चूमने वाला
स्वर्गप्राप्त	स्वर्ग को प्राप्त
माखनचोर	माखन को चुराने वाला।

(ख) करण तत्पुरुष – इसमें 'से', 'द्वारा' परसर्ग का लोप होता है। जैसे–

समस्त पद	**विग्रह**
मदांध	मद से अंध।
रेखांकित	रेखा द्वारा अंकित
हस्तलिखित	हाथ से लिखित
कष्टसाध्य	कष्ट से साध्य

(ग) सम्प्रदान तत्पुरुष – इसमें 'को' 'के लिए' परसर्ग को लोप होता है। जैसे–

समस्त पद	**विग्रह**
हथकड़ी	हाथ के लिए कड़ी।
परीक्षा भवन	परीक्षा के लिए भवन।
हवनसामग्री	हवन के लिए सामग्री।
सत्याग्रह	सत्य के लिए आग्रह।

(घ) अपादान तत्पुरुष – इसमें 'से' (अलग होने का भाव) का लोप होता है। जैसे–

समस्त पद	**विग्रह**
पथभ्रष्ट	पथ से भ्रष्ट
ऋणमुक्त	ऋण से मुक्त
जन्मान्ध	जन्म से अंधा।
भयभीत	भय से भीत।

(ङ) सम्बन्ध तत्पुरुष – इसमें 'का, की, के, और रा, री, रे' परसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे–

मस्त पद	**विग्रह**
घुड़दौ	घोंडों की दौड़
पूँजीपति	पूँजी का पति
गृहस्वामी	गृह का स्वामी

प्रजापति	प्रजा का पति

(च) अधिकरण तत्पुरुष - इसमें से कारक की विभक्ति में/पर का लोप हो जाता है। जैसे-

समस्त पद	**विग्रह**
शरणागत	शरण में आगत
आत्मविश्वास	आत्मा पर विश्वास
जलमग्न	जल में मग्न
नीतिनिपुण	नीति में निपुण

3. द्विगु समास- इस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। जैसे-

समस्त पद	**विग्रह**
चैराहा	चार राहों का समाहार/समूह
त्रिभुवन	तीन भुवनों का समूह
नवग्रह	नौ ग्रहों का समाहार
त्रिवेणी	तीन वेणियों का समाहार

4. द्वन्द्व समास- इस समास में दोनों पद प्रधान होते है, तथा, और, या, अथवा आदि शब्दों का लोप होता है। जैसे-

समस्त पद	**विग्रह**
आय-व्यय	आय और व्यय
माता-पिता	माता और पिता
भीम-अर्जुन	भीम और अर्जुन
अन्न-जल	अन्न और जल

5. कर्मधारय समास- इस समास में विशेषण का संबंध होता है। इसमें प्रथम (पूर्व) पद गुणावाचक होता है। जैसे-

समस्त पद	**विग्रह**
महात्मा	महान है जो आत्मा
स्वर्णकमल	स्वर्ण का है जो कमल
नीलकमल	नीला है जो कमल
पीताम्बर	पीला है जो अम्बर

कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय-उपमान सम्बन्ध भी हो सकता है। जैसे-

समस्त पद	**उपमेय**	**उपमान**
घनश्याम	घन के समान	श्याम

कमलनयन	कमल के समान	नयन
मुखचन्द	मुखीरूपी	चन्द्र

6. बहुब्रीहि समास- इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि समस्त पद किसी अन्य के विशेषण का कार्य करता है और यही तीसरा पद प्रधान होता है।

समस्त पद	**विग्रह**
दशानन	दश है आनन (मुख) जिसके अर्थात् रावण
चतुर्भुज	चार है भुजाएँ जिसकी अर्थात् विष्णु
लम्बोदर	लम्बा है उदर (पेट) जिसका अर्थात् गणेश
चक्रपाणि	चक्र है पाणि (हाथ) में जिसके अर्थात् विष्णु
नीलकंठ	नील है कंठ जिसका अर्थात् शिव

विशेष- बहुब्रीहि समास में विग्रह करने पर विशेष रूप से 'वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिसके' आदि शब्द पाए जाते हैं अर्थात् विग्रह पद संज्ञा पद का विशेषण रूप हो जाता है।



अपनी प्रगति जांचें

प्रश्न संख्या 1. वचन के भेद कितने माने जाते हैं?

प्रश्न संख्या 2. तत्पुरुष समास की चर्चा करें?



12.5 सारांश

इससे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले उसे वचन कहते है। मूलत: वचन हिंदी व्याकरण का आधार है। दूसरी और समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से बना हुआ एक सार्थक शब्द होता है। समास में शब्द पास-पास आकर नया शब्द बनाते हैं। इससे बने शब्द में कभी उत्तर पद प्रधान होता है तो कभी पूर्व और कभी-कभी अन्य पद। हिंदी भाषा तथा व्याकरण में दोनों का विशेष महत्व होता है।



12.6 प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा)

प्रश्न 1 का उत्तर : वचन के दो प्रकार है- एकवचन और बहुवचन। अधिक जानने के लिए इकाई को ध्यान से पढ़े।

प्रश्न 2 का उत्तर : तत्पुरुष समास में उत्तरपद प्रधान होता है, पूर्वपद अप्रधान होता है। इसी के साथ दोनों पदों के मध्य में कारक का लोप रहता है, तो इस प्रकार के समास को तत्पुरुष समास (Tatpurush samas) कहते हैं। ऊपर इसकी विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी है, कृपया उसे ध्यान से पढ़े।



12.7 अधिक जानने के लिए पढ़े

1. डॉ. भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, किताब महल।
2. डॉ. एच. परमेश्वरन, हिंदी भाषा और लिपि, वाणी प्रकाशन, दिल्ली।
3. रामकिशोर शर्मा, हिंदी भाषा और लिपि, राजकमल प्रकाशन।



12.8 अभ्यास प्रश्न

(क) संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. वचन की परिभाषा दीजिए?
2. समास के किसी एक भेद का नाम लिखिए?
3. बहुब्रीहि समास का उदाहरण लिखिए?

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. वचन किसे कहते है?
2. वचन परिवर्तन के कुछ नियमों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
3. समास से क्या तात्पर्य है? समास कितने प्रकार के हैं, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

*** ***** ***

इकाई 13 : हिंदी प्रत्यय और उपसर्ग

इकाई की रूपरेखा

13.1 उद्देश्य

13.2 प्रस्तावना

13.3 अर्थ एवं स्वरूप

13.3.1 प्रत्यय

13.3.2 उपसर्ग

13.4 प्रत्यय

13.5 उपसर्ग

13.6 उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर

13.6.1 प्रत्यय का उपयोग

13.6.2 उपसर्ग का उपयोग

13.7 प्रत्यय और उपसर्ग के कुछ उदाहरण

13.8 प्रत्यय और उपसर्ग का उपयोग

13.9 प्रत्यय के वाक्य प्रयोग

13.10 उपसर्ग के वाक्य प्रयोग

13.11 सारांश

13.12 प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा)

13.13 अधिक जानने के लिए पढ़े

13.14 अभ्यास प्रश्न

13.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप –

- प्रत्यय का अर्थ और स्वरूप से परिचय प्राप्त कर पाएंगे।
- उपसर्ग का अर्थ और स्वरूप से परिचत हो पाएंगे
- प्रत्यय और उपसर्ग के प्रयोग-रीति से ज्ञान हासिल होगा।

13.2 प्रस्तावना

भाषा एक महत्वपूर्ण साधन है जो हमारे विचारों और अभिव्यक्ति को संचालित करने का कार्य करती है। शब्दों का उपयोग शब्द-शक्ति के रूप में जाना जाता है, जहाँ वे अपनी भूमिका निभाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय भी शब्द-शक्ति के हिस्सा हैं जो शब्दों की रचना को

विशेषता देते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो दूसरे शब्दों के अन्त में जुड़कर, अपनी प्रकृति के अनुसार, शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। दूसरी और उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़ कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। आईये अब प्रत्यक के स्वरुप तथा परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं।

13.3 अर्थ एवं स्वरुप

13.3.1 प्रत्यय

'प्रत्यय' संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है पक्ष या प्रकार। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हैं – प्रति+अय। प्रति का अर्थ होता है 'साथ में, पर 'बाद में' और अय का अर्थ होता है 'चलने वाला', अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उदाहरण–

सुगंध + इक = सुगन्धित

लोहा + आर = लुहार

पागल + पन = पागलपन

13.3.2 उपसर्ग

उपसर्ग संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है 'ऊपर या संलग्न होना'। उपसर्ग दो शब्दों की मेल हैं। जिसमें उप से मतलब है– समीप या पहले और सर्ग से मतलब है– सृष्टि करना होता है। अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनानेवाला शब्द ही है उपसर्ग। उदाहरण–

प्र + हार = प्रहार, 'हार' शब्द का अर्थ है पराजय। परंतु इसी शब्द के आगे 'प्र' शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा– 'प्रहार' (प्र + हार) जिसका अर्थ है चोट करना।

आ + हार = आहार, 'आ' जोड़ने से आहार (भोजन)

सम् + हार = संहार (विनाश) ,संयोग।

उपर्युक्त उदाहरण में 'प्र', 'आ' और 'सम्' का अलग से कोई अर्थ नहीं है, 'हार' शब्द के आदि में जुड़ने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि ये सभी शब्दांश हैं और ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं।

13.4 उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर

उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अवयव होते हैं, परंतु दोनों में विशेष अंतर होता है।

- उपसर्ग शब्द के पहले लगाकर दूसरे शब्द का अर्थ बदल देते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में लगाकर शब्द का अर्थ बदलता है।
- इन दोनों के माध्यम से हम शब्दों के अर्थ को परिवर्तित करते हैं।
- उपसर्ग मुख्य रूप से शब्द के अर्थ को संशोधित करते हैं, जबकि प्रत्यय अधिकतर व्याकरणिक पहलुओं में सहायक होते हैं।
- उपसर्ग बड़े परिवर्तन के साथ नए शब्द बना सकते हैं। प्रत्यय आमतौर पर मौजूदे शब्द को विभिन्न संदर्भों में उपयुक्त बनाने के लिए उपयोग होते हैं।
- उपसर्ग शब्द के क्रिया या स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। प्रत्यय शब्द को शब्द के विशिष्ट गुण या विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं।
- उपसर्ग अधिकतम अर्थ और अवधारणा के साथ जुड़े होते हैं। प्रत्यय व्याकरणिक संरचना और विवरणों पर अधिक ध्यान देते हैं।

13.5 प्रत्यय और उपसर्ग के कुछ उदाहरण

प्रत्यय के उदाहरण

- क – गायक, सेवक, नायक, पाठक
- ता – नेता, अभिनेता, विक्रेता
- ना – लिखना, पढ़ना
- आन – उड़ान, मिलान, उठान, पहचान
- आई – पढ़ाई, लिखाई, मिठाई, बुराई
- ना – खाना, पीना
- ई – हंसी, बोली, गरीबी, अमीरी, रईसी
- पा – बुढ़ापा, मोटापा
- आर – सुनार, लुहार
- वान – धनवान, गाड़ीवान
- गर – जादूगर , सौदागर
- इया – डिबिया, खटिया, बिटिया, लठिया
- आस – मिठास, खटास
- ला – अगला, पिछला, निचला
- पन – अपनापन, बचपन, पीलापन
- आहट – घबराहट, चिकनाहट

- आकू – लड़ाकू, पढ़ाकू
- आवट – मिलावट, बनावट, सजावट, लिखावट
- इयल – मरियल, अड़ियल
- आक – तैराक, उड़ाक

इसके अलावा कुछ प्रत्ययों के उदाहरण हैं– तव, यक, वाद, कृत, युक्त, त्व, त्वा, त्वी, त्वु, नी, यन, यान, वति, ता, द्वारा, करण, तव्य, कार, पत्र, योग, युग, कर्तव्य, निष्ठा, सम्पन्न, संग्रह, ग्राम, कुल, सूची, सृजन, वाणी, योग्य, यापन, दान, शास्त्र, दर्शन, विद्या, आलय, निधि, नाम, विज्ञान, रचना, सज्जन, आदि।

उपसर्ग के उदाहरण

- अति – अतिरिक्त , अतिक्रमण, अतिशय
- अनु – अनुभव, अनुभूति, अनुकरण, अनुरोध, अनुशासन
- अप – अपयश, अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपवाद
- अव – अवसान, अवसर, अवकाश, अवनति, अवगुण
- आ – आहार, आजीवन, आगमन, आदान
- उप – उपवन, उपकार, उपनगर, उपचार, उपदेश, उपनगर
- प्रति – प्रतिरूप, प्रतिकूल, प्रतिनिधि, प्रतिवादी
- सह – सहपाठी, सहमति, सहकारी, सहचर, सहयोग
- चिर – चिरजीवी, चिरकाल, चिरायु
- सु – सुगम, सुबोध, सुलभ, सुजान
- वि – वियोग, विनाश, विदेश, विकार, विज्ञान
- सम – समकोण, समकालीन, समकालिक

इसके अलावा यहाँ कुछ उपसर्गों के उदाहरण दिए गए हैं– अधिक, अपना, अभी, अन्य, आदि, आधा, आप, इन, इन्हें, उन, उनका, उस, उसका, एक, औरत, कई, कम, कर, काफी, कुछ, कोई, गैर, घर, चाहिए, जब, जो, तक, तब, तरह, दिन, नहीं, पूरा, प्रति, बढ़, बहुत, भीतर, मुख्य, यदि, रात, लिए, सबसे, सारे, हमारा, हमारे, हो, संग, सब, सबका, सभी, साथ, ही, हुआ।

13.6 प्रत्यय और उपसर्ग का उपयोग

प्रत्यय और उपसर्ग भाषा को व्यापक बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये शब्दांश शब्दों को विस्तृत करने और उन्हें अधिक परिवर्तनशील बनाने में मदद करते हैं। वे वाक्यों को सुंदरता और विस्तार देते हैं और भाषा के प्रभाव को बढ़ाते हैं। आइये उपसर्ग और प्रत्यय के उपयोग को विस्तार से समझते हैं –

13.6.1 प्रत्यय का उपयोग

- **विभक्ति और वचन की परिवर्तन** - प्रत्यय के प्रयोग से शब्द के विभक्ति (क्रिया का प्रकार) और वचन (क्रिया के व्यक्ति) में परिवर्तन होता है।
- **संज्ञा, विशेषण आदि के निर्माण** - प्रत्यय के द्वारा संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि के अद्भुत नए रूप बनाए जाते हैं, जो वाक्य को अधिक संवादात्मक बनाते हैं।
- **काल, क्रिया के प्रकार, पर्यायवाची शब्दों का निर्माण :** प्रत्यय के प्रयोग से काल (भूतकाल, वर्तमानकाल, भविष्यकाल), क्रिया के प्रकार (कर्तरी, भावरी, सेतु) और पर्यायवाची शब्दों का निर्माण होता है।
- **संबंधवाचक शब्दों का निर्माण** - प्रत्यय से संबंधवाचक शब्दों का निर्माण होता है जो वाक्य में विविध धाराएँ प्रकट करते हैं।

13.6.2 उपसर्ग का उपयोग

- **अर्थ में परिवर्तन** - उपसर्ग शब्द के अर्थ को परिवर्तित करते हैं, जो शब्द का मूल अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है।
- **नए शब्दों का निर्माण** - उपसर्ग शब्दों का निर्माण करने में मदद करते हैं, जिनका अर्थ पूर्णत: नया होता है। इससे भाषा में विस्तार होता है।

13.7 प्रत्यय के वाक्य प्रयोग

पुस्तकालय (Pustakalaya) - आलय (जगह) के अर्थ में यहाँ '-कालय' प्रत्यय है, जिससे शब्द का अर्थ 'किताबों की जगह' होता है।

परिश्रमिक (Parlshramlk) - श्रम (कठिनाइयों का प्रयास) के अर्थ में यहाँ '-श्रमिक' प्रत्यय है, जिससे शब्द का अर्थ 'कठिनाइयों का प्रयास करने वाला' होता है।

13.8 उपसर्ग के वाक्य प्रयोग

1. **उपगम (Upagam)** - गम (आना) के अर्थ में यहाँ 'उप-' उपसर्ग है, जिससे शब्द का अर्थ 'निकट आना' होता है।
2. **अपातकाल (Apatakala)** - तकाल (वक्त) के अर्थ में यहाँ 'अप-' उपसर्ग है, जिससे शब्द का अर्थ 'अनुपस्थित वक्त' होता है।



अपनी प्रगति जांचें

प्रश्न संख्या 1. प्रत्यय का उपयोग किस प्रकार होता है?

प्रश्न संख्या 2. उपसर्ग का उपयोग किस प्रकार होता है?



13.9 सारांश

उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण अंश हैं। उपसर्ग शब्दों के पहले लगाकर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। हिंदी में, उपसर्ग एक शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदलता है या बढ़ाता है। यह शब्दांश अक्सर पूर्ववर्ती शब्द से अलग रचना का कारण बनते हैं। प्रत्यय शब्दों को अंत में लगाकर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ये शब्दों के रूप, वचन, काल, या अन्य विशेषताओं को संकेतित करने में मदद करते हैं और उनके अर्थ को व्याख्यात करते हैं। इससे हम शब्दों के अर्थ और व्याख्यान को सुगम और संगठित बना सकते हैं।



13.10 प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा)

प्रश्न 1 का उत्तर : प्रत्यय : प्रत्यय एक अंत है, जिसका उपयोग एक शब्द के अंत में उसे दूसरे शब्द में बदलने के लिए किया जाता है। मूल शब्दों के विपरीत, प्रत्यय अपने आप में एक पूर्ण शब्द के रूप में नहीं खड़े हो सकते। ऊपर इसकी विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी है, कृपया ध्यान से पढ़े।

प्रश्न 2 का उत्तर : उपसर्ग अक्षरों का एक समूह (या प्रत्यय) होता है जिसे किसी शब्द की शुरुआत में जोड़ा जाता है। उपसर्ग किसी शब्द के अर्थ को संशोधित करते हैं। वे किसी शब्द को नकारात्मक बना सकते हैं, दोहराव दिखा सकते हैं या राय का संकेत दे सकते हैं। अधिक जानने के लिए ऊपर के इकाई को ध्यान से पढ़े।



13.11 अधिक जानने के लिए पढ़े

1. डॉ. भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, किताब महल।
2. डॉ. एच. परमेश्वरन, हिंदी भाषा और लिपि, वाणी प्रकाशन, दिल्ली।
3. रामकिशोर शर्मा, हिंदी भाषा और लिपि, राजकमल प्रकाशन।



13.12 अभ्यास प्रश्न

(क) संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. प्रत्यय किस भाषा का शब्द है ?
2. उपसर्ग का एक उदाहरण स्पष्ट कीजिए ?
3. बहुब्रीहि समास का उदाहरण लिखिए ?

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. प्रत्यय से क्या तापर्य हैं ? इसके महत्व पर विचार कीजिए।
2. उपसर्ग किसे कहते है- इसके प्रयोग रीति संबंधी मतों पर एक आलेख प्रस्तुत कीजिए।
3. प्रत्यय और उपसर्ग के अंतर स्पष्ट कीजिए।

*** ***** ***

इकाई 14 : हिंदी में लिंग परिवर्तन के कारण

इकाई की रूपरेखा

14.1 उद्देश्य

14.2 प्रस्तावना

14.3 लिंग – सामान्य परिचय

14.3.1 परिभाषा

14.3.2 लिंग के भेद

14.4 लिंग के निर्णय में आने वाली कठिनाइयाँ

14.5 सारांश

14.6 अधिक जानने के लिए पढ़े

14.7 अभ्यास प्रश्न

14.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप –

- हिदीं भाषा के लिंग के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।
- लिंग की पहचान तथा पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियमों को जान सकेंगे।
- पाठ के आधार पर लिंग निर्णय की जटिलताओं को जाँच पड़ताल कर पाएंगे।

14.2 प्रस्तावना

भाषा का विकास सृष्टि के प्रारंभ से अविरत रूप से चल रहा हैं। भाषा को सीखने के लिए किसी व्यावहारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। भाषा को कोई भी सीखकर जीवन पर्यन्त उसका व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन किसी भाषा के वर्तमान स्वरूप को कम समय में सीखना और लिखित रूप में उसका सटीक प्रयोग करना हो तो व्याकरण की आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए भाषा विज्ञानी विकसित भाषाओं के व्याकरण तैयार करते हैं। वे नये नियम नहीं बनाते, प्रचलित भाषा के प्रयोगों को पहचान कर उन्हें केवल सूत्रबद्ध करते हैं।

पाठ्यक्रम के इस इकाई में आप लिंग की अवधारणा से परिचित होंगे। साथ ही हिन्दी भाषा में लिंग को लेकर जो जटिलताएँ हमारे चाक्षुष होती है, आप उस जटिलताओं की बेष्टनी को पार कर लिंग की सहजगम्यता एवं बोधगम्यता से वाकिब हो पाएंगे।

लिंग एक व्याकरणिक अवधारणा है जो शब्दों के संबंध में उनकी पहचान और व्यक्ति के लिए उपयोग होती है। हिंदी व्याकरण में, लिंग को शब्दों की एक प्रकृति या स्त्री या पुरुष व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। यह शब्द के विभाजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उनका अर्थ और रूपांतरण निर्धारित करता है

14.3 लिंग : सामान्य परिचय

लिंग एक व्याकरणिक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हमें भाषा के संरचना में सही रूप से उपयोग किए जाने वाले शब्दों को पहचानने में मदद करती है। यह हमें वाक्य रचना में मदद करती है और उनका सही अर्थ सुनिश्चित करती है। लिंग के द्वारा हम शब्दों को स्त्री और पुरुष के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं और इससे हमें शब्दों के उपयोग के निर्णय का सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है। इसलिए, लिंग व्याकरण की अच्छी समझ हमें सही भाषा का प्रयोग करने में मदद करती है और हमारे भाषा के संचार को सुगम बनाती है।

14.3.1 परिभाषा

लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है-'चिह्न'। अत: जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की स्त्री या पुरुषजाति का बोध होता है, उसे लिंग कहा जाता है। जैसे - बालक, चिड़िया, तनया आदि....।

वैयाकरणिक सन्दर्भ में लिंग से तात्पर्य भाषा के ऐसे प्रावधानों से है जो वाक्य के कर्ता के स्त्री/पुरुष/निर्जीव होने के अनुसार बदल जाते हैं। विश्व की लगभग एक चौथाई भाषाओं में किसी न किसी प्रकार की लिंग व्यवस्था है।

14.3.2 लिंग के भेद

हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद है।

1. पुलिंग
2. स्त्रीलिंग

हिन्दी में दो लिंग होते हैं -पुलिंग तथा स्त्रीलिंग। जबकि संस्कृत में तीन लिंग होते हैं- पुलिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। अत: हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द, चाहे वे चेतन हों य जड़, स्त्रीलिंग और पुंलिंग, इन दो लिंगों में विभक्त हैं।

1. पुलिंग :

शब्द का वह रूप जिससे पता लगाया जाता है कि वह पुरुष जाति का है, उन्हें पुलिंग कहा जाता है। जैसे बेटा, कुत्ता, लड़का, घोड़ा भेड़ आदि।

उदाहरण -

सजीव : बकरा, घोड़ा, लड़का, आदमी, शेर, हाथी, भेड़िया, खटमल, बन्दर, कुत्ता, बालक, शिशु, पत्रकार, राजा, राजकुमार आदि।

निर्जीव : रुमाल, कपड़ा, रक्त, रबर, शहद, सोना, वसंत, लगान, फल, धन, पत्थर, नशा, नक्शा, पोषण, भाग्य, मटर, धंधा, दबाव आदि।

पुलिंग की पहचान

1. जिन शब्दों के पीछे अ, त्व, आ, आव, पा, पन, न आदि प्रत्यय आये वे पुलिंग होते हैं।
   जैसे – मन, तन, वन, शेर, राम, कृष्ण, सतीत्व, देवत्व, मोटापा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लडकपन, बचपन, लेन–देन आदि।
2. पर्वतों के नाम पुलिंग होते हैं।
   जैसे – हिमालय, विघ्यांच्ल, आल्प्स, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फूजियामा, कैलाश, मलयाचल, माउन्ट एवरेस्ट आदि।
3. दिनों के नाम पुलिंग होते हैं
   जैसे – सोमवार, मंगलवार, बुद्धवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि।
4. देशों के नाम पुलिंग होते हैं
   जैसे – भारत, चीन, ईरान, यूरान, रूस, जापान, अमेरिका, हिमाचल, मध्य प्रदेश आदि।
5. धातुओं के नाम पुलिंग होते हैं
   जैसे – सोना, तांबा, पीतल, लोहा, चाँदी, पारा आदि।
6. कुछ नक्षत्रों के नाम पुलिंग होते हैं
   जैसे – सूर्य, चन्द्र, राहू, आकाश, शनि, बुद्ध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र आदि।
7. महीनों के नाम पुलिंग होते हैं
   जैसे – फरवरी, मार्च, चैत्र, आषाढ़, फागुन आदि।
8. द्रवों के नाम पुलिंग होते हैं
   जैसे – पानी, तेल, पेट्रोल, घी, शरबत, दही, दूध आदि।
9. पेड़ों के नाम पुलिंग होते हैं
   जैसे – केला, पपीता, शीशम, सागौन, बरगद, पीपल, नीम, आम, अमरुद, देवदार, अनार आदि।
10. सागर के नाम पुलिंग होते हैं
    जैसे – हिन्द महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर आदि।
11. समय के नाम पुलिंग होते हैं
    जैसे – घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकेंड आदि।
12. अनाजों के नाम भी पुलिंग होते हैं
    जैसे – गेंहूँ, बाजरा, चना, जौ आदि।
13. वर्णमाला के कुछ अक्षरों के नाम पुलिंग होते हैं
    जैसे – अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, घ, च, छ, य, र, ल, ठ, श आदि।
14. कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुरुष जाति का ही बोध करते हैं

जैसे – बालक, गीदड़, कौआ, कवि, साधु, खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी आदि।

15. समूह वाचक संज्ञा भी पुलिंग होती है
    जैसे – मण्डल, समाज, दल, समूह, सभा, वर्ग, पंचायत आदि।
16. भारी और बेडौल वस्तु भी पुलिंग होती हैं
    जैसे – जूता, रस्सा, पहाड़, लोटा आदि।
17. रत्नों के नाम भी पुलिंग होते हैं
    जैसे – नीलम, पुखराज, मूँगा, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा आदि।
18. फूलों के नाम पुलिंग होते हैं
    जैसे – गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब आदि।
19. द्वीप भी पुलिंग होते हैं
    जैसे – अंडमान–निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंलैंड आदि।
20. शरीर के अंग पुलिंग होते हैं
    जैसे – हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मुंह, घुटना, ह्रदय, दांत, मस्तक आदि।
21. दान, खाना, वाला जैसे शब्दांशों से खत्म होने वाले शब्द हमेशा पुलिंग होते हैं
    जैसे – खानदान, पीकदान, दवाखाना, जेलखाना, दूधवाला, दुकानवाला आदि।
22. कुछ आकारान्त संज्ञा वाले शब्द भी पुलिंग होते है
    जैसे – गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता आदि।

2. स्त्रीलिंग

शब्द का वह रूप जिससे पता लगाया जाता है कि वह स्त्री जाति है, उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे बेटी, पुत्री, शिक्षिका, गाय, मोरनी आदि।

स्त्रीलिंग की पहचान

1. जिन संज्ञा शब्दों के पीछे ख, ट, वट, हट, आनी आदि आयें वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं।
   जैसे – कड़वाहट, आहट, बनावट, शत्रुता, मूर्खता, मिठाई, छाया, प्यास, ईख, भूख, चोख, राख, कोख, लाख, देखरेख, झंझट, आहट, चिकनाहट, सजावट, इन्द्राणी, जेठानी, ठकुरानी, राजस्थानी आदि ।
2. अनुस्वारांत, ईकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत आदि संज्ञाएँ आती है वे स्त्रीलिंग होते हैं।
   जैसे – रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, बालू, दारू, सरसों, खड़ाऊं, प्यास, वास, साँस, नानी, बेटी, मामी, भाभी आदि।
3. भाषा, बोलियों तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होती हैं

जैसे – हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, अंग्रेजी,पंजाबी गुरुमुखी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, ज़र्मन, बंगाली, रुसी आदि।

4. नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं
   जैसे – गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, रावी, कावेरी, कृष्णा, व्यास, सतलुज, झेलम, ताप्ती, नर्मदा आदि।
5. तारीखों और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं।
   जैसे – पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, पृथ्वी, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा आदि।
6. कुछ नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं।
   जैसे – अश्विनी, भरणी, रोहिणी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा आदि।
7. कुछ संज्ञाएँ हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाली होती हैं।
   जैसे – मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना आदि।
8. कुछ समूहवाचक संज्ञाएँ स्त्रीलिंग भी होती हैं।
   जैसे – भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा आदि।
9. कुछ प्राणीवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होती हैं।
   जैसे – धाय, संतान, सौतन आदि।
10. पुस्तकों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं।
    जैसे – कुरान, रामायण, गीता, रामचरितमानस, बाइबल, महाभारत आदि।
11. कुछ आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं।
    जैसे – सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी, पकोड़ी आदि।
12. कुछ शरीर के अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं।
    जैसे – आँख, नाक, जीभ, पलक, उँगली, ठोड़ी आदि।
13. आभूषणों और वस्त्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं।
    जैसे – साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पेंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी आदि।
14. मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं।
    जैसे – दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चाय आदि।
15. राशि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं।
    जैसे – कुम्भ, मीन, तुला, सिंह, मेष, कर्क आदि।

14.4 लिंग के निर्णय में आने वाली कठिनाइयाँ

हिंदी में लिंग के निर्णय का आधार संस्कृत के नियम ही हैं। संस्कृत में हिंदी से अलग एक तीसरा लिंग भी है, जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग में अप्राणीवाचक संज्ञाओं को रखा जाता है। हिंदी में अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्णय में सबसे अधिक कठिनाई हिंदी न जानने वालों को होती है।

जिनकी मातृभाषा हिंदी होती है, उन्हें सहज व्यवहार के कारण लिंग निर्णय में परेशानी नहीं होती। लेकिन इनमें भी एक समस्या है की कुछ पुलिंग शब्दों के पर्यायवाची स्त्रीलिंग हैं और कुछ स्त्रीलिंग के पुलिंग। जैसे - पुस्तक को स्त्रीलिंग कहते हैं और ग्रन्थ को पुलिंग।
व्याकरणाचार्य ने लिंग निर्णय के कुछ नियम बताये हैं -

1. जब प्राणीवाचक संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराएँ तो वे पुलिंग होते हैं और जब स्त्रीलिंग का बोध कराएँ तो स्त्रीलिंग होती हैं।
   जैसे - कुत्ता, हाथी, शेर पुलिंग हैं
   कुत्तिया, हथनी, शेरनी स्त्रीलिंग हैं।
2. कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों लिंगों का बोध करती है तो वे नित्य पुलिंग में शामिल हो जाते हैं।
   जैसे - खरगोश, खटमल, गैंडा, भालू, उल्लु आदि।
3. कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों का बोध करे तो वे नित्य स्त्रीलिंग में शामिल हो जाते हैं।
   जैसे - कोमल, चील, तितली, छिपकली आदि।

14.4 पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम

पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम इस प्रकार हैं -

1. अ, आ पुलिंग शब्दों को जब 'ई' कर दिया जाता है, तो वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं।

उदाहरण -

(1) गूँगा - गूँगी
(2) गधा - गधी
(3) देव - देवी
(4) नर - नारी
(5) नाला - नाली
(6) नाना - नानी
(7) मोटा - मोटी

2. जब अ, आ, वा आदि पुलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जाता है, तो अ, आ, तथा वा

की जगह पर 'इया' लगा दिया जाता है।

उदाहरण –

(1) लोटा – लुटिया

(2) बन्दर – बंदरिया

(3) बुढ़ा – बुढ़िया

(4) बेटा – बिटिया

(5) चिड़ा – चिड़िया

(6) कुत्ता – कुतिया

(7) चूहा – चुहिया

3. अक जैसे तत्सम शब्दों में 'इका' जोडकर भी स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं।

उदाहरण –

(1) अध्यापक + इका = अध्यापिका

(2) पत्र + इका = पत्रिका

(3) चालक + इका = चालिका

(4) सेवक + इका = सेविका

(5) लेखक + इका = लेखिका

(6) गायक + इका = गायिका

4. जब पुलिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है, तो कभी–कभी नर या मादा लगाना पड़ता है।

उदाहरण –

(1) तोता – मादा तोता

(2) खरगोश – मादा खरगोश

(3) मच्छर – मादा मच्छर

(4) जिराफ – मादा जिराफ

(5) खटमल – मादा खटमल

(6) मगरमच्छ – मादा मगरमच्छ

5. कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री–पुरुष के स्वंय में ही जोड़े होते हैं। कुछ पुलिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बिलकुल उल्टे होते हैं।

उदहारण –

(1) राजा – रानी

(2) सम्राट – सम्राज्ञी

(3) पिता – माता

(4) भाई – बहन

(5) वर – वधू

(6) पति – पत्नी

6. कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग न हो पाने की वजह से उनमें 'आनी' प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है।

उदाहरण –

(1) ठाकुर + आनी = ठकुरानी

(2 सेठ + आनी = सेठानी

(3) चौधरी + आनी = चौधरानी

(4) देवर +आनी = देवरानी

(5) नौकर + आनी = नौकरानी

(6) इंद्र + आनी = इन्द्राणी

(7) जेठ + आनी = जेठानी

7. कभी–कभी पुलिंग के कुछ शब्दों में 'इन' जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है।

उदाहरण –

(1) साँप + इन = सांपिन

(2) सुनार + इन = सुनारिन

(3) नाती + इन = नातिन

(4) दर्जी + इन = दर्जिन

(5) कुम्हार + इन = कुम्हारिन

(6) लुहार + इन = लुहारिन

8. कभी–कभी बहुत से शब्दों में 'आइन' जोडकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं।

उदाहरण –

(1) चौधरी + आइन = चौधराइन

(2) हलवाई + आइन = हलवाइन

(3) गुरु + आइन = गुरुआइन

(4) पंडित + आइन = पण्डिताइन

(5) ठाकुर + आइन = ठकुराइन

(6) बाबू +आइन = बबुआइन आदि।

9. जब पुलिंग शब्दों में ता की जगह पर 'त्री, लगा दिया जाता है, तो वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं।

उदाहरण –

(1) नेता – नेत्री

(2) दाता – दात्री

(3) अभिनेता – अभनेत्री

(4) रचयिता – रचयित्री

(5) विधाता – विधात्री

10. संस्कृत के पुलिंग शब्दों मान और वान को जब वती और मति में बदल दिया जाता है, तो वे स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं।

उदाहरण –

(1) बुद्धिमान – बुद्धिमती

(2) पुत्रवान – पुत्रवती

(3) श्रीमान – श्रीमती

(4) भाग्यवान – भाग्यवती

(5) आयुष्मान – आयुष्मती

11. संस्कृत के अकारांत शब्दों में आ लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं।

उदाहरण –

(1) तनुज + आ = तनुजा

(2) चंचल + आ = चंचला

(3) आत्मज + आ = आत्मजा

(4) सुत +आ = सुता

(5) प्रिय + आ = प्रिया



अपनी प्रगति जांचें

प्रश्न संख्या 1. लिंग परिवर्तन की जटिलताओं पर एक आलेख प्रस्तुत कीजिए।



14. 5 सारांश

लिंग उन शब्दों का रूप होता है जिनसे स्त्री और पुरुष में अंतर किया जा सके। यानी अगर स्त्री और पुरुष का बोध कराते हो, उन्हें लिंग कहा जाता है। व्याकरणिक क्षेत्र में लिंग परिवर्तन के बहुत कुछ कारण और इसके समस्याएँ हैं। लेकिन, इन सब के बावजूद कहना आवश्यक होगा कि भाषा के क्षेत्र में लिंग का बहुत ही महत्व होता है। खासकर, हिंदी में इसके अभाव में लोगों को एक वाक्य शुद्ध रूप से समझ में नहीं आएगा।



14.6 अधिक जानने के लिए पढ़े

1. डॉ. भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, किताब महल ।
2. डॉ. एच. परमेश्वरन, हिंदी भाषा और लिपि, वाणी प्रकाशन, दिल्ली ।
3. रामकिशोर शर्मा, हिंदी भाषा और लिपि, राजकमल प्रकाशन।



14.7 प्रगति विवरण (केवल रूपरेखा)

प्रश्न 1 का उत्तर : हिंदी में अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्णय में सबसे अधिक कठिनाई हिंदी न जानने वालों को होती है। जिनकी मातृभाषा हिंदी होती है, उन्हें सहज व्यवहार के कारण लिंग निर्णय में परेशानी नहीं होती। लेकिन इनमें भी एक समस्या है की कुछ पुलिंग शब्दों के पर्यायवाची स्त्रीलिंग हैं और कुछ स्त्रीलिंग के पुलिंग।



14.8 अभ्यास प्रश्न

(क) संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर लिखिए -

1. हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद क्या है ?
2. पुलिंग का एक उदाहरण स्पष्ट कीजिए ?

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए -

1. लिंग से आप क्या समझते है और हिंदी में लिंग कितने प्रकार के हैं- स्पष्ट कीजिए।
2. हिंदी के पुलिंग और स्त्रीलिंग के निर्धारण की नियमावली को दर्शाइए।

*** ***** ***